

* श्रीः *

दिग्म्बर जैन सिद्धांत दर्पण

॥ अर्थात् ॥

प्रो० हीरालाल जी के (मन्त्रव्यों का निराकरण)

—का—

आद्य अंश

॥॥॥

लेखक—

श्रीमान् पं० मक्खनलाल जी शास्त्री, मुरेना ।

—*—*—*

प्रकाशक—

भी दिग्म्बर जैन समाज, चम्भई
[जुदाकमल मूलचंद-स्वरूपचंद हुकमचंद]

—

प्रथमवार	{	कार्तिक सुदी १	{	मूल्य
१५००	}	बीर सं० २४७१	{	स्वाध्याय

आखिल भारतवर्षीय प्राच्य सम्मेलन

१२वां अधिवेशन, बनारस, हिन्दू विश्वविद्यालय।

“प्राकृत और जैनधर्म” विभाग के सन्मुख विचारार्थ
प्रस्तुत विषय

क्या दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों के शासनों में
कोई मौलिक भेद है?

(अध्यक्ष—प्रो० हीरालाल जैन, एम. ए. एल एल. बी.)

जैन समाज के दिगम्बर और श्वेताम्बर ये दो सम्प्रदाय
मुख्य हैं। इन सम्प्रदायों में शास्त्रीय मान्यता सम्बन्धी
जो भेद है उनमें प्रधानतः तीन बातों में मतभेद पाये जाते
हैं। एक ख्रीमुक्ति के विषय पर, दूसरे संयमी मुनि के लिये
नग्नता के विषय पर और तीसरे केवलज्ञानी को भूख प्यास
आदि वेदनाएं होती हैं या नहीं इस विषय पर। इन विषयों
पर क्रमशः विचार करने की आवश्यकता है।

१-ख्रीमुक्ति

श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता है कि जिस प्रकार पुरुष
मोक्ष का अधिकारी है, उसी प्रकार ख्री भी है। पर दिगम्बर
सम्प्रदाय की कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा स्थापित आम्नाय में ख्रीय
को मोक्ष की अधिकारिणी नहीं माना गया। इस बात का स्वयं
दिगम्बर सम्प्रदाय द्वारा मान्य शास्त्रों से कहाँ तक समर्थन
होता है यह बात विचारणीय है। कुन्दकुन्दाचार्य ने अपने

प्रथों में स्त्रीमुक्ति का स्पष्टतः निषेध किया है। किन्तु उन्होंने व्यवस्था से न तो गुणस्थान चर्चा की है और न कर्मसिद्धान्त का विवेचन किया है, जिससे उक्त मान्यता से शास्त्रीय चिंतन शेष रह जाता है। शास्त्रीय व्यवस्था से इस विषय की परीक्षा गुणस्थान और कर्मसिद्धान्त के आधार पर ही की जा सकती है। तदनुसार जब हम विचार करते हैं तो निम्न परिस्थिति हमारे सन्मुख उपस्थित होती है—

१—दिगम्बर आन्नाय के प्राचीनतम प्रन्थ षट्खंडागम के सूत्रों में मनुष्य और मनुष्यनी अर्थात् पुरुष और स्त्री दोनों के अलग अलग चौदहों गुणस्थान बतलाये गये हैं। देखो सत्प्र. सूत्र ६३; द्रव्य प्र. ४६, १२४-१२६; क्षेत्र प्र. ४३, सर्शन प्र. ३४-३८, १०२-११०; काल प्र. ६८-८२, २२७-२३५; अन्तर प्र. ५७-७७, १७८-१८२; भाव प्र. २२, ४१, ५३-८०, १४४-१६१)

२—पूज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि टीका तथा नेमिचन्द्र कृत गोम्मटसार प्रन्थ में भी तीनों वेदोंसे चौदहों गुणस्थानों की प्राप्ति स्वीकार की गई है। किन्तु इन प्रन्थों में सकेत यह किया गया है कि यह बात केवल भाववेदकी अपेक्षा से घटित होती है। इसका पूर्ण स्पष्टीकरण अभितगति वा गोम्मटसार के टीकाकारों ने यह किया है कि तीनों भाववेदों का तीनों द्रव्यवेदों के साथ पृथक् पृथक् संयोग हो सकता है जिससे नौ प्रकार के प्राणी होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य द्रव्यसे पुरुष होता है वही तीनों वेदों में से किसी भी

वेद के साथ ज्ञपक श्रेणी चढ़ सकता है ।

३— किन्तु यह व्याख्यान संतोषजनक नहीं है क्योंकि—

(१) सूत्रों में जो योनिनी शब्द का उपयोग किया गया है वह द्रव्य रूपी को छोड़ अन्यत्र घटित ही नहीं हो सकता ।

(२) जहां वेद मात्र की चिवाज्ञा से कथन किया गया है वहां द्वेष गुणस्थान तक का ही कथन किया गया है, क्योंकि उससे ऊपर वेद रहता ही नहीं है ।

(३) कर्मसिद्धान्तके अनुसार वेदवैषम्य सिद्ध नहीं होता । भिन्न इन्द्रिय संबंधी उपांगों की उत्पत्तिका यह नियम बतलाया गया है कि जीवके जिस प्रकार के इन्द्रिय ज्ञान का ज्योपशम होगा उसीके अनुकूल वह पुद्गलरचना करके उसको उदयमें लाने योग्य उपांगकी प्राप्ति करेगा । चक्षुइन्द्रिय आवरणके ज्योपशम से कर्ण इन्द्रियकी उत्पत्ति कदापि नहीं होगी और न कभी उसके द्वारा रूपका ज्ञान हो सकेगा । इसी प्रकार जीवमें जिस वेदका बन्ध होगा उसी के अनुसार वह पुद्गलरचना करेगा और तदनुकूल ही उपांग उत्पन्न होगा । यदि ऐसा न हुआ तो वह वेद ही उदयमें नहीं आ सकेगा । इसी कारण तो जीवनभर वेद बदल नहीं सकता । यदि किसी भी उपांग सहित कोई भी वेद उदय में आ सकता तो कषायों व अन्य नोकषायों के समान वेदके भी जीवन में बदलने में कौनसी आपत्ति आ सकती है ?

(४) नौ प्रकार के जीवोंकी तो कोई संगति ही नहीं बैठती, क्योंकि द्रव्यमें पुरुष और रूपीलिंग के सिवाय तीसरा

तो कोई प्रकार ही नहीं पाया जाता, जिससे द्रव्यनपुंसक के तीन अलग भेद बन सकें। पुरुष और स्त्री वेदमें भी द्रव्य और भाव के वैषम्य माननेमें ऊपर बतलाई हुई कठिनाई के अतिरिक्त और भी अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। यदि वैषम्य हो सकता है तो वेद के द्रव्य और भाव भेद का तात्पर्य ही क्या रहा ? किसी भी उपांग विशेष को पुरुष या स्त्री कहा ही क्यों जाय ? अपने विशेष उपांगके बिना अमुक वेद उदय में आवेगा ही किस प्रकार ? यदि आ सकता है तो इसी प्रकार पांचों इन्द्रियज्ञान भी पांचों द्रव्येन्द्रियोंके परस्पर संयोगसे पच्चीस प्रकार क्यों नहीं हो जाते ? इत्यादि ।

इस प्रकार विचार करने से जान पड़ता है कि या तो स्त्री-वेद से ही क्षपक श्रेणी चढ़ना नहीं मानना चाहिये, और यदि माना जाय तो स्त्रीमुक्ति के प्रसंग से बचा नहीं जा सकता। उपलब्ध शास्त्रीय गुणस्थान विवेचन और कर्मसिद्धान्त में स्त्री-मुक्तिके निषेध की मान्यता नहीं बनती ।

२—संयमी और वस्त्रत्याग

श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यतानुसार मनुष्य वस्त्र त्याग करके भी सत्र गुणस्थान प्राप्त कर सकता है और वस्त्र का सर्वथा त्याग न करके भी मोक्षका अधिकारी हो सकता है। पर प्रचलित दिग्म्बर मान्यतानुसार वस्त्र के सम्पूर्ण त्यागसे ही संयमी और मोक्षका अधिकारी हो सकता है। अतएव इस विषय का शास्त्रीय चिन्तन आवश्यक है।

१—दिग्म्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त प्राचीन ग्रंथ भग-

बती आराधना में मुनि के उत्सर्ग और अपवाद मार्ग का विधान है, जिसके अनुसार मुनि बख्त धारण कर सकता है। देखो गाथा (७६-८३) ।

२—तत्वार्थसूत्र में पांच प्रकार के निर्ग्रन्थों का निर्देश किया गया है जिनका विशेष स्वरूप सर्वार्थसिद्धि व राजवार्तिक टीका में समझाया गया है। (देखो अध्याय ६ सूत्र ४६-४७) । इसके अनुसार कहीं भी बख्त्याग अनिवार्य नहीं पाया जाता । बल्कि बकुशा निर्ग्रन्थ तो शरीर संस्कार के विशेष अनुवर्ती कहे गये हैं । यद्यपि प्रतिसेवना कुशील के मूल गुणों की विराधना न होने का उल्लेख किया गया है, तथापि द्रव्यलिंग से पांचों ही निर्ग्रन्थों में विकल्प स्वीकार किया गया है “भावलिंगं प्रतीत्यं पञ्च निर्ग्रन्थां लिंगिनो भवन्ति द्रव्यलिंगं प्रतीत्यं भाज्या : (तत्वार्थसूत्र अ० ६ सू० ४७ स० ० सि०) इसका टीकाकारों ने यही अर्थ किया है कि कभी कभी मुनि बख्त भी धारण कर सकते हैं । मुक्ति भी सग्रन्थ और निर्ग्रन्थ दोनों जिंगों से कही गही गई है । “निर्ग्रन्थलिंगेन सग्रन्थलिंगेन वा सिद्धिर्भूतपूर्वनयापेत्यात् ।” (तत्वार्थसूत्र अ० १०, सू० ६, स० ० सि०) । यहां भूतपूर्वनय का अभिप्राय सिद्ध होने से अनन्तर पूर्व का है ।

३—धब्लाकार ने प्रमत्त संयतों का स्वरूप बतलाते हुए जो संयम की परिभाषा दी है उसमें केवल पांच ब्रतों के पालन का ही उल्लेख है “संयमो नाम हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिः ।”

इस प्रकार दिगम्बर शास्त्रानुसार भी सुनि के लिये एकान्ततः ब्रह्मत्याग का विधान नहीं पाया जाता । हाँ कुन्द-कुन्दाचार्य ने ऐसा विधान किया है, पर उसका उक्त प्रभाण्य-ग्रन्थों से मेल नहीं बैठता है ।

३--केवली के भूख-प्यासादि की वेदना

कुन्दकुन्दाचार्यने केवलीके भूख प्यासादि की वेदनाका निषेध किया है । पर तत्वार्थसूत्रकारने सबलता से कर्मसिद्धान्त अनुसार यह सिद्ध किया है कि वेदनीयोदय-जन्य क्षुधा-पिपासादि ग्यारह परीषह केवली के भी होते हैं (देखो अध्याय ६ सूत्र ८-१७) । सर्वार्थसिद्धिकार एवं राजवार्तिकार ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मोहनीय कर्मोदयके अभाव में वेदनीयका प्रभाव जजेरित हो जाता है इससे वेदनाएं केवलीके नहीं होतीं । पर कर्मसिद्धान्त से यह बात सिद्ध नहीं होती । मोहनीय के अभाव में रागद्वेष परिणतिका अभाव अवश्य होगा पर वेदनीय-जन्य वेदना का अभाव नहीं हो सकेगा । यदि वैसा होता तो फिर मोहनीयकमे के अभाव के पश्चात वेदनीयका उदय माना ही क्यों जाता ? वेदनीय का उदय सयोगी और अयोगी गुणस्थानमें भी आयुके अन्तिम समय तक बराबर बना रहता है । इसके मानते हुए तत्संबंधी वेदनाओं का अभाव मानना शास्त्र सम्मत नहीं ठहरता ।

दूसरे, समन्तभद्र स्वामीने आपमीमांसामें वीतरागके भी सुख और दुःखका सद्भाव स्वीकार किया है यथा—

पुरुणं ध्रुवं स्वतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि ।

वीतरागो मुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युद्ध्यान्निमित्ततः । ६३।

सम्पादकीय-वक्तव्य



श्रीमान श्रोफैसर हीरालाल जी एम० ए०, एक उम्ह० वी० नामपुर ने 'अखिल भारतवर्षीय प्राच्य सम्मेलन बनारस में' अपना लिखा हुआ वक्तव्य "क्या दिगम्बर और स्मैतास्मैर सम्प्रदाय के शासनों में कोई मौलिक भेद है?" शीर्षक सुनाया था उस वक्तव्य को बन्धी दिगम्बर जैन पचायतने दिगम्बर जैनधर्म के लिये बहुत हानिकारक अनुभव किया क्योंकि उसमें दिगम्बरीय जैन सिद्धान्तों पर कुठाराधात है। अतः उस वक्तव्य का आगम तथा योक्त्यों से उपयुक्त निराकरण कराने के लिये विद्वानों को प्रेरित किया।

प्रेरणा की आवश्यकता को अनुभव करते हुए अनेक पूज्य त्यागी महानुभाव (जिनमें पूज्य आचार्य महाराज, मुनियज्ञ, क्षुल्लक, भट्टारक, ब्रह्मचारी जी आदि हैं) तथा विद्वानों ने उक्त वक्तव्य के निराकरण में अपने लेख भेजे हैं और अनेक पंचायतों ने अपनी सम्मतियां भेजी हैं।

आई हुई सम्मतियोंमें सब से प्रथम श्रीमान पं० लाला-राम जी शास्त्री मैनपुरी तथा पं० श्रीलाल जी शास्त्री अलीगढ़ की सम्मति अनेक विद्वानों की सहमति के साथ प्राप्त हुई। द्वेकटों में प्रथम द्वेकट श्रीमान पं० अजितकुमार जी शास्त्री

मुलतान का आया जो कि उन्होंने मुलतान की विकट गर्मी में बड़े परिश्रम से लिखा है और स्व-पर आगम और युक्तियों से निबद्ध है। तदनन्तर दूसरा द्रेक्ट श्रीमान पं० मक्खनलाल जी शास्त्री मुरेना का आया। फिर श्रीमान पूज्य न्यायाचार्य पं० गणेशप्रसाद जी वर्णी के तत्त्वावधान में सागर के प्रमुख विद्वानों द्वारा लिखा हुआ द्रेक्ट मिला। इसके पीछे अन्य लिखित द्रेक्ट आते रहे।

प्राप्त लेखों में मुरेना विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रसिद्ध विद्वान श्रीमान पं० मक्खनलाल जी शास्त्री न्यायालंकार का प्रस्तुत द्रेक्ट सब से अधिक बड़ा और आगम प्रमाण तथा युक्तियों से पूर्ण है। धार्मिक सेवा के इस पुनीत कार्य के लिये उन्हें बहुत धन्यवाद है। द्रेक्टके अनुरूप उसे प्रथम रखता है।

पुस्तक का कलेवर बहुत बढ़ जाने से इससे आगे का अंश बड़े आकार में प्रकाशित हो रहा है जिसमें विभिन्न पूज्य त्यागी महानुभावोंके तथा विद्वानों के लिखित सुन्दर, पठनीय भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियों तथा स्व-पर शास्त्रीय प्रमाणों से युक्त लेख प्रकाशित हो रहे हैं। पाठक महानुभाव उसकी प्रतीक्षा करें। यह द्रेक्ट समग्र ग्रन्थ का आद्य-अंश है।

इस ग्रन्थ-सम्पादन में सबसे अधिक सहायता मुझे श्रीमान भाई निरंजनलाल जी सुर्जी वालों ने दी है। इस अद्वितीय कार्य-संचालन में आपका अर्थक परिश्रम बहुत प्रशংসনीय है। द्रेक्ट प्रकाशन की समस्त सामग्री जुटाने में

इनका ही मुख्य हाथ है। अपनी रुमण दशा का भी खयाल न करके श्रीमान भा० निरंजनलाल जी ने कठोर श्रम किया है। ये अपने कार्य में श्रीमान सेठ सुन्दरलाल जी (प्रधान मुनीम-फर्म—सेठ जुहारुमल जी मूलचन्द जी), मुझ से तथा प० उल्फतरायजी रोहतक, प० उल्फतरायजी भिरण, सेठ फकीर-भाई जी, तथा ला० पोस्तीलाल जी आदि से सम्पति लेकर कार्य करते हैं। अतः इनको तथा इनके सहयोगियोंको जितना धन्यवाद दिया जावे थोड़ा है।

जिन महानुभावों ने इस अन्थ प्रकाशन में आर्थिक सहायता दी है वे धन्यवाद के पात्र हैं। एवं बन्धुई दि० जैन पंचायत जिसकी छाया में यह कार्य-सम्पादन हुआ है विशेष धन्यवाद की पात्र है।

निवेदक—

रामप्रसाद जैन शास्त्री,

बन्धुई

सम्पादक—दिगम्बर जैन ‘सिद्धान्त दर्पण’

भूल—सुधार

पृष्ठ ३३ पंक्ति १४ में ‘संयत’ शब्द भूल से छप गया है जो कि वहां पर नहीं होना चाहिये। अतः पाठक महानुभाव सुधार कर पदें।

९

विद्यावारिधि, वादीभकेसरी, न्यायालंकार धर्मवीर

श्रीमान् पं० मकरनलालजी शास्त्री

मोरेना (ग्वालियर स्टेट)

* श्री वर्द्धमानाय नमः *

प्रस्तावना

श्रीमहिगम्बराम्नातो जैनधर्मः सनातनः ।

उद्भूतो जिनवीरस्य मुखतस्तज्जमाम्यहम् ॥

श्रीमन्तः कुन्दकुन्दादा आचार्याः मुनिपुज्जनाः ।

शान्तिसागरपर्यन्तास्तान् वन्दे भावतोऽधुना ॥

तपोनिष्ठं महाप्राङ्मुखं स्वैर्ग्रन्थैर्धर्मवद्धंकम् ।

सुधर्मसागराचार्यं वन्देऽहं साधुपाठकम् ॥

शासन-भेद और नई खोज का विचित्र दंग

वर्तमान युग और इससे थोड़े समय पूर्व के युग में कई प्रकार से बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। आज से करीब ५०-६० वर्ष पहले समाज में इतनी शिक्षा का प्रचार नहीं था, जितना कि अब हो रहा है। आज अनेक विद्वान् उच्च कोटि का अध्ययन कर समाज में कार्य कर रहे हैं। पहले समय में इतने विद्वान् नहीं थे, परन्तु पहले के पुरुष कम ज्ञानी होते हुए भी आगम एवं अपने ध्येय पर दृढ़ रहते थे। आज के अनेक विद्वान् उक्त दोनों बातों में शिथिल पाये जाते हैं। इसके साथ आज-कल कर्मण्यता और नवीन २ योजनाओं का वेग के साथ प्रसार हो रहा है।

कोई भी नवीन स्कीम रची जानी चाहिये, कोई भी नई बात प्रकट करनी चाहिये, जिससे समाज में उत्तेजना पैदा हो, सामयिक प्रगति की ओर झुकाव हो। चाहे इस प्रकार की उत्तेजना-पूर्ण कार्य-प्रणाली से आमम की मर्यादा नष्ट होती हो, चाहे सच्चे हित से समाज दूर होती हो; इसकी उन्हें चिन्ता नहीं है। ऐसे लोगों का ध्येय और कार्य-क्षेत्र पुरातन आचारों के मार्ग का अनुसरण करे, यह तो लम्बी बात है, किन्तु उनके प्रतिपादित मार्ग से सर्वथा विपरीत मार्ग का प्रदर्शक बनता है।

इसका कारण विचार-स्वातन्त्र्य एवं शास्त्रिक भावों की कमी है। इन सब बातों से कोई भी विचार-शील विद्वान् यह परिणाम सहज निकाल सकता है कि पहले शिक्षाकी कमी रहने पर भी समाज का सच्चा हित था। वर्तमान में शिक्षा के आधिक्य में भी समाज का उतना हित नहीं है, प्रत्युत हानि है।

इसी प्रकार, वर्तमान का तत्वज्ञान-प्रसार अथवा साहित्य-प्रसार पुरातन महर्षियों के तत्वज्ञान एवं साहित्य-प्रसारसे सर्वथा जुदा है। उस समयका साहित्य जनताकी हित-कामना से रचा जाता था, उसे यथार्थ तत्व-बोध हो और वह सन्मार्ग पर आरूढ़ होकर अपने हित-साधन में लग जाय, इसी पवित्र उद्देश्य एवं सद्गावना से महर्षियों ने शास्त्र-रचना की थी, आज वे ही शास्त्र लोक का कल्याण कर रहे हैं।

परन्तु वर्तमान साहित्य-प्रसार एक ऐसी अद्भुत खोज है जो अन्वेषक खोजी विद्वान्‌का पाण्डित्य प्रदर्शन करनेके साथ समाज को भी समालोचक कोटिमें स्त्रीच ले जाती है। और वहां स्व-बुद्धि-गम्य तर्क-वितर्कों के प्रवाह में आदिक भावों की इति श्री हो जाती है। इस प्रकार की खोज से कोई भी व्यक्ति रत्नत्रय की साधना में लगा हो अथवा देव-शास्त्र, गुरु-भक्ति और उनकी पूजा आदि धार्मिक क्रिया-कारण में अधिक रुचिकान बना हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। प्रत्युत उससे रत्नत्रय की विराधना तथा जिन मन्दिरनिर्माण, विम्ब प्रतिष्ठा विरोध, मुनियोंमें अश्रद्धा आदि अनेक उदाहरण उपस्थित हैं।

इतिहास की खोज और शासन-मेद का नया मिशन

वर्तमान में इतिहास-खोज का एक नया आविष्कार हो रहा है। वर्षों समय और बहु द्रव्य-साध्य सामग्री तथा शक्ति का उपयोग इसी ऐतिहासिक खोज में लगाया जा रहा है। यह खोज-विभाग, एक नया मिशन है। इस मिशनका उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि जो आचार्य अथवा शास्त्र इनके मन्त्रव्य के विरोधी हों उन्हें अप्रभाण ठहरा कर अमान्य ठहराया जाय। इसी लक्ष्य के आधार पर अनेक आचार्यों को अमान्य ठहराने की विफल चेष्टाएँ भी की गई हैं। अमान्य ठहराने की यह नीति रक्षी गई है कि अमुक आचार्य अमुक के पीछे हुए हैं अथवा अमुक सदी में हुये हैं।

इस लिये उसके पहले के ही प्रमाणभूत हैं, पीछे के नहीं। ‘आचार्यों की अग्रामार्शिकता से उनकी शास्त्र-रचना भी अप्रमाण है’ यह फलतः सिद्ध है।

इस प्रकार की ऐतिहासिक खोज में वे लोग सहर्ष भाग लेते हैं जो विचार-स्वातन्त्र्य रखते हैं। परन्तु इस प्रकार की खोज में प्रमाणता की कोई कसौटी नहीं है। उसके हेतु-वाद में कोई समीचीनता नहीं है। केवल अन्वेषकों की आनुमानिक (अंदाजिया) बातें हैं। “हमारी समझ से ऐसा मानना चाहिये। अमुक आचार्य अमुक समय के होने चाहिये” बस इसी प्रकार की संदिग्ध लेखनी द्वारा वे टटोलते फिरते हैं। कोई निश्चित बात न तो वे कह सकते हैं और न वर्तमान इतिहास की पढ़ति किसी निश्चित सिद्धान्त तक पहुंच ही पाती है।

खोज किसी बात की बुरी नहीं है किन्तु आचार्य परम्परागत वस्तु-व्यवस्था के विरुद्ध स्वबुद्ध्यनुसार स्वभन्तव्य की स्थापना और उसका प्रचार बुरा है। वर्तमान में यही हो रहा है। अन्यथा बताइये कि भगवान् ऋषभदेव हुए हैं और उनके असंख्यात वर्षों पीछे अजितनाथ हुए हैं इत्यादि व्यवस्था की सिद्धि वर्तमान पढ़ति के इतिहास से किस प्रकार सिद्ध की जा सकती है? इसकी सिद्धि के लिये न तो कोई शिलालेख मिलेगा और न कोई तात्रपत्र या पुरातन चिन्ह आदि ही मिलेगा। इनकी सिद्धि के लिये हमारे यहां तो

पुराण शास्त्र हैं। उनके आधार पर हम उन सब बातों को प्रमाणभूत समझते हैं। दूसरे चरणानुयोग, करणानुयोग शास्त्र हैं वे सब उस प्रकार की वस्तु-व्यवस्था के परिचायक हैं।

जहाँ वीतरागी आचार्यों ने अपनी अत्यन्त सरल-निरभिमान कृति से स्वरचित गम्भीर से गम्भीर शास्त्रों में भी संवत् आदि का उल्लेख तक नहीं किया है, यहाँ तक कि किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने अपना नाम तक नहीं दिया है, वहाँ आज उस शास्त्र के तत्त्व सिद्धान्त को छोड़कर केवल उसके सम्बन्ध की आगे-पीछे की खोज बना कर उन शास्त्रों एवं उनके रचयिताओं को अप्रमाण ठहराया जाता है? यह क्या तो खोज है? और क्या पाइडत्य है? और क्या सदुपयोग रूप इसका फल है? इन बातोंपर अनेक विद्वान् नहीं सोचते हैं। गतानुगतिक बनकर वे भी एक नया आविष्कार समझकर उस की पुष्टि में अपनी भक्तिपूर्ण श्रद्धाल्जलियां प्रगट करते हैं।

प्रकरणवश इस प्रकार की साहित्य-खोज की शैली का एक नमूना हम यहाँ पर उपस्थित करते हैं—

दो वर्ष हुए हम कार्यवश नागपुर गये थे। हमारे साथ श्री सेठ तनसुखलाल जी कला बम्बई भी थे। खंडेलवाल दिं० जैन विद्यालय में श्री पं० शांतिराज जी न्याय काव्यतीर्थके पास एक विद्वान् न्यायतीर्थ बैठे थे। परिचयमें उन्होंने कहा “कि एक वर्षसे मैं सम्यदर्शनपर खोजपूर्ण इविहास लिख रहा हूं

कि किस समय पर और किस आचार्य ने सम्बद्धर्शन का क्या लक्षण माना है।” हमने उनसे यह पूछा कि एक वर्ष की खोज में आपने सम्बद्धर्शन के लक्षण में समय भेद और आचार्य भेद से कोई भेद पाया क्या? वे बोले कि “अभी खोज समाप्त नहीं हुई है। अन्तमें निष्कर्ष निकल सकता है।”

इस प्रकार की खोज से यह परिणाम भी निकाला जा सकता है कि जो सम्बद्धर्शन का लक्षण ‘तत्वार्थश्रद्धान रूप’ है। उसके स्थान में तर्क-वितर्क एवं परीक्षापूर्वक वस्तु को प्रहण किया जाय ऐसा कोई लक्षण भी मिल जाय तो फिर सम्यक् मिथ्यात्व का विकल्प ही उठ जाय। वैसी अवस्था में आगम का बन्धन बाधक नहीं होकर विचार-स्वातन्त्र्य-ज्ञेय बहुत विस्तृत बन सकता है।

हमारे बीतराग महर्षियों ने सर्वज्ञ-प्रणीत, गणधर-कथित, आचार्य परम्परागत एवं स्वानुभव-सिद्ध तत्वों का ही विवेचन किया है। इस लिये उन्हें यदि परीक्षा की कसौटी पर रखकर जाय तो वे और भी हड़ता एवं मौलिकता को प्रगट करते हैं। परन्तु परीक्षा करने की पात्रता नहीं हो तो उन सिद्धांतों को शास्त्रों की आज्ञानुसार प्रहण करना ही बुद्धिमत्ता है। यथा—

सूद्धम् जिनोदितं तत्वं हेतुभिन्नेव हन्यते ।

आज्ञासिद्धात् तद्याद्या नान्यथा-वादिनो जिनाः ॥

अर्थात्—जिनेन्द्रदेव द्वारा कहे हुए तत्व सूद्धम् हैं।

देतुओं से उनका खण्डन नहीं हो सकता है। इस लिये उन्हें सर्वज्ञ-आज्ञा समझ कर प्रहरण कर लेना चाहिये। क्योंकि वीतराग सर्वज्ञ के कथनमें अन्यथापना कभी नहीं आ सकता है।

आजकल शासन-भेदके नाम से आचार्योंकी रचना में परस्पर मत-भेद सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। आज ग्रन्थान्तरों में ग्रन्थान्तरों के श्लोकों को देखकर उन्हें फट ज्ञेपक बताकर अमान्य ठहरा दिया जाता है, ऐसा करना भयंकर बात है। अनेक ग्रन्थों में आचार्यों ने सरलता से प्रकरण के श्लोक दूसरे ग्रन्थों के लिये हैं, इसके अनेक प्रमाण हैं। गोमटसार में ही आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती ने अनेक गाथायें दूसरे आचार्योंकी रख दी हैं, तो क्या ज्ञेपक कहकर वे अमान्य ठहराई जा सकती हैं? कभी नहीं। परन्तु पाठकोंको यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि न तो वीर-शासनमें कोई भेद पाया जाता है और न आचार्योंकी रचनामें परस्पर कोई मत-भेद है। किन्तु जूठे एवं निराधार प्रमाणों से वे सब बातें सिद्ध की जाती हैं। वास्तवमें कोई बात जब रहस्यज्ञ एवं तत्त्व-मर्मज्ञ विद्वानों की विचारश्रेणी में आती है तो किर वीर-शासन का भेद और आचार्यों का मत-भेद निःसार एवं बालू पर खड़ी की गई दीवाल के समान निराधार प्रतीत होता है।

इस बात पर भी विद्वानों को ध्यान देना चाहिये कि

इस प्रकार के शासन-भेद और आचार्यों के मत-भेद की खोज या चर्चा किसी शास्त्र में भी पाई जाती है क्या ? किसी आचार्य ने किसी आचार्य की समालोचना की हो, किसी ने किसी शास्त्र के श्लोकों को न्येपक कहकर अप्रमाण बताया हो, किसी ने किसी के मत को अमान्य ठहराया हो, किसीने वीर-शासनमें भेद बताया हो तो प्रगट किया जाय ? शास्त्रोंमें तो सभी आचार्योंने अपने पूर्व के आचार्यों को शिरोधार्य कर उन की रचना को आधार मान कर ही अपनी रचना की है । इस बात के प्रमाण तो प्रत्येक शास्त्र में देखे जाते हैं । दृष्टान्त के लिये एक श्लोक देना ही पर्याप्त है । यथा—

प्रभेन्दु-वचनोदार-चन्द्रिका-प्रसरे सति ।

माद्वशाः क नु गण्यन्ते ज्योतिरिंगण-सन्निभाः ॥

प्रमेय रत्नमाला के रचयिता आचार्य अनन्तवीर्य प्रमेय कमल-मार्तण्ड के रचयिता आचार्य प्रभाचन्द्र के लिये लिखते हैं कि “आचार्य प्रभाचन्द्र रूपी चन्द्रमाकी जहां उदार वचन रूपी चांदनी फैल रही है वहां खण्डोत (जुगुनू) के समान चमकने वाले मेरे सरीखे की क्या गणना हो सकती है ?” कितनी लघुता और महती श्रद्धा-पूर्ण मान्यता का उल्लेख है ? बस इसी प्रकार की मान्यता उत्तरोत्तर सभी आचार्यों की है । आदि पुराण के रचयिता श्री भगवद्जिनसेनाचार्य ने ग्रन्थ के आदि में सभी आचार्यों को श्रद्धाभक्ति के साथ स्मरण और नमन किया है । यही प्रक्रिया सभी शास्त्रों में पाई जाती

है। अस्तु। बीर-शासनभेद का ही यह परिणाम है कि आज कोई विद्यान सर्वज्ञ को समस्त पदार्थों का ज्ञाता नहीं बताते हैं। सर्वज्ञ की उयास्त्वा वे निराली ही करते हैं, इस प्रकरण पर यहां पर हम कुछ भी प्रकाश डालना नहीं चाहते हैं, वह एक विषयान्तर, एक स्वतन्त्र विस्तुतलेख का विषय है। परन्तु सर्वज्ञ लक्षण-प्रतिपादक समस्त शास्त्रों से विरुद्ध यह भी एक सैद्धान्तिक विचित्र खोज का नमूना है।

प्रो० सा० की, फूंकसे पढ़ाइ उड़ानेकी विफल चेष्टा

प्रो० हीरालाल जी ने जो अपने स्वतन्त्र मन्तव्य प्रगट किये हैं। वे भी उसी प्रकार की ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक खोज एवं शासनभेदकी-सामयिक लहरके ही परिणामस्वरूप हैं। उन के मन्तव्योंका हमने अपने इस ट्रैक्टमें विस्तृत रूपसे सहेतुक, सयुक्तिक एवं सप्रमाण प्रतिवाद किया है। यद्यपि हमारी यह इच्छा थी कि वे अपने मन्तव्यों का समक्ष में बैठकर ही विचार कर लेवें क्योंकि लेख-प्रतिलेख में लंबा समय लगने के साथ साधारण जनता उलझन में पड़ जाती है। इसी लिये हमने श्री० कुंथलगिरि सिद्धक्षेत्र पर जगद्वन्द्य, चारित्र-चक्रवर्ती, परम पूज्य श्री १०८ आचार्य शिरोमणि शांतिसागर जी महाराज की नायकता में इन विषयों पर विचार करने की अनुमति प्रो० सा० को दी थी। हमने यह भी सष्ठ कर दिया है कि समक्ष में विचार बहुत शान्ति के साथ होगा, और श्री आचार्य चरण साम्राज्य शान्ति और विचार में पूर्ण सहायक

होगा। यह विषय समाचार पत्रों में आ चुका है। अस्तु

प्रो० सा० ने सिद्धांत-शास्त्रों का सम्पादन किया है। हम समझते थे कि उनका शास्त्रीय एवं तात्त्विक बोध अच्छा होगा। परन्तु उनके वक्तव्यों को पढ़कर हमें निराशा हुई। उनकी लेखनी में भी हमें विचार एवं गम्भीरता का दिग्दर्शन नहीं हुआ। विद्वानों को जहाँ एक साधारण बात भी विचार-पूर्वक प्रगट करना चाहिये, वहाँ मूल सिद्धान्तों के परिवर्तनकी बात तो बहुत विचार, मनन, खोज एवं प्रमाणों की यथार्थता की पूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही प्रगट करनी चाहिये। परन्तु खेदके साथ लिखना पड़ता है कि भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य, आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती, आचार्य अकलंक देव, आचार्य पूज्यपाद जैसे दि० जैन धर्म के सूये-सदृश प्रकाशक महान महान आचार्यों को भी प्रो० सा० ने कर्म-सिद्धांत एवं गुण-स्थान-चर्चा के अजानकार तथा अमान्य सहसा ठहरा दिया है। इसी प्रकार धब्ल सिद्धान्त आदि शास्त्रों के प्रमाणों को भी विपरीत रूप में प्रगट किया है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इतनी बड़ी बात बिना किसी आधार और विचार के प्रसिद्ध करने से समाज में उसका क्या मूल्य होगा ?

खी-मुक्ति, सवस्त्र-मुक्ति और केवली के क्षुधादि की बेदना अथवा कवलाहार को सिद्ध करने का प्रयास प्रो० सा० का इसी उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है कि वे श्वेताम्बर और दिग्म्बर सम्प्रदायों में एकीकरण करना चाहते हैं और

इसी लक्ष्य से उन्होंने अपने लेख का शीर्षक—“क्या दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायोंके शासनोंमें कोई मौलिक भेद है ?” यह दिया है ।

इस शीर्षक से उन्होंने खी-मुक्ति आदि बातों की श्वेताम्बर मान्यता को दिगम्बर शास्त्रों से भी सिद्ध करने का प्रयास कर यह बात भी दिखला दी है कि जब दिगम्बर सम्प्रदाय में भी खी-मुक्ति, सर्वज्ञ-मुक्ति और केवली-कवलाहार उस सम्प्रदाय के शास्त्रों द्वारा मान्य है । तब दोनों सम्प्रदायों में वास्तवमें कोई भेद नहीं है ।

हमारी समझ से तो उन्होंने फूँक से पहाड़ उड़ाना चाहा है । नहीं तो ऐसा असम्भव प्रयास वे नहीं करते । दि० जैनधर्म आगम-प्रमाण के साथ हेतुवाद, युक्तिवाद एवं स्वानुभवगम्य भी है । उसके अकाल्य सिद्धान्त सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित हैं । यह बात कहने एवं समझने मात्र नहीं है, किन्तु वस्तु स्वरूप स्वयं उसी रूप में परिणत है । वह वस्तु-व्यवस्था ही इस बात का परिचय कराती है कि दि० जैन धर्म यथार्थ है, अत एव वह सर्वज्ञ-प्रतिपादित है । दि० जैन धर्म को शास्त्र रूप में प्रणयन करने वाले गणधरदेव चार ज्ञान के धारी थे । इस लिये उन्होंने सर्वज्ञ प्रतिपादित वस्तु स्वरूप का स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है । उसी को आचार्य प्रत्याचार्य परम्परा ने कहा है । आजकल का विज्ञान-वाद (Science) भी वहीं तक सफल होता है जहां तक कि

दि० जैनधर्म के अनुसार गमन करता है। यदि वह वस्तु-स्वरूप से विद्ध-असम्भव को सम्भव बतलाने लगता है तो वहां वह विफल ही रहता है। दि० जैनधर्म ने जिस प्रकार पुद्गल को क्रियात्मक एवं अचिन्त्य शक्तिवाला माना है। साथ ही पुथ्वी, जल, तेज, वायु आदि उसकी अनेक रूप परिणामन करने वाली मिश्रित पर्यायें बताई हैं। शब्द को भी पौद्गलिक बताया है। उसी का फल आज वर्तमान विज्ञान द्वारा विद्युत शक्ति के विकाश रूप में वायुयान (ऐरो-प्लेन), वायरलेस (बिना तार का तार) आदि कार्य दिखाये जा रहे हैं। परन्तु मृत शरीर में पुनः जीव आ जाय या पैदा हो जाय यह असम्भव प्रयोग कोई विज्ञान न तो आज तक सिद्ध कर सका है और न कर सकेगा। यह निश्चित बात है। इसी प्रकार द्रव्य गुण पर्यायों की व्यवस्था, गुण-स्थान और मार्ग-णाओं के आत्मीय भाव एवं अवस्थाओं के भेद, लोक-रचना रूप करणानुयोग, गृहस्थों व साधुओं का स्वरूप-भेद, ये सब बातें वस्तु-मिथिति की परिचायक हैं। इनके सिवा अत्यन्त सूख्म एवं कालभेद, देशभेदसे परोक्ष ऐसा अनन्त पदार्थ समूह है जिसका ज्ञान एवं विचार हमारी तुच्छ बुद्धि के सर्वथा अगम्य है। परन्तु जो स्थूल है वह हमारे स्वानुभवगम्य भी है। इसी से दि० जैनधर्म और जैनआगम की यथार्थता वस्तु-स्वरूप से सिद्ध होती है।

जब कि वस्तु-स्वभाव का प्रतिपादक यह धर्म है तब

वस्तुओं की अनादिता से यह धर्म भी अनादि है। अनिधन है। क्योंकि द्रव्य सभी द्रव्य-दृष्टि से नित्य हैं। युग २ में तीर्थेकर होते हैं। वे अपने उपदेश से सन्मार्ग का प्रसार कर भव्यात्माओं को मोक्षमार्गपर लगाते हैं। मोक्षमार्ग, मोक्ष स्वरूप के समान सदैव एक रूप में नियत है, उसमें कभी कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। असुखत, महाब्रत, दशधर्म, समिति, गुप्ति, उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी, मूल गुण आदि का जो स्वरूप आत्मीय विशुद्धि एवं कर्मों की बादर कृष्टि एवं सूक्ष्मकृष्टि रचना द्वारा अनंत गुणी हीन शक्ति का होना आदि सब सिद्धांत एक रूप में ही रहते हैं। केवल मान्यता पर वस्तु-सिद्धि नहीं हो सकती है। किन्तु वस्तु की यथार्थ व्यवस्था से वह होती है। इस लिये दि० जैनधर्म की मौलिकता अनादि निधन है। टंकोल्कीर्णवत् अचल एवं सुमेरुवत् दृढ़ है। किन्तु पात्रता के अनुसार ही उसकी यथार्थ श्रद्धा पहचान और प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा नहीं।

इस लिये स्त्री-मुक्ति, सबस्त्र-मुक्ति और केवली-कलाहार आदि बातों से किसी प्रकार भी दि० जैनधर्म में श्वेताम्बर मान्यता के समान कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हो सकता है।

दिगम्बर धर्म में श्वेताम्बरों की मौलिकताओं का
समावेश असम्भव है।

हाँ श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यताएं और भी अनेक

हैं और वे बहुत ही विचित्र हैं जैसे—

भगवान महावीर स्वामी पहले देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ में आये थे। इन्द्र ने उन्हें उसके गर्भ से निकलवा कर त्रिशला रानी के गर्भ में रखला। और त्रिशलारानी के गर्भ में जो पुत्री थी उसे देवानन्दा के घेट में रखवा दिया। यह गर्भस्थ बालकों के बदलने का कार्य गर्भ धारण के ८२ दिन पीछे किया गया। कल्पसूत्र में इसका उल्लेख है।

पाठक विचार करें कि क्या यह सम्भव हो सकता है कि इस प्रकार गर्भस्थ बालक बदल दिये जावें? यह बात तो कार्य-कारण-पद्धति, कर्म-व्यवस्था एवं वस्तु-व्यवस्था से सर्वथा विपरीत अतएव असम्भव है।

इसी प्रकार भगवान ऋषभदेव की माता महदेवी जब हाथी पर चढ़ कर भरत चक्रवर्ती के साथ भगवान ऋषभदेव के समवशरणमें जा रही थीं तब दूरसे समवशरण की विभूति को देखकर वैराग्य भावों की जागृति से हाथी पर चढ़े हुए ही उन्हें केवलज्ञान हो गया और आयुक्त्य होने से हाथी पर चढ़े हुए ही उन्हें मोक्ष हो गई।

यह कथा कल्पसूत्र की है।

इस प्रकार का केवलज्ञान और मोक्ष तो बहुत ही सस्ता सौदा है जो बिना किसी नपश्चरण और त्याग के हाथी पर चढ़े चढ़े ही हो जाता है। तीसरी विचित्र बात यह है कि भगवान महावीर स्वामी को छह महीना तक पेचिस का

रोग हो गया और उस रोग से उन्हें बराबर दस्त होते रहे। पीछे उनके शिष्य सिंह मुनि ने महावीर स्वामी के कहने से रेवती के घर से बासा कुकुट मांस लाकर महावीर स्वामी को दिया। महावीर स्वामी ने उसे स्वा लिया, तब उनका पेचिस रोग भी दूर हो गया। यदि सब वर्णन उस सम्प्रदाय के भगवती सूत्र में है।

जहां दिगम्बर धर्म में एक जगत्य आदक भी मांस-भक्षण नहीं कर सकता है। जहां मांस-भक्षण है, वहां दि० धर्म के अनुसार जैनत्व ही नहीं है, वहां दूसरा सम्प्रदाय तेरहवें गुणस्थानवर्ती अहंतकेवली भगवान महावीर स्वामी के भी पेचिस का रोग और अभद्र्य-भक्षण बताता है।

क्या प्रो० सा० श्वेताम्बर सम्प्रदाय के उक्त शासन की मौलिकता को भी दिगम्बर सम्प्रदाय के शासन में समावेश करने का दिगम्बर शास्त्राधार से कोई उपाय बताते हैं? यदि नहीं, तो फिर दोनों सम्प्रदायों के शासनों का आकाश पाताल के सामान अन्तर रखने वाला मौलिक भंद, दोनों के एकी-करण में किस प्रकार सफलता दिला सकता है? अर्थात् जब दोनों सम्प्रदायों की मान्यताएँ सर्वथा एक-दूसरे से विभिन्न हैं तब उन दोनों में सैद्धान्तिक दृष्टि से एकीकरण सर्वथा अशक्य है।

हां व्यावहारिक दृष्टि से दोनों सम्प्रदायों में एक-दूसरे के प्रति खदूभावनाएँ, एवं परस्परमें निष्ठता शेषभावका

रखना आवश्यक है।

इस ट्रैक्ट में हमने श्वेताम्बर सम्प्रदायके शास्त्राधार से किसी भी विषय पर विचार कुछ नहीं किया है और न उस की आवश्यकता ही समझी है। किन्तु प्रो० सा० ने जिन दिगम्बर शास्त्रों से खी-मुक्ति आदि का विधान समझा हुआ है, उन्हीं पर विचार किया है और दिगम्बर शास्त्रों से ही उन मान्यताओं का प्रतिवाद किया है। श्वेताम्बर मान्यतायें कुछ भी हों, हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं हैं। उपर तो उस सम्प्रदाय की कतिपय विचित्र मान्यताओं का उल्लेखमात्र किया गया है वह इसी बात के सिद्ध करने के लिये किया गया है कि दोनों में सैद्धान्तिक दृष्टि से एकीकरण सर्वथा असम्भव है, जिसे कि प्रो० सा० करना चाहते हैं।

बन्धवृ पञ्चायत की जागरूकता

धर्मेपरायण दि० जैन पञ्चायत बन्धवृ तथा उसके सुयोग्य अध्यक्ष श्रीमान् रा० ब० सेठ जुहारुमल भूलचन्द जी महोदय ने प्रो० सा० के मन्त्रव्यों के साथ पत्र भेजकर इस ट्रैक्ट के लिखने के लिये हमें प्रेरित किया है। साथ में प्रियित एवं प्रौढ़ विद्वान् श्रीमान् पं० रामप्रसादजी शास्त्री तथा श्री० सेठ निरंजनलाल जी ने भी अपने २ पत्रों द्वारा प्रेरित किया है। हम इस प्रकार की धार्मिक चिन्ता और लगन के लिये उन सभों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। क्योंकि यदि वे हमें प्रेरित नहीं करते तो सम्भव है अनेक अन्य कार्यों के

बाहुल्य से इतनी जल्दी इस ट्रैक्ट के लिखने में हम तत्पर नहीं होते। प्र० सा० के मन्तव्यों पर समाज के चिद्वानों की आगम व युक्तिपूर्ण निर्णायक सम्मतियों को छपाकर उस पुस्तक को सर्वत्र पंचायतों व भण्डारों को भेजा जाय ऐसा अन्वर्द्ध पंचायत का विचार व कार्य बहुत ही सुख एवं धर्म-रक्षण का साधक है।

धर्मरत्न जी की धर्म-चिन्ता

प्र० सा० के मन्तव्यों को पढ़कर हमारे पूज्य भ्राता श्रीमान धर्मरत्न प० लालाराम जी शास्त्री को बहुत खेद और चिन्ता हुई, उन्होंने तत्काल ही हमें आशापित किया कि “इन मन्तव्यों का सप्रमाण एवं सयुक्तिक संस्करण बहुत शीघ्र करो, यह कार्य धर्मरक्षा का है”। इस आशा के साथ उन्होंने इस ट्रैक्ट में महत्वपूर्ण सहायता देने वाले कुछ नैदानिक फुटनोट भी हमारे पास भेज दिये।

उनसे इसी प्रकार आशापूर्ण शुभाशीर्वाद की सर्वदा चाहना करते हैं।

श्री गो० दि० जैनसिद्धान्त विद्यालय,	}	विनीत—
मोरेना (ग्रालियर)		मक्तवनलाल शास्त्री
आवणी १५ बी० नि० सं० २४७०		





प्रोफेसर साहिब के मन्त्रव्यों की अप्रामाणिकता

आरहन्त-भासियस्थं गणधरदेवेहि-गाथियं सव्वं ।
पणमामि भक्तिजुतो मुद्दण्डाणमहो व्रयं सिरसा ॥

दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों में सैदान्तिक
एकीकरण असम्भव है ।

प्रोफेसर हीरालाला जी, एम० ए०, एल एल० बी० ने
अखिल भारत व प्राच्य-सम्मेलन, हिन्दू-बिश्व-विद्यालय
बनारस के १२वें अधिवेशन में दिये गये अपने मुद्रित वक्तव्य
द्वारा “क्या दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों के शासनों में
कोई मौलिक भेद है ?” इस शीर्षक से स्त्री मुक्ति, सबस्त्र मुक्ति
और केवली कवलाहार, इन तीन बातों को सिद्ध करने का
प्रयास किया है । श्वेताम्बर सम्प्रदाय उक्त तीनों बातों को

स्वीकार करता है। उसकी मान्यता के अनुसार स्त्री पर्याय से उसी भव से मुक्ति होती है, संयमी मुनि वस्त्र पहने हुए ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तथा श्री अर्हन्त परमेष्ठी केवली भगवान भी कवलाहार करते हैं, अर्थात्-भूख प्यास की बाधा उन्हें भी सताती है अतः उसे दूर करने के लिये वे भोजन करते हैं। दिगम्बर जैन धर्म इन तीनों बातों को सर्वथा नहीं मानता है। यह दिं० जैनधर्म, बीतराग धर्म है इस बीतराग धर्म में स्त्री-मुक्ति, सवस्त्र मुक्ति और केवली कवलाहार इन तीनों बातों को किञ्चिन्मात्र भी स्थान नहीं है। कारण, गुण-स्थान रूप भावोंकी विशुद्धि और कम सिद्धान्त रूप मार्गणाओं की रचना ही ऐसी है कि वह उक्त तीनों बातों को मोक्ष प्राप्ति के लिये सर्वथा अपात्र समझती है। उसका मूल कारण यही है कि इस धर्म में बीतरागता की ही प्रधानता है। बिना उसके संयम की प्राप्ति एवं आत्म विशुद्धि नहीं हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति के लिये परिपूर्ण विशुद्धि एवं परिपूर्ण बीतरागता का होना परमावश्यक है। स्त्री पर्याय और सवस्त्रावस्था में उस प्रकार की विशुद्धि तथा बीतरागता बन नहीं सकती, तथा केवली भगवान के कवलाहार यदि माना जाय तो वे भी बीतरागी एवं परम विशुद्ध नहीं बन सकते, कवलाहार अवस्था में उनके तेरहवाँ गुणस्थान तथा अर्हन्त परमेष्ठी का स्वरूप ही नहीं रह सकता है।

परन्तु प्रो० हीरालखजी उक्त तीनों बातों को समझ

सिद्ध करते हैं। इसके सिवा चे-आचार्य शिरोमणि भगवान् कुन्दकुन्द स्वामी को भी अमान्य ठहराते हैं। प्रो० सा० अपने लेख में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि श्री-मुक्ति और केवली कबलाहार आदि इन बातों का खण्डन कुन्दकुन्द स्वामी ने किया है परन्तु उनका यह खण्डन दूसरे उमा-स्वामी आदि आचार्यों से नहीं मिलता है अर्थात्-दूसरे उमास्वामी आदि आचार्य उन तीनों बातों का विधान करते हैं। प्रो० सा० यह भी लिखते हैं कि गुणस्थान चर्चा और कर्म सिद्धान्त विवेचन की कोई व्यवस्था कुन्दकुन्दाचार्य ने नहीं की है इस लिये शास्त्रीय चिन्तन से उनका कथन अधूरा है। अर्थात् गुणस्थान और कर्म व्यवस्था के आधार पर शास्त्रीय प्रमाणों से श्री-मुक्ति, सबस्तु-मुक्ति और केवली कबलाहार ये तीनों ही बातें सिद्ध हो जाती हैं परन्तु इन बातों का निषेध करने वाले कुन्दकुन्दाचार्य ने गुणस्थान और कर्म सिद्धान्त व्यवस्था का कोई विचार नहीं किया है प्रो० सा० के इस कथन से भगवान् कुन्दकुन्द स्वामी की गुणस्थान और कर्म सिद्धान्त के विषय में अज्ञानकारी सिद्ध होती है। अथवा उन्होंने गुणस्थान और कर्म सिद्धान्त के विरुद्ध तथा शास्त्रों के विरुद्ध अपने द्वारा स्थापित आम्नाय में श्री-मुक्ति अधिकार आदि को नहीं माना है। इस बात की पुष्टि प्रो० सा० ने इन पंक्तियों में की है—

“दिग्म्बर सम्प्रदाय की कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा स्थापित आम्नाय में लियों को मोक्ष की अधिकारिणी नहीं माना गया,

इस बात का स्वयं दिग्म्बर सम्प्रदाय द्वारा मान्य शास्त्रों से कहां तक समर्थन होता है यह बात विचारणीय है, कुन्दकुन्दा-चार्य ने अपने प्रबन्धों में स्त्री-मुक्ति का स्पष्टतः निषेध किया है किन्तु उन्होंने व्यवस्था से न तो गुणस्थान चर्चा की है और न कर्म सिद्धांत का विवेचन किया है जिससे उक्त मान्यता का शास्त्रीय चिंतन शेष रह जाता है।”

केवली भगवान के कबलाहार सम्बन्ध में प्र० सा०
ने यह पंक्ति लिखी हैं—

“कुन्दकुन्दाचार्य ने केवली के भूख प्यासादि की वेदना का निषेध किया है परंतु तत्वार्थ-सूत्रकार (आचार्य उमास्वामी) ने सबलता से कर्म सिद्धान्तानुसार यह सिद्ध किया है कि वेदनीयोदयजन्य क्षुधा प्यासादि ग्यारह परीषह केवली के भी होते हैं।”

इस सब कथन से प्र० सा० ने यह बात सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कुन्दकुन्दाचार्य का आचार्य उमास्वामी से जुदा ही मत है। आप केवली के भूख व्यासादिको वेदनाको तत्वार्थ सूत्र के आधार पर सबलता से सिद्ध होना बताते हैं।

प्र० सा० ने खी-मुक्ति, सवाक्ष-मुक्ति और केवली कवलाहार की सिद्धि के लिये तत्त्वार्थ सूत्र, सर्वार्थसिद्धि राज-वार्तिक तत्त्वार्थलिङ्कार, गोम्मटसार, भगवती आराधना, आप-मीमांसा तथा षट्कूणद्वागम—धबल आदि सिद्धान्त शास्त्रों के प्रमाण भी दिये हैं।

पाठकों का आश्चर्य के साथ यह शंका भी हो सकती है कि जब दिगम्बर जैन शास्त्रों के प्रमाण भी उन्होंने दिये हैं यहां तक कि धबल आदि सिद्धान्त शास्त्रों से भी खी मुक्ति की सिद्धि बताई है तब तो दिगम्बर सम्प्रदाय की मान्यता भी खी मुक्ति आदि के विषय में सिद्ध होती है ।

पाठकों की इस आश्चर्यभरी शंका का समाधान हम बहुत ही सुलासा रूप में आगे करेंगे यहां पर संक्षेप में इतना लिख देना ही हम पर्याप्त समझते हैं कि जिन तत्त्वार्थ-सूत्र, गोम्मटसार, भगवती आराधना, धबल सिद्धान्त आदि दि० शास्त्रों के प्रमाण प्रो० सा० ने खी-मुक्ति आदि की सिद्धि के लिये दिये हैं वे प्रमाण उन्होंने अपनी समझ के अनुसार दिये हैं । इससे जाना जाता है कि वे उक्त सभी शास्त्रों की या तो जानकारी नहीं रखते हैं अथवा दिगम्बर धर्म को श्वेताम्बर धर्म में मिला देने की धुनमें दिगम्बर शास्त्रों के कथन को सर्वथा विपरीत रूप में रख कर समाज को ध्रम में डालना चाहते हैं ।

यदि प्रो० सा० शास्त्रों की जानकारी नहीं रखते हैं तो विशेषज्ञों से अपनी समझ का परिपूर्ण विचार—विमर्श कर लेना आवश्यक था, यदि वे विशेषज्ञों से उन शास्त्रोंके सिद्धांतों को अच्छी तरह समझ लेते तो उन्हें दिगम्बर धर्म के सिद्धांतों के विकल्प ऐसा स्वतन्त्र मन्तव्य रखने का प्रसंग नहीं आता यदि वे उन शास्त्रों के रहस्य को भली भांति जानते हैं तो उन

शास्त्रों में ही स्त्री-मुक्ति, सबस्त्र-मुक्ति आदि का स्पष्ट रूप से स्वरूपन किया गया है। जैसा कि हम आगे स्पष्ट करने वाले हैं तब वैसी अवस्था में उनका उन शास्त्रों के विरुद्ध मत प्रसिद्ध करना और उसे उन शास्त्रों के प्रमाण देकर सिद्ध करने का प्रयास करना बहुत बड़ा प्रतारण एवं आगम विरुद्ध विपरीत मार्ग का (मिथ्या मार्ग का) प्रचार करना है। ऐसे प्रचार से अनेक भोले भाइयों का अकल्याण हो सकता है।

यहां पर हम यह प्रगट कर देना परमावश्यक समझते हैं कि स्त्री-मुक्ति, सबस्त्र-मुक्ति और केवली कबलाहार इन मन्त्रव्यों का किन्हीं दि० जैन शास्त्रों में विधान हो और किन्हीं में निषेध हो जैसा कि उपर्युक्त शास्त्रों के प्रमाण देकर प्र० सा० बताते हैं सो भी नहीं है, दिगम्बर शास्त्रों में चाहे वे प्राचीन हों चाहे अर्वाचीन हों कहीं भी स्त्री-मुक्ति आदि का विधान नहीं मिलेगा।

जितने भी दिगम्बर धर्म में आर्ष शास्त्र हैं उन सबों में स्त्री मुक्ति आदि का पूर्ण निषेध है।

इसी प्रकार भगवान कुन्दकुन्द स्वामी और आचार्य उमास्त्रामी इन दोनों आचार्यों में भी स्त्री-मुक्ति, सबस्त्र-मुक्ति, केवली कबलाहार इन बातों में कोई मतभेद नहीं है। इन दोनों में ही क्यों? जितने भी आज तक दिगम्बर जैनाचार्य हुये हैं उन प्राचीन और अर्वाचीन (नवीन) सभी आचार्यों में इन मन्त्रव्योंके विषयमें कोई मतभेद नहीं है, इन मन्त्रव्योंकी सिद्धि

किसी भी आचार्य के मत से सिद्ध नहीं हो सकती है ।

प्रो० सा० ने जो भगवान् कुन्दकुन्द स्वामी के विषय में उमास्वामी आचार्य से मतभेद प्रगट कर उमास्वामी आचार्य के मत से सबूत-मुक्ति और केवली कबलाहार आदि की सिद्धि की है सो उनका ऐसा लिखना भी धर्मपूर्ण है क्योंकि उमास्वामी विरचित तत्वार्थसूत्र द्वारा खो-मुक्ति आदि की सिद्धि किसी प्रकार भी नहीं हो सकती है, उपर्युक्त तीनों मन्तव्यों का उसमें स्पष्ट स्वंडन है । भगवान् कुन्दकुन्दके सम्बंध में जो प्रोफेसर साहबने यह लिखा है कि “कुन्दकुन्दाचार्य ने जो अपने ग्रन्थों में खो-मुक्ति आदि का खण्डन किया है वह उन्होंने गुणस्थान-चर्चा और कर्मसिद्धान्त की व्यवस्था के अनुसार नहीं लिखा है ।” प्रो० साहबका यह लिखना विद्वानों की दृष्टि में अविचारपूर्ण है । हमें आश्चर्य है कि भगवान् कुन्दकुन्द के विषय में ऐसा लिखने का साहस प्रोफेसर साहब ने किस प्रकार कर डाला जिन आचार्य कुन्दकुन्द को सामयिक सभी आचार्य सर्वोपरि एवं सिद्धान्त रहस्य के प्रधानवेत्ता मानते हैं । जो भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य मूलसंघ के अनु प्रवर्तक नायक हैं, शास्त्र प्रबन्धन में सर्वत्र उनका नाम आचार्य परम्परा में प्रथम घोषित किया जाता है । यथा—

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणिः

मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

इन सब बातों के अतिरिक्त आचार्य कुन्दकुन्द का

स्थान आचार्यों की श्रेष्ठी में असाधारणतापूर्ण वैशिष्ट्य रखता है। उसके अनेक कारण हैं, उनका अनुभव पूर्ण पांडित्य भी असाधारण कोटि में गिना जाता है। सिद्धान्त रहस्य और कर्मसिद्धान्त के बे कितने मर्मज्ञ थे यह बात उनके महान् प्रन्थों से सबे विदित है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उनका विदेह त्रेतस्थ स्वामी सीमंधर तीर्थकर के साज्जान् दर्शनों से प्रसिद्ध है। ऐसे महान् शृष्टि पुङ्कव, उड्डट विद्वान्, आचार्यप्रधान भगवान् कुन्दकुन्द कर्म सिद्धान्त और गुणस्थान चर्चा की व्यवस्थित विवेचना से अनभिज्ञ हैं अथवा बिना उक्त विवेचना के उन्होंने यों ही स्त्री-मुक्ति आदि का स्वरूपन कर डाला है ये सब बातें सर्वथा निःसार एवं अप्राप्य हैं। आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी के अगाध पाण्डित्य एवं तात्त्विक गंभीरतापूर्ण शास्त्रों के मनन करने वाले आचार्य भी उन्हें महती प्रद्वा के साथ मस्तक झुकाते हैं। उन्हें इस युग के गणधर तुल्य और दिगम्बर जैनर्धर्म के इस युग के मुख्य प्रवर्तक समझते हैं।

आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी को जो प्रो० सा० आज कर्म-सिद्धान्त और गुणस्थान-चर्चा के अज्ञानकार करते हैं वे ही प्रो० सा० धबल सिद्धान्त प्रन्थ के सम्पादक के नाते उस प्रन्थ की भूमिका में स्वयं उक्त आचार्यवर्य के विषय में क्या लिख जुके हैं, यहां पर पाठकों की जानकारी के लिये हम उनकी पंक्तियां ही रख देते हैं—

“कर्म प्राभृत (पट्टखण्डागम और कषाय प्राभृत) इन दोनों सिद्धान्तों का ज्ञान, गुरु परिपाठी ले कुंदकुंद पुर के पश्चनन्दि मुनि को प्राप्त हुआ और उन्होंने सबसे पहले षट्-खण्डागम के प्रथम तीन खण्डों पर बारह हजार श्लोक प्रमाण एक टीका ग्रन्थ रचा, जिसका नाम ‘परिकर्म’ था ।

हम ऊपर बतला आये हैं कि इन्द्रनन्दिका कुंदकुंदपुरके पश्चनन्दि से हमारे उन्हीं प्रातः स्मरणीय कुल्लकुल्लाचार्य का ही अभिप्राय हो सकता है, जो दिगम्बर जैन सम्प्रदाय में सबसे बड़े आचार्य माने गये हैं और जिनके प्रबन्धनसार, समयसार, आदि ग्रन्थ जैन-सिद्धान्त के सर्वोपरि प्रमाण माने जाते हैं ।”

(षट्-खण्डागम प्रथम खण्ड की भूमिका पृष्ठ ४६)

प्रो० सा० की ऊपर की पंक्तियों से अधिक अब हम आचार्य शिरोमणि कुंदकुंद स्वामी के अगाध पाठ्यक्रम के विषय में कुछ भी कहना व्यर्थ समझते हैं । “जिन्होंने षट्-खण्डागम के प्रथम तीन खण्डों पर बारह हजार श्लोक प्रमाण टीका रची है । और जो दि० जैन-सिद्धान्त के सर्वोपरि प्रमाण माने जाते हैं और सबसे बड़े आचार्य गिने जाते हैं ।”

जिन आचार्य कुंदकुंद स्वामी का परिचय प्रो० सा० ने अपनी भूमिका के उक्त शब्दों में दिया है, वे ही आज उन्हें कर्म-सिद्धान्त और गुणस्थान चर्चा के अज्ञानकार बतावें ? ऐसा पूर्वापर विरोधी वचन कहने में उनका क्या अन्तरंग रहस्य है, सो वे ही जानें । अस्तु ।

स्त्री-मुक्ति विचार

सर्वोच्च महर्षि भगवत्कुंदकुंदाचार्य ने स्त्री-मुक्ति के सम्बन्ध में कितना सयुक्तिक, महत्वपूर्ण विवेचन किया है। सबसे प्रथम हम अपने लेख में उसी का दिग्दर्शन पाठकों को करते हैं—

लिंगंन्मि य इत्थीणं थण्टंतरे णाहिकक्खदेसेसु ।

भणिओ सुहमो काओ तासं कह होइ पवज्जा ॥

(षट् प्राभृतादि संग्रह ६८)

अर्थ—खियों की योनि में, दोनों स्तनों के बीच में नाभि (ढुढ़ी) के भीतर तथा उनके दोनों भुजाओं के मूल में अर्थात्—कांखों में सूदम जीव—सूदम पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त उत्पन्न होते रहते हैं। इस लिये खियों के जिन-दीक्षा कैसे बन सकती है अर्थात्—किसी प्रकार भी नहीं बन सकती।

और भी भगवान् कुंदकुंद कहते हैं—

जइ दंसणेण सुद्धा उत्ता मग्नेण सावि संजुत्ता ।

घोरं चरियचरित्तं इत्थीसु ण पावया भणिया ॥

(षट् प्राभृतादि संग्रह पृ० ६६)

अर्थ—स्त्री सम्यग्दर्शन और एक देश रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग को भी धारण कर निमेल एवं शुद्ध हो जाती है, घोर तपश्चरण भी (विशिल्या के समान) कर डालती है। तथापि स्त्री-पर्याय में जिन-दीक्षा नहीं है। इसी गाथा की संस्कृत टीका में आचार्य श्रतसागर लिखते हैं कि—

[३१]

पंचमगुणस्थानं प्राप्नोति स्त्रीलिंगं छित्रवा स्वर्गमि देवो
भवति ततश्चयुत्वा मनुष्यभवमुक्तमं प्राप्य मोक्षं लभते ।

(षट् प्राभृतादि संग्रह पृष्ठ ६६)

अर्थात्— रत्नत्रय प्राप्त करके भी स्त्री पंचम गुणस्थान को ही प्राप्त करती है । फिर उस एक देश चारित्र एवं तपश्चरण द्वारा स्त्री लिंग का छेद करके स्वर्गों में देव पर्याय को पा लेती है, फिर देव पर्याय से च्युत होकर उत्तम मनुष्य भव को धारण कर मोक्ष पा लेती है ।

इसी के आगे भगवान् कुंदकुंद ने और भी युक्ति एवं प्रत्यक्ष अनुभवगम्य कथन कर स्त्री-मुक्ति का निषेध किया है ।
यथा—

चित्ता सोहि ण तेसि ढिल्लं भावं तहा सहावेण ।

विडजिदि मासा तेसि इत्थीसु ण संकयाभाणं ॥

(षट् प्राभृतादि संग्रह पृष्ठ ६६)

अर्थात्— खियों के हर महीने में रुधिर-स्राव होता रहता है । इस लिये निःशंक रूप से उनके एकाग्र चिन्ता-निरोधरूप ध्यान नहीं हो पाता है । और यही कारण है कि उनके चित्त में परिपूर्ण रूप से विशुद्धि नहीं हो पाती है, परिणामों में शैथिल्य रहता है तथा ब्रत पालने में अत्यन्त दृढ़ता भी नहीं हो पाती है । इसका कारण यही है कि जब शरीर में कोई मलिनता हो जाती है तब भावों में भी पूर्ण विशुद्धि नहीं हो पाती है ।

परन्तु प्रो० सा० को आचार्य कुंदकुंद स्वामीका उपयुक्त कथन अपने मन्तव्य के विरुद्ध होने से सर्वथा नहीं रुचा है। अतः उन्होंने इस कथन को आचार्य परम्परा एवं कर्मसिद्धान्त के प्रतिकूल सिद्ध करने की चेष्टा की है। इसकी पुष्टिमें उन्होंने स्वसम्पादित षट् खण्डागम के सूत्रों का भी निर्देश किया है। परन्तु हम इस प्रकरण में युक्ति और आगम दोनों ही प्रकार से यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दि० जैनागममें कोई भी प्रन्थ प्रो० सा० की बातकी पुष्टि नहीं करता प्रत्युत विरोधमें सर्वत्र स्पष्ट निषेध किया गया है।

स्वयं प्रो० सा० ने जिन ग्रन्थों का उल्लेख किया है एवं जिन सूत्रों के आधारपर उन्होंने अपनी चर्चा उठाई है वे सभी उन की बात का विरोध ही करते हैं अस्तु।

प्रो० हीरालाल जी ने जिन शास्त्रों के प्रमाणों से श्री-मुक्ति सिद्ध की है अब उनपर हम विचार करते हैं। सबसे पहले उन्होंने श्री-मुक्ति के विधान में षट् खण्डागम-धबल-सिद्धान्त शास्त्र का प्रमाण दिया है। वे लिखते हैं—

“दिगम्बर आम्नाय के प्राचीतम ग्रन्थ षट् खण्डागम के सूत्रों में मनुष्य और मनुष्यनी अर्थात् पुरुष और स्त्री दोनों के अलग अलग चौदहों गुणस्थान बतलाये गये हैं।” इन पंक्तियों से प्रो० सा० ने यह बात सिद्ध की है कि जिस प्रकार मनुष्य के चौदहों गुणस्थान होते हैं उसी प्रकार मनुष्यनी (स्त्री) के भी चौदहों गुणस्थान होते हैं। इसके लिये उन्होंने

ध्वला टीका के सत्प्ररूपणा सूत्र ६३ का प्रमाण दिया है। प्रो० सा० यह समझ रहे हैं कि मनुष्यनी से द्रव्य स्त्री का भद्रण है और मनुष्यनी के चौदह गुणस्थान बतलाये गये हैं तो द्रव्य स्त्रीके मोक्षकी प्राप्ति सहज सिद्ध है। परन्तु जिस सत्प्ररूपणा के ६३ देख सूत्र का प्रो० सा० ने द्रव्यस्त्री की मोक्ष प्राप्ति में प्रमाण दिया है उसी सूत्र में स्पष्ट रूप से द्रव्यस्त्री को मोक्ष प्राप्ति का सर्वथा निषेध किया गया है। यहां पर उसी प्रकरण को पाठकों की जानकारी के लिये इयों का त्यों रख देते हैं—

सम्मामिळ्डाइट्टि-असंजदसम्माइट्टिमंजदा-

संजद-द्वारणे णियमा पञ्जन्तियाओ ॥

(६३ सूत्र सत्प्ररूपणा प्रथम स्वरूप)

इस सूत्र का अर्थ घट् स्वरूपागम में यह लिखा गया है कि मनुष्य लियां सम्युद्भियादृष्टि, असंयत सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयत गुणस्थानों में नियम से पर्याप्ति होती हैं। इस सूत्रकी व्याख्या ध्वला टीका में इस प्रकार की गई है—

“हुरणावसर्पिण्यां स्त्रीषु सम्यग्दृष्टयः किञ्चोत्पद्यन्त इति चेत्त, उत्पद्यन्ते । कुतोऽवसीयते १ अस्मादेवाऽपर्वत । अस्मादेवार्षाद् द्रव्य-स्त्रीणां निवृत्तिः सिद्धयेदितिचेत्त, सवास-स्त्रादप्रत्याख्यान-गुणस्थितानां संयमानुपपत्तेः । भावसंयम-स्तासां सवाससमापि अविरुद्ध इतिचेत्त, न तासां भावसंयमोस्ति, भावाऽसंयमाऽचिनाभावि-वस्त्राद्यपादानान्यथानुपपत्तेः । कथं

पुनः तासु चतुर्दशगुणस्थानानि इति चेन्न, भावस्त्री-विशिष्ट
मनुष्यगतौ तत्सत्त्वाविरोधात् ।”

(षट्खण्डागम-प्रथम खण्ड-धबला टीका सूत्र ६३
पृष्ठ ३३२-३३३)

इसका हिन्दी अर्थ इस प्रकार है—

शंका यह उठाई गई है कि हुएहाव-सर्पिणी काल-
सम्बन्धी खियों में सम्यग्हष्टि जीव क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ?
उत्तर में कहा गया है कि हुएहाव-सर्पिणी काल-सम्बन्धी
खियों में भी सम्यग्हष्टि जीव उत्पन्न होते हैं । इसके लिये
यह षट्खण्डागम का आगम ही प्रमाण है ।

फिर शंका की गई है कि यदि इस आगम से द्रव्य
खियों को सम्यग्दर्शन का होना सिद्ध होता है तो इसी आगम
से द्रव्य खियों का मुक्ति जाना भी सिद्ध हो जायगा ? उत्तर
में कहा गया है कि यह बात नहीं हो सकती है क्योंकि द्रव्य
खियां वस्त्र सहित रहती हैं और वस्त्र सहित रहने से उनके
संयतासंयत (पांचवां) गुणस्थान होता है, इस लिये उन द्रव्य-
खियों के संयम (छठे गुणस्थान) की उत्पत्ति नहीं हो
सकती है ।

फिर शंका उठाई गई है कि वस्त्र सहित होते हुये भी
उन द्रव्य खियों के भाव संयम के होने में कोई विरोध नहीं
आना चाहिये ? उत्तर में कहा गया है कि द्रव्य खियों के
भाव संयम (छठा गुणस्थान) नहीं है, इसका कारण यह है

कि यदि द्रव्यस्थियों के भाव-संयम माना जायगा तो उनके वस्त्र-सहितपना नहीं बनेगा, क्योंकि वस्त्र का प्रहण असंयम का अविनाभावी है। अर्थात् जहां वस्त्र-सहितपना है वहां असंयम भाव है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि वस्त्र रहित अवस्था में ही संयम भाव हो सकता है। द्रव्य स्थियोंकी वस्त्रसहित अवस्था है, इस लिये उनके संयम भाव नहीं हो सकता है।

फिर शंका उठाई गई है कि यदि द्रव्य स्थियोंको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती है तो फिर उनमें चौदह गुणस्थान होते हैं यह कथन किस प्रकार सिद्ध होगा ?

इस शंका के उत्तर में धबलाकार समाधान करते हैं कि द्रव्य स्थियों के चौदह गुणस्थान नहीं बताये गये हैं किन्तु भावस्त्री के चौदह गुणस्थान बताये गये हैं। अर्थात् भावस्त्री वेदयुक्त मनुष्य गति में चौदह गुणस्थान मानने में कोई विरोध नहीं आता है। जो द्रव्य-पुरुष-वेदी है और भावस्त्री-वेदी है उसके चौदह गुणस्थान होते हैं वैसा मानने में कोई आगम की वाधा नहीं है।

ऊपर लिखी हुई धबला टीका की पंक्तियों का यह हिन्दी अर्थ है और ऐसा ही हिन्दी अर्थ उस धबला टीका में छपा हुआ भी है, पाठक स्वयं देख सकते हैं। इस कथन से षट्खण्डागम के धबलाकार आन्वाय महाराजने यह बिलकुल खुलासा कर दिया है कि जो स्त्रीवेद की अपेक्षा चौदह गुणस्थान बताये गये हैं वे भावस्त्री-वेदयुक्त द्रव्य-पुरुष-वेदी के

ही हो सकते हैं। द्रव्य खी के तो संयम ही नहीं हो सकता है क्योंकि द्रव्य खी वस्तु सहित रहती है, और सबस्त्र अवस्था में संयम भाव (छठा गुणस्थान) नहीं हो सकता है। जब संयम भाव (छठा गुणस्थान) ही द्रव्य खीके नहीं बन सकता तब संयम की प्राप्ति के बिना मोक्ष प्राप्ति किस प्रकार उनके हो सकती है ? अर्थात् द्रव्य खी के संयम के अभाव में मोक्ष कदापि सिद्ध नहीं हो सकती है। द्रव्य खी के संयमासंयम पांचवां गुणस्थान ही अधिक से अधिक हो सकता है। इतना खुलासा होने पर भी धवला टीकाकार इसी ६३ वें सूत्र की टीका में आगे और भी स्पष्ट करते हैं—

“भाववेदो बादरकषायाऽपर्यस्तीति न तत्र चतुर्दश
गुणस्थानानां संभव इति चेन्न, अत्र वेदस्य प्राधान्याभावात् ।
गतिस्तु प्रधाना नसाऽऽराद्विनस्यति । वेदविशेषणायां गतौ न
तानि संभवन्तीति चेन्न विनष्टेषि विशेषणे उपचारेण तद्वच्यपदेश-
मादधानमनुष्यगतौ तत्सत्वाऽविरोधात् ।”

(षट् खण्डागम, सत्प्ररूपणा, प्रथम खण्ड, धवला
टीका पृष्ठ ३३३)

इसका हिन्दी अर्थ इस प्रकार है—

शंकाकार का यह कहना है कि जब शास्त्रकार भाव-
खी वेद की अपेक्षा चौदह गुणस्थान बताते हैं तो भाववेद तो
बादर कषाय (नौवें गुणस्थान) तक ही रहता है, उसके ऊपर
भाववेद नष्ट हो जाता है अर्थात् नौवें गुणस्थान के ऊपर भाव-

बेद नहीं रहता है तब भाव खीवेद की अपेक्षा चौदह गुणस्थान बताये गये हैं वे किस प्रकार बन सकते हैं ?

इसके समाधान में ध्वलाकार आचार्य कहते हैं कि ऊपर जो शंका उठाई गई है वह ठीक नहीं है। क्योंकि वहाँ पर वेदों की प्रधानता नहीं है किन्तु गति की प्रधानता है। और वह पहले नष्ट नहीं होती है। अर्थात् मनुष्य गति चौदह गुणस्थान तक रहती है उसी की प्रधानता से चौदह गुणस्थान कहे गये हैं।

फिर भी शंकाकार कहता है कि जब भाववेद नौवें गुणस्थान के ऊपर नहीं रहता है, तब मनुष्य गति के रह जाने पर भी भाववेदकी अपेक्षा चौदह गुणस्थान कैसे हो सकेंगे ?

इसके उत्तरमें आचार्य स्पष्ट करते हैं कि मनुष्यगतिका भाववेद विशेषण है, इस लिये नौवें गुणस्थान तक तो भाव-खीवेदसहित मनुष्यगतिका सङ्गाव रहता है। और नौवेंके ऊपर अर्थात् दशवें आदि गुणस्थानों में भाववेद विशेषण नष्ट होने पर भी मनुष्य गति तो बनी रहती है, इस लिये उस मनुष्य गति की प्रधानता से और भाव-खीवेद के नष्ट हो जाने पर भी उसके साथ रहने वाली मनुष्य गति के सङ्गाव में उपचार से भाव-खीवेद की अपेक्षा चौदह गुणस्थान कहे गये हैं।

इसका खुलासा लेश्या के दृष्टिव से समझ लेना चाहिये, शास्त्रकारों ने तेरहवें गुणस्थान तक शुंक्ल लेश्या

बताई है। परन्तु लेश्या कषायों के उदय सहित योग प्रवृत्ति में होती है, ऐसी अवस्था में यह शंका होती है कि तेरहवें गुणस्थान में अहंत भगवान के जब कषाय नष्ट हो चुकी है तब वहां लेश्या कैसे सिद्ध हो सकती है। क्योंकि कषाय तो दशवें गुणस्थान के अन्त में ही सर्वथा नष्ट हो जाती है, इस लिये कषाय सहित योग प्रवृत्ति तेरहवें गुणस्थान में नहीं है। अतः वहां शुक्ल लेश्या का जो सङ्काव कहा गया है वह नहीं बन सकता है ?

इसके समाधान में आचार्यों ने सर्वत्र यही उत्तर दिया है कि यद्यपि तेरहवें गुणस्थान में कषाय नहीं है। पहले गुणस्थान से लेकर दशवें गुणस्थान तक योगों के साथ रहने वाली कषाय का अभाव होने पर भी उस कषाय का साथी योग तो तेरहवें गुणस्थान में रहता है। इस लिये विशेषण-भूत कषाय साथी के हट जाने पर भी विशेष्य भूत योगों के रहने से उपचार से वहां लेश्या मानी जाती है। उसी प्रकार नौवें गुणस्थान तक मनुष्य गति के साथ विशेषण रूप से रहने वाला भाव-खीवेद यद्यपि नौवें के ऊपर नहीं रहता है, परन्तु उसका विशेष्यभूत साथी मनुष्य गति तो रहती है। इस लिये चौदह गुणस्थान तक भाव-खीवेद का साथी मनुष्य गति रहने से उपचार से भाव-खीवेद की अपेक्षा से चौदह गुणस्थान कहे गये हैं।

ऐसा ही हिन्दी अर्थ ध्वला टीका में भी छपा हुआ है

शंका समाधान के साथ किये गये इस बहुत खुलासा से हिन्दी अर्थ को समझने वाला साधारण पुरुष भी अच्छी तरह जान लेगा कि भाववेद की अपेक्षा से ही चौदह गुणस्थान कहे गये हैं। ग्रन्थकार ने मनुष्य गति की प्रधानता बताकर उपचार से ही भाववेद की अपेक्षा चौदह गुणस्थान बताये हैं। इस उपचार कथन से द्रव्य स्त्री के चौदह गुणस्थानों की सम्भावना का व्रश्न ही खड़ा नहीं हो सकता है।

इस घटखण्डागम-धबला टीका के मुख्य सम्पादक प्रो० हीरालाल जी हैं। जब वे मुख्य सम्पादक हैं तब इतना खुलासा धबला टीकामें होने पर भी प्रो० सा० घटखण्डागमके उसी ६३ वें सूत्र का प्रमाण प्रगट कर उससे द्रव्य स्त्री को मोक्ष प्राप्ति होना किस प्रकार से सिद्ध करते हैं ? स्त्री मुक्ति में ६३ वें सूत्र का प्रमाण देने के पहले उन्हें उस सूत्रका संस्कृत या हिन्दी अर्थ तो जान लेना चाहिये था। सर्वज्ञ-प्रणीत अनादि सिद्ध दिग्म्बर सिद्धान्तों का इस प्रकार अपलाप करना तो सर्वथा अनुचित है।

इसके आगे प्रो० सा० ने जो घटखण्डागम की द्रव्य-प्ररूपणा, ज्ञेन-प्ररूपणा, स्पर्शन-प्ररूपणा, काल-प्ररूपणा, अन्तर-प्ररूपणा और भाव-प्ररूपणा के सूत्रों की केवल संख्या देकर यह बतलाया है कि इनसे भी स्त्री के चौदह गुणस्थान सिद्ध होते हैं। सो उनके इन उल्लिखित सभी सूत्रों को और उनपर की गई धबला टीकाको देखनेसे स्पष्ट प्रतीत हो जाता है

कि कहीं भी द्रव्य स्त्री के चौदह गुणस्थान सिद्ध नहीं होते हैं, किन्तु भाव स्त्री की अपेक्षा ही चौदह गुणस्थान बताये गये हैं।

स्त्रीवेद से संयत गुणस्थानों में भाव-वेदी स्त्री ही ली गई है। अपगत वेद-स्थानों में भाववेदस्त्री के चौदह गुण-स्थान उपचार से कहे गये हैं। वहां मनुष्यगति को प्रधानता है जो कि ६ वें गुणस्थान वक भाववेदों की सहगामी रही है। यह बात सत्प्ररूपणामें ग्रन्थकार बहुत खुलासा कर चुके हैं जैसा कि ऊपर हम सप्रमाण लिख चुके हैं। इस लिये अब पिष्टपेषण एवं पुनरुक्ति करना व्यर्थ है।

उन्होंने सर्वार्थ-सिद्धि और गोम्मटसार शास्त्रों के प्रमाणों से द्रव्य स्त्री के लिये मुक्ति प्राप्ति बताई है सो उन ग्रन्थों के विषय में भी हम यहां पर विचार करते हैं।

प्रो० सा० ने लिखा है कि—

“पूज्यपाद कृत सर्वार्थ सिद्धि टीका तथा नेमिचन्द्रकृत गोम्मटसार ग्रन्थमें भी तीनों वेदोंसे चौदहों गुणस्थानोंकी प्राप्ति स्वीकार की गई है, किन्तु इन ग्रन्थोंमें संकेत यह किया गया है कि यह बात केवल भाववेद की अपेक्षा से घटित होती है इसका पूर्ण स्पष्टीकरण अमितगति (?) वा गोम्मटसार के के टीकाकारोंने यह किया है कि तीनों भाववेदों का तीनों द्रव्य वेदों के साथ पृथक् २ सम्बन्ध हो सकता है जिसके नौ प्रकार के प्राणी होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य द्रव्य से पुरुष होता है वही तीनों वेदोंमें से किसी भी

वेद के साथज्ञपक श्रेणी चढ़ सकता है। किन्तु यह व्याख्यान सन्तोषजनक नहीं है।”

ग्रो० सा० की उपर्युक्त पंक्तियों से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो तीनों वेदों से चौदहों गुणस्थानों की प्राप्ति सर्वार्थ-सिद्धि गोम्मटसारकार ने बताई है वह भाववेद से ही बताई है। जैसा कि वे स्वयं ऊपर की पंक्ति में लिखते हैं कि—“किन्तु इन ग्रन्थों में संकेत यह किया गया है कि यह बात केवल भाववेद की अपेक्षा से घटित होती है।” अब अधिक इस सम्बन्ध में और क्या स्पष्ट किया जाय। जब भाववेदसे ही चौदहों गुणस्थान होते हैं तब द्रव्यस्त्रीवेदसे चौदह गुणस्थान और मोक्ष सर्वथा असम्भव है। यह बात इन ग्रन्थों से सिद्ध हो जाती है।

सर्वार्थ-सिद्धि के प्रमाण से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि द्रव्य-स्त्री को क्षायिक सम्यग्दर्शन भी नहीं होता है, वह भाववेद की अपेक्षा से ही बताया गया है यथा—

मानुषीणां त्रितयमप्यस्ति पर्याप्तकानामेव,
नाऽपर्याप्तकानाम्, क्षायिकं पुनर्भाववेदेनैव ॥

(सर्वार्थ-सिद्धि पृष्ठ ११)

इसका अर्थ यह है कि सम्यग्दर्शन के प्रकरण में यह बात बताई गई है कि मनुष्यिणी के तीनों सम्यक्त्व पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते हैं। परन्तु इतनी विशेषता है कि क्षायिक सम्यग्दर्शन तो भाववेद-

खी को ही हो सकता है, द्रव्यवेद खी को नहीं हो सकता। इस कथन से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि जब द्रव्य-खी के ज्ञायिक सम्यगदर्शन ही नहीं हो सकता तो फिर चौदह गुणस्थान और मोक्ष का होना तो नितांत असम्भव है। क्यों-कि बिना ज्ञायिक सम्यकत्व प्राप्त किये कोई जीव ज्ञपक श्रेणी नहीं माढ़ सकता है। इस लिये सर्वार्थ-सिद्धिकार ने खी के जो नौ गुणस्थान अथवा उपचार से चौदह गुणस्थान कहे हैं वे भाववेद से ही कहे हैं। सर्वार्थ-सिद्धि में इसी विषय में और भी स्पष्ट किया गया है यथा—

कुतः मनुष्यः कर्मभूमिज एव दर्शनमोहक्षपणप्रारंभको
भवति । द्रव्यवेदखीणां तासां ज्ञायिकाऽसंभवात् ॥
(सर्वार्थ-सिद्धि पृष्ठ ११)

इसका अर्थ यह है कि कर्मभूमि का मनुष्य ही दर्शन-मोह कर्म का ज्ञय प्रारम्भ करता है। क्योंकि द्रव्यखीवेद के ज्ञायिक सम्यकत्व नहीं होता है।

इसी बात की पुष्टि गोम्मटसार से होती है यथा—

दंसमोहक्षपण-पट्टवगो कर्मभूमिजादो हि,
मणुसो केवलिमूले णिट्टवगो होदि सञ्चल्य ।
दर्शनमोहक्षपणप्रारम्भकः कर्मभूमिज एव सोषि,
मनुष्य एव तथापि केवलिश्रीपादमूले एव भवति ॥

(गोम्मटसार संस्कृत टीका पृष्ठ १०६८ गा० ६४८)

अर्थ इसका यह है कि दर्शन-मोह-प्रकृति का ज्ञय

प्रारम्भ करने वाला, कर्मभूमि वाला ही होता है, वह भी मनुष्य ही होता है और केवली के पादमूल में ही उसका प्रारम्भ करता है। यहां पर ग्रन्थकार और टीकाकार दोनों ने “मनुष्य एव” पद देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि द्रव्यवेदकी ज्ञायिक सम्यक्त्व का प्रारम्भ नहीं कर सकती है किन्तु पुरुष ही करता है। इस लिये जब ज्ञायिक सम्यक्त्व ही द्रव्यवेद की के नहीं होता है तब चौदह गुणस्थान व भोक्ता की बात तो बहुत दूर एवं सर्वथा असम्भव है।

प्रो० सा० ने जो यह बात लिखी है कि “गोम्मटसारके टीकाकारों ने यह बताया है कि जो मनुष्य द्रव्य-पुरुष होता है वह तीनों वेदों में से किसी भी वेद के साथ ज्ञायिक श्रेणी चढ़ सकता है। किन्तु यह व्याख्यान सन्तोषजनक नहीं है।”

उनके इस कथन से विदित होता है कि ‘गोम्मटसार मूलमें तो द्रव्यपुरुष वेद के साथ तीनों भाववेद नहीं होते हैं। किन्तु टीकाकारों ने एक द्रव्यवेद के साथ तीनों भाववेद बता दिये हैं।’ ऐसा प्रो० सा० समझ रहे हैं। परन्तु यह समझ भी उनकी मिथ्या है। क्यरण जो बात मूल गाथा में है उसी को टीकाकारों ने लिखा है। गोम्मटसार मूल गाथा में ही यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि द्रव्यवेद और भाववेद सम और विषम दोनों होते हैं यथा—

पुरिसिच्छसंडवेदयेण पुरसिच्छसंडओ भावे ।

णामोदयेण दव्वे पापण समा कहिं विसमा ॥

(गोम्मटसार जीवकांड पृष्ठ ५६१ गा० २७१)

इस गाथा में मूल में “पाएण समा कहिं विसमा” ऐसा अन्तिम चरण है। उसका अर्थ यही है कि कहीं २ द्रव्यवेद और भाववेद में विषमता भी पाई जाती है। प्रायः समता पाई जाती है। इसी का खुलासा टीकाकारने किया है। यथा—

ऐते द्रव्य-भाववेदाः प्रायेण प्रचुरवृत्या देवनारकेषु
भोग-भूमि-सर्वतिर्यग्मनुष्येषु च समाः, द्रव्यभावात्यां समवेदो-
दयांकिता भवन्ति । क्वचित् कर्मभूमि-मनुष्य-तिर्यग्वृष्ये विषमाः—
विसद्वशा अपि भवन्ति तथाथा— द्रव्यतः पुरुषे भावपुरुषः
भावस्त्री भावनपुंसकं, द्रव्यस्त्रियां भावपुरुषः भावस्त्री भाव-
नपुंसकं, द्रव्यनपुंसके भावपुरुषः भावस्त्री भावनपुंसकं इति
विषमस्वं द्रव्यभावयोरनियमः कथितः । कुतः द्रव्यपुरुषस्य
ज्ञपक-श्रेण्यारूढानिवृत्तिकरण—सवेदभागपर्यन्तं वेदत्रयस्य पर-
मागमे ‘सेसोदयेण वि तहा भाणुवजुत्ताय तेदु सिजर्माति’ इति
प्रतिपादितत्वेन संभवात् ।”

इसका संक्षिप्त अर्थ यही है कि देवनारकी तथा भोगभूमि के तिर्यग्मनुष्योंमें जो द्रव्यवेद तथा भाववेद होता है वे दोनों समान ही होते हैं। परन्तु कर्मभूमिके मनुष्य तिर्यचोंमें विषम भी होते हैं। जो द्रव्यपुरुष हैं उसके भावपुरुष वेद, भावस्त्री वेद, भाव नपुंसकवेद तीनों हो सकते हैं। इसी प्रकार द्रव्यस्त्री के और द्रव्यनपुंसक के भी तीनों ही भाववेद हो सकते हैं। नीचे की पंक्तियों में तो और भी स्पष्ट कर दिया गया है कि

द्रव्य पुरुषवेद वाला ही ज्ञपक श्रेणी का आरोहण करता है। उसी के अनिवृत्तिकरण—नौवें गुणस्थान के सवेदभाग पर्यन्त तीनों भाववेद परमागम में बताये गये हैं। दूसरी संस्कृत टीका में—“द्रव्यपुरुषे एव ज्ञपकश्रेणिमारुढे” इस पंक्ति द्वारा एवं पद देकर ‘द्रव्यपुरुष ही ज्ञपक श्रेणी आरुढ़ कर सकता है’ ऐसा नियम स्पष्ट कहा गया है।

प्रो० सा० ने गोम्मटसार तथा ध्वल सिद्धांत आदि शास्त्रों में ख्रियों के चौदह गुणस्थानों का कथन देखा है उसे देखकर वे समझ रहे हैं कि ख्री भी मोक्ष जाती है। परन्तु दिग्म्बर शास्त्रों के प्रमाण जो उन्होंने दिये हैं वे सब उन शास्त्रों का अभिप्राय नहीं समझकर ही दे डाले हैं।

ऊपर के प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध है कि गोम्मटसार मूल में द्रव्यवेद, भाववेद को सम विषम दोनों रूप में बताया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि ज्ञपक श्रेणी द्रव्यपुरुष-वेदी ही माढ़ सकता है। साथ ही साथ यह भी ग्रन्थकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नौवें गुणस्थान तक जो ख्रीवेद व नपुं-सकवेद बतलाये गये हैं वे द्रव्यवेदी पुरुष के ही भाववेद बतलाये गये हैं। इतना स्पष्ट कथन मूल गोम्मटसार का और उसी के अनुसार टीका का होने पर भी प्रो० सा० का यह कहना कि ‘यह व्याख्यान सन्तोषजनक नहीं है’, निःसार एवं गोम्मटसार ग्रन्थ के सर्वथां विपरीत है। इसके सिवा प्रो० सा० द्वारा सम्पादित षट् खण्डागम सिद्धांत शास्त्रों में भी

यही बात लिखी है, यथा—

“जेसि भावो इत्थिवेदो दव्वं पुण पुरिसवेदो तेवि
जीवा संजमं पद्धिवज्जंति । दव्वित्थिवेदा संजमं ण पद्धिवज्जंति
सचेलत्तादो । भावित्थिवेदाणं दव्वेण पुंवेदाणंपि संजदाणं
णाहाररिद्धी समुप्पजदि । दव्वभावेहि पुरिसवेदाणमेव समु-
प्पजदि । तेणित्थिवेदेपि णिरुद्धे आहारदुगं णत्थि तेण
एगारह जोगा भणियां । इत्थिवेदो अवगदवेदेवि अत्थि, एस्थ
भाववेदेण पयदं, ण दव्ववेदेण । कि कारणं ? अवगदवेदेवि
अत्थि, त्तिवयणादो ।”

(षट्खण्डागम, धवलटीका, सत्प्ररूपणा पृष्ठ ५१३)

इन पंक्तियों का अर्थ षट्खण्डागम की हिन्दी टीका
में तिम्न प्रकार है, वे पंक्तियां भी हम ज्यों की ख्यों रख देते
हैं पाठक ध्यान से पढ़ लेवें—

“यद्यपि जिनके भाव की अपेक्षा स्त्रीवेद और द्रव्यकी
अपेक्षा पुरुषवेद होता है वे (भावस्त्री) जीव भी संयम को
प्राप्त होते हैं, किन्तु द्रव्य की अपेक्षा स्त्रीवेद वाले जीव संयम
को नहीं प्राप्त होते हैं । क्योंकि वे सचेल अर्थात् वस्त्र सहित
होते हैं । फिर भी भाव की अपेक्षा स्त्रीवेदी और द्रव्य की
अपेक्षा पुरुषवेदी संयमधारी जीवों के आहारक शृद्धि उत्पन्न
नहीं होती है, किन्तु द्रव्य और भाव इन दोनों ही वेदों की
अपेक्षा से पुरुषवेद वाले जीवों के ही आहारक शृद्धि उत्पन्न
होती है । इस लिये स्त्रीवेद वाले मनुष्यों के आहारक शृद्धि

के बिना म्यारह योग कहे गये हैं। योग आलाप के आगे खीवेद तथा अपगत-वेदस्थान भी होता है। यहां भाववेद से प्रयोजन है, द्रव्यवेद से नहीं। इसका कारण यह है कि यदि यहां द्रव्यवेद से प्रयोजन होता तो अपगतवेद रूप स्थान नहीं बन सकता था।

ऊपर लिखा हुआ यह हिन्दी अर्थ स्वयं प्रो० सा० ने किया है। धबला टीकाकी पंक्तियां ऊपर दी गई हैं। इस अर्थ से सभी बातें सुलासा हो जाती हैं एक तो यह कि 'जिसके द्रव्यवेद पुरुषवेद होता है, उसके भाववेद खीवेद आदि भी होते हैं' इससे प्रो० सा० का यह कहना मिथ्या ठहरता है कि जो द्रव्यवेद होता है वही भाववेद होता है।

दूसरे इस उपर्युक्त कथन से यह बात स्पष्ट शब्दों में सुलासा हो जाती है कि जो द्रव्यवेद पुरुष होगा वही भाववेद खीवेद होने पर भी संयम प्राप्त कर सकता है। जो द्रव्यवेद खीवेद होगा वह जीव संयम भाव प्राप्त नहीं कर सकता है। उसका कारण यही बताया है कि द्रव्यखी सबख रहती है और सबखाक्षया में संयम भाव कभी नहीं हो सकता है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य खीवेदी छठा गुणस्थान भी प्राप्त नहीं कर सकती। आगे के गुणस्थान तो नितान्त असंभव हैं।

एक बात यह भी बड़े महत्व और चोज की कही गई है कि जिस प्रकार द्रव्य पुरुष-वेद बाले के चौदह गुणस्थान होते हैं वैसे यदि द्रव्य-खीवेदी और द्रव्य-नपुंसक-वेदी के भी

चौदह गुणस्थान होते तो फिर “अपगतवेद” कैसे बनता । क्योंकि द्रव्यवेद तो चौदहों तक ठहरते हैं । प्रो० सा० द्रव्यवेद की अपेक्षा ही चौदह गुणस्थान बताते हैं । इतना खुलासा कथन षट्खण्डागम धर्वल शास्त्रों में पाया जाता है । इस कथन से इस सम्बन्ध में कोई शंका खड़ी नहीं रहती है ।

प्रो० सा० ने अपने लेख में आगे दूसरी बात यह प्रगट की है कि—

“सूत्रों में जो योनिनी शब्द का प्रयोग किया गया है वह द्रव्य स्त्री को छोड़ अन्यत्र घटित ही नहीं हो सकता ।” इसके उत्तर में हम अधिक अभी कुछ नहीं लिखकर उनसे यही पूछना चाहते हैं कि वे मनुष्यणी के पांचवें गुणस्थान से ऊपर षट्खण्डागम आदि किन्हीं ग्रन्थों में द्रव्य स्त्री के योनिनी शब्द का प्रयोग बतावें तो सही ? तभी उनकी ऊपर की पंक्ति पर विचार किया जा सकता है । जिस प्रकार उन्होंने ग्रन्थों के अभिप्राय के विपरीत अर्थों को प्रमाण कोटिमें रखने का प्रयास किया है । उसी प्रकार वे अपनी ओर से नवीन शब्दों का प्रयोग कर बिना किसी आधार के उन्हें भी प्रमाण कोटि में लाना चाहते हैं ? परन्तु केवल पंक्ति लिखने से वस्तुसिद्धि नहीं हो सकती, वे यह बात प्रगट करें कि असुक शास्त्र में छठे सातवें आदि गुणस्थानोंमें मनुष्यणीके लिये ‘योनिनी’ शब्द का प्रयोग आया है ? अन्यथा जो शब्द ही नहीं उसपर विचार भी क्या किया जाय ?

इसके आगे नं० २ में एक स्वतन्त्र पंक्ति लिखकर प्रो० सा० ने यह बताया है कि वेद आठ वें गुणस्थान तक ही रहता है, ऊपर नहीं । उनकी पंक्ति यह है—

“जहां वेदमात्र की विवक्षा से कथन किया गया है वहां द वें गुणस्थान तक का ही कथन किया गया है, क्योंकि उससे ऊपर वेद रहता ही नहीं है ।”

हमें इस पंक्ति को पढ़कर आश्चर्य होता है कि प्रो० सा० ने यह पंक्ति क्या समझकर लिखी है । जब कि वे स्वयं लिखते हैं कि द्रव्यपुरुष के समान द्रव्यलोके भी चौदह गुण-स्थान होते हैं । तब द वें गुणस्थान तक ही वेद रहता है, आगे वेद रहता ही नहीं, ऐसा उनका लिखना स्वच्छनबाधित हो जाता है । यदि वे भाववेद की दृष्टि से कहते हैं तो भी उनका कहना आगम से विपरीत पड़ता है । सर्वार्थ-सिद्धि, गोम्मटसार, षट्खण्डागम-ध्वन्त आदि सभी शास्त्रोंमें भाववेदों का सद्भाव द वें गुणस्थान तक स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इस बात की सिद्धि के लिये हम केवल दो प्रमाण ही देना पर्याप्त समझते हैं । यथा—

इत्थिवेदा पुरिसवेदा असरिणभिच्छाइट्टिप्पहुदि जाव
अरिणयहृत्ति । एवुं सववेदा एविदिष्पहुदि जाव अरिणयहृत्ति ॥

(षट्खण्डागम सिद्धान्त शास्त्र, सत्प्रस्तुता पृष्ठ ३४२-
३४३ सूत्र १०२-१०३)

अर्थ—स्त्रीवेद और पुरुषवेद बाले जीव असंज्ञी

मिथ्यादृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक होते हैं।

तथा—

एकेन्द्रिय से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक नपुंसकवेद वाले जीव पाये जाते हैं।

यह सब कथन भाववेद की अपेक्षा से है यह बात हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं। इन सिद्धांत सूत्रों से यह स्पष्ट है कि भाववेद नौवें गुणस्थान तक रहते हैं।

इसके सिवा गोम्मटसार कर्मकांडमें जहां सत्त्वव्युच्छ्रिति का प्रकरण है वहां ६ वें गुणस्थान के सवेद भाग तक खी नपुंसक पुंवेदों की व्युच्छ्रिति बताई गई है। यथा—

षंठित्य छक्कसाया पुरिसो कोहो य माण मायं च ।

थूले सुहमो लोहो उदयं वा होदि खीणम्नि ॥

(गोम्मटसार कर्मकांड गाथा ३३६)

अर्थात्—तीसरे भागमें नपुंसकवेद प्रकृति, चौथे भाग में खीवेद प्रकृति, पांचवें में हास्यादि छह नोकणाय और छठे सातवें, आठवें, नवमें भाग में क्रमसे पुरुषवेद संज्ञलन क्रोध, मान, माया ये सब प्रकृतियां बादर कणाय—नवमें गुणस्थानमें व्युच्छ्रित होती हैं। यह तो सत्त्वव्युच्छ्रिति है। उदयव्युच्छ्रिति भी इस प्रकार है—

अणियटी भाग भागेषु—

वेदतिय कोहमाणं माया संज्ञलण मेव सुहमंते ॥

(गोम्मटसार कर्मकांड गाथा २६८-२६९)

अर्थात् - अनिवृत्तिकरण— नवमें गुणस्थान के सबेद और अवेद भागों में क्रम से पुरुषवेदादि तीन तथा संज्वलन क्रोध, मान, माया ये तीन ऐसी छह प्रकृतियां उदयसे व्युच्छित होती हैं।

इन सत्त्वव्युच्छिति और उदयव्युच्छिति के कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और पुरुषवेद इन तीनों भाववेदोंका सद्ग्राव उदय और सत्त्व दोनों अपेक्षाओं से नवमें गुणस्थान तक रहता है। ऐसी अवस्था में प्रो० सा० का यह कहना कि वेद आठवें गुणस्थान तक ही रहते हैं, उससे ऊपर वेद नहीं रहता है, सर्वथा आगम विरह है।

इस उदय और सत्त्व व्युच्छिति के कथन से भी प्रो० सा० की इस बात का खण्डन हो जाता है कि आठवें, नवमें गुणस्थानों में जहाँ स्त्रीवेद का उल्लेख है वहाँ द्रव्यक्षी से प्रयोजन है। यदि इन आठवें, नवमें गुणस्थानों में स्त्रीवेदसे द्रव्यक्षी का यह किया जाय तो फिर नौवें गुणस्थान में इन तीनों वेदों की सत्त्वव्युच्छिति और उदयव्युच्छिति कैसे बताई गई है? जब व्युच्छिति हो जाती है तब आगे के दशवें आदि गुणस्थानों में अपगत-वेद कहलाता है। प्रो० सा० के कहने के अनुसार यदि द्रव्यक्षी भानी जाय तो द्रव्य-वेद तो चौदहवें गुणस्थानवक वहाँ तक ठहरता है जहाँ तक कि शरीर ठहरता है। द्रव्यवेद शरीर-रचना से जुदा तो नहीं है किर उस की व्युच्छिति तो हो ही नहीं सकती। वैसी

अवस्था में किसकी तो व्युच्छिति मानी जाय और क्या अपगत-वेद माना जाय ? सो तो प्र० सा० सोचें और विचार करें। आगम जिस बात का स्पष्ट रूप से बाधक है उस बात को बिना किसी आधार और युक्तिवाद के लिखना अयुक्त है।

खी-मुक्ति के सम्बन्ध में प्र० सा० ने जो दिग्म्बर जैनशास्त्रों के प्रमाण दिये हैं, उन सब प्रमाणों का संडन उन्हीं शास्त्रों से हम ऊपर अच्छी तरह सिद्ध कर चुके हैं। अब खी-मुक्ति के सम्बन्ध में जो उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार दृष्टान्त एवं युक्तियां दी हैं उनपर भी हम यहां विचार करते हैं।

प्र० सा० की युक्ति और दृष्टान्त इस प्रकार है—

“कर्म सिद्धान्त के अनुसार वेद-वैष्णव्य सिद्ध नहीं होता। भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगों की उत्पत्ति का यह नियम बतलाया गया है कि जीव के जिस प्रकार के इन्द्रिय ज्ञान का ज्योपशम होगा उसी के अनुकूल वह पुद्गल रचना करके उसको उदय में लाने योग्य उपांग की प्राप्ति करेगा। चक्षुरिन्द्रिय आवरण के ज्योपशम से कर्ण-इन्द्रियकी उत्पत्ति कदापि नहीं होती और न कभी उसके द्वारा रूप का ज्ञान हो सकेगा। इसी प्रकार जीव में जिस वेद का बन्ध होगा उसी के अनुसार वह पुद्गल-रचना करेगा और तदनुकूल ही उपांग उत्पन्न होगा। यदि ऐसा न हुआ तो वह वेद ही उदय में नहीं आ सकेगा। इसी कारण तो जीवम् भर वेद वदत्

नहीं सकता । यदि किसी भी उपांग संहित कोई भी वेद उदय में आ सकता तो कशायों व अन्य नो कशायों के समान वेद के भी जीवनमें बदलनेमें कौनसी आपत्ति आ सकती है ।”

प्र० सा० ने जो वेदों की विषमता का निषेध बताने में इन्द्रियों का दृष्टान्त दिया है वह आगम, हेतु और प्रत्यक्ष तीनों बातों से विरुद्ध है । इसमें पहली बात तो यह है कि एक ही जीवके पांचों द्रव्येन्द्रियों तो भिन्न २ होती हैं, परन्तु वेदोंको पौद्गलिक रचना एक जीव के भिन्न २ तीन संख्या में नहीं है एक जीव के शरीर में द्रव्यवेद एक ही होता है, इस लिये द्रव्येन्द्रिय की रचना में इन्द्रियों की और वेदों की कोई समता नहीं आती है । इसी प्रकार भावेन्द्रियोंमें और भाव-वेदों में भी समता नहीं है । क्योंकि ज्ञानावरण की उत्तर-प्रकृतियों में मतिज्ञानावरण आदि पांच भेद बताये गये हैं और पांचों भावेन्द्रियां मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम में ही गम्भित हो जाती हैं । परन्तु चारित्र मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों में तीनों भाववेदों का उल्लेख जुदा २ किया गया है, इस लिये इन्द्रियों और वेदों में द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से विरुद्ध रचनायें हैं । यदि द्रव्येन्द्रियां जैसे एक शरीर में पांचों बनी हुई हैं, वैसे यदि एक शरीर में द्रव्यवेद भी तीनों होते तो समता आ सकती थी परन्तु वैसी समता तो नहीं है ।

इस लिये इन्द्रियों में तो यह बात है कि जैसा बाह्य निमित्त उपयोग के लिये मिलता है वही नाम और वैसा उप-

योग उस भावेन्द्रिय का होता है। जिस इन्द्रिय का जो क्षयो-पशम होता है वह इन्द्रिय अपने बाह्य निमित्तभूत उसी द्रव्ये-निद्रिय द्वारा उपयोगात्मक बन जाती है। वहां जुदे २ पांचों ही बाह्य निमित्त हैं। परन्तु वेदों में तो ऐसा नहीं है, वहां तो इन्द्रिय-विधान से सर्वथा विपरीत ही रूप है। वेदों में भाववेद तो तीन हैं परन्तु एक जीव के द्रव्यवेद एक ही है। इस लिये तीनों भाववेदों का उदय व्यक्तरूप अथवा कार्यरूप होगा तो उसी एक बाह्य निमित्त द्वारा ही होगा। वहां भी यदि द्रव्येन्द्रिय के समान तीनों बाह्य निमित्त—तीन द्रव्यवेद होते तो तीनों भाववेद भी द्रव्येन्द्रियों की भिन्न २ रचना के समान अपने २ भाववेद का उदय अपने २ द्रव्यवेद द्वारा ही व्यक्त करते। परन्तु बाह्यवेद एक शरीर में एक ही है। इस लिये तीनों भाववेदों की व्यक्ति एक ही निमित्त द्वारा होती है।

इसी प्रकार यदि पांचों इन्द्रियों के स्थान में एक शरीर में यदि एक ही द्रव्येन्द्रिय होती तो पांचों भावेन्द्रियां उसी एक द्रव्येन्द्रिय निमित्त द्वारा ही उपयोग रूप हो जातीं परन्तु इन्द्रियां तो जुदी २ हैं। और न्याय सिद्धान्त का प्रसिद्ध एवं अकाट्य नियम है कि प्रत्येक कार्य अन्तरंग और बहिरंग कारणों से ही साध्य होता है। भाव की व्यक्ति द्रव्य बिना नहीं हो सकती है। और द्रव्य का उपयोग बिना भाव के नहीं हो सकता है। जहां जैसा निमित्त होता है उसी

के आधार पर उपादान शक्ति कार्य रूप परिणत हो जाती है। इस सब कथन से इन्द्रिय और वेदों का कोई दृष्टान्त दार्ढान्त-भाव सिद्ध नहीं हो पाता है। क्योंकि अन्तरंग और बहिरंग कार्य कलाप दोनों के सर्वथा विषम हैं।

दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार भावेन्द्रिय के ज्ञयोपशम के अनुसार अंगोपांग आदि नामकर्मों के उदय से द्रव्येन्द्रिय की निवृत्ति होती है उस प्रकार वेदों की रचना नहीं है। भाववेद नो कषायके भेदरूप पुंवेद स्त्रीवेद नपुंसक वेद के उदय से होता है और द्रव्यवेद नामकर्म के शरीर, अंगोपांग तथा निर्माण आदि कर्मोदय से होता है। ऐसा नहीं है कि भाववेद के उदय के अनुसार ही द्रव्यवेद की रचना होती है। यदि ऐसा होता तो जैसे एक जीव के तीनों भाव वेद उदय में आते हैं तो उनके अनुसार द्रव्यवेद भी एक जीव के तीनों बन जाते। परन्तु यह प्रत्यक्ष-आधित बात है। आगम में भी ऐसा नहीं बताया गया है कि भाववेद के अनुसार द्रव्यवेद की रचना होती है।

यही बात राजवार्तिक में स्पष्ट की गई है। यथा—

नामकर्म-चारित्रमोह-नोकषायोदयाद्वेदत्रय-सिद्धिः ।
नामकर्मणश्चारित्रमोहविकल्पस्य नोकषायस्य चोदयाद्वेद-
त्रयस्य सिद्धिर्भवति । वेदते हति वेदो लिङ्गमित्यर्थः ।
तल्लिंगं द्विविधं द्रव्यलिंगं भावलिङ्गव्यचेति । नामकर्मोदया-
योनिमेहनादि द्रव्यलिंगं भवति । नोकषायोदयाद्वाव-

लिंगम् ।

(तत्त्वार्थ राजवार्तिक पृष्ठ ११०)

इसका अर्थ यही है कि लिंग दो प्रकार होते हैं—
एक द्रव्यलिंग दूसरा भावलिंग । उनमें द्रव्यलिंग तो नाम कर्म
के उदय से होता है, उसकी योनि मेहन आदि शरीर में
नियत चिन्ह रूप रचनाहोती है । और चारित्र मोहनीय
के भेद नोकपाथ के उदय से तीन भाववेद होते हैं । यही
कथन ज्यों का त्यों सर्वार्थ-सिद्धि आदि ग्रंथों में भी है ।
अधिक प्रमाण देना व्यर्थ है । इतना ही पर्याप्त है । इन
प्रमाणों में यह बात कहीं भी नहीं मिल सकती है कि भाववेद
के उदय के अनुसार ही द्रव्यवेद की रचना होती है ।

‘इसी प्रकार जीव में जिस वेद का बन्ध होगा उसी के
अनुसार वह पुद्गल रचना करेगा और तदनुकूल ही उपांग
उत्पन्न होगा यदि ऐसा न हुआ तो वह वेद ही उदय में नहीं
आ सकेगा ।’

यह प्रो० सा० का लिखना ऊपर के हमारे बहुत
खुलासा कथन से सर्वथा खण्डित हो जाता है ।

प्रो० सा० ने अनुभव, युक्ति और आगमसे शून्य तथा
प्रत्यक्ष विरुद्ध अपनी बात को सिद्ध करने के लिये आगे और
भी जो लिखा है वह ऐसा है जिसे पढ़कर हर कोई हंसे बिना
नहीं रहेगा । और उनके कथन को प्रत्यक्ष-विरुद्ध सर्वथा
निराधार एवं निःसार समझेगा । पाठकों की जानकारी के

लिये उनके लेख की पंक्तियां हम यहां देते हैं—

“नौ प्रकार के जीवों की तो कोई संगति ही नहीं बैठती, क्योंकि द्रव्य में पुरुष और स्त्रीलिंग के सिवाय तीसरा तो कोई प्रकार ही नहीं पाया जाता जिससे द्रव्य नपुंसक के तीन अलग भेद बन सकें। पुरुष और स्त्रीवेद में भी द्रव्य और भाव के वैषम्य मानने में ऊपर बताई हुई कठिनाई के अतिरिक्त और भी अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। यदि वैषम्य हो सकता है तो वेद के द्रव्य और भाव-भेद का तात्पर्य ही क्या रहा? किसी भी उपांग विशेष को पुरुष या स्त्री कहा ही क्यों जाय? अपने विशेष उपांग के बिना असुक वेद उदय में आवेगा ही इस प्रकार? यदि आ सकता है तो इसी प्रकार पांचों इन्द्रिय ज्ञान भी पांचों द्रव्येन्द्रियों के परस्पर संयोग से पच्चीस प्रकार क्यों नहीं हो जाते? इत्यादि।”

पाठक ऊपर की प्रो० सा० की पंक्तियों को ध्यान से पढ़ लेवें। उनका कहना है कि स्त्रीवेद और पुरुषवेद तो ठीक है परन्तु नपुंसकवेद तो कोई द्रव्यवेद है ही नहीं। इस लिये द्रव्य नपुंसक के साथ जो अलग तीन भेद कहे गये हैं, वे नहीं बन सकते हैं। प्रो० सा० स्त्री पुरुषों के सिवा किसी को नपुंसक नहीं समझते हैं तो वे यह बतावें कि हीजड़ा लोग जो सर्वत्र पाये जाते हैं, नाचना, गाना जिनका पेशा है। उन्हें वे पुरुष समझते हैं या स्त्री? कन्या अथवा बालक का बाल्ल चिन्द शरीर में देखकर छोटा बालक भी कह देता है कि यह

कन्या है या बालक है। ऐसी दशा में हीजड़ा को क्या समझा जाय ? उसके तो कन्या के समान योनि रूप चिन्ह भी नहीं होता है और पुरुष के समान लिंग भी नहीं होता है, तब वह हीजड़ा प्रो० सा० की समझ के अनुसार कौन से लिंग में लिया जायगा ? जो बात बिलकुल प्रत्यक्ष सिद्ध है जिसके सर्वत्र हजारों दृष्टान्त हैं उस प्रत्यक्ष नपुंसक के रहते हुए भी प्रो० सा० कहते हैं कि 'द्रव्य खी और द्रव्य पुरुष के सिवा कोई नपुंसक द्रव्य लिंग होता ही नहीं है।' अहुत आश्र्य की बात है।

इसके सिवा यह भी प्रत्यक्ष बात है कि जो द्रव्यखी है वह द्रव्यपुरुष के साथ रमण करना चाहती है, जो द्रव्यपुरुष है वह द्रव्यखी के साथ रमण करना चाहता है। तथा जो द्रव्य नपुंसक है वह द्रव्यखी और द्रव्यपुरुष दोनों के साथ रमण करने की अभिलाषा रखता है। इसके सिवा इन तीनों द्रव्यलिंग वालों की कामाग्नि का संतुलन शास्त्रकारों ने तीन प्रकार की अग्नि से किया है। यथा—

“ऐवित्थी णेवपुमं णांसओ उहयलिंगविदिरितो ।

इट्टाचग्नि समाणग वेदणगुरुओ कलुसचित्तो ।

तिणकारिसिद्धपागग्निसरिसपरिणाम वेदणम्मुक्ता” ।

(गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा २७४-२७५)

अर्थ—जो न तो खी हो और न पुरुष हो ऐसे दोनों ही लिंगों से रहित जीव को नपुंसक कहते हैं। इस नपुंसक

के भट्टा में पकती हुई ईंट की अग्नि के समान तीव्र कशाय होती है। उसका चित्त सदैव कलुषित रहता है। पुरुष खी और नपुंसक तीनों की कामगिन का नरतम भाव शास्त्रकारों ने क्रम से तृण की अग्नि, कण्डे की अग्नि और ईंट के भट्टे की अग्नि के समान बताया है।

इस कथन से और उसी के अनुसार प्रत्यक्षमें हीजड़ों के देखने से जब नपुंसक द्रव्यवेदी मनुष्य पाये जाते हैं। तब ‘दो ही वेद हैं, तीसरा वेद कोई नहीं हो सकता है, उसके तीन भेद भी नहीं बन सकते’ आदि बातें प्र० साठ० की अनौखी सूफ़ मालूम होती है। क्या उन्होंने कर्म-सिद्धान्त को इसी रूप में समझा है और इसी गहरी सूफ़ और खोज के आधार पर ही वे भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य को कर्म-सिद्धान्त और गुणस्थान-चर्चा का जानकार एवं व्यवस्थित-विवेचक नहीं समझते हैं ?

नपुंसकवेद नहीं मानने से संमूर्छन-जन्म भी
सिद्ध नहीं होगा

येरइया खलु संदा णरतिरिये तिरिण होंति समुच्छा ।

संदा सुरभोगभुमा पुरसिच्छी वेदगा चेव ॥

(गोमटसार जीवकाण्ड गाथा ६३)

इस गाथा के अनुसार नारकी सभी नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं, मनुष्य तिर्यक्षोंमें तीनों वेद होते हैं, संमूर्छन जीव सभी नपुंसक लिंगी ही होते हैं। तथा देव और भोग-भूमि के जीव पुरुषवेदी और खीवेदी ही होते हैं। अर्थात्—

देव-नारकी, भोग-भूमिदा तथा संमूर्छेन जीव, उनका जो द्रव्यवेद होता है वही भाववेद होता है । विन्तु मनुष्य तिर्यङ्ग्रों में समता तथा विषमता है ।

इस कथन से भी नपुंसक वेद और वेदों की विषमता दोनों बातें सिद्ध होती हैं ।

प्रो० सा० नपुंसकवेद नहीं मानते हैं । खी और पुरुष में दो ही वेद मानते हैं । तब क्या संमूर्छनोंकी उत्पत्ति वे गर्भ से समझते होंगे ? क्योंकि मनुष्य तिर्यङ्ग्रों में जो खी पुरुष-वेदी होते हैं, उनकी उत्पत्ति गर्भ से ही होती है । संमूर्छेन भी मनुष्य तिर्यङ्ग्रों में ही होते हैं । फिर तो समूर्छेन जन्म भी उनके मतसे नहीं बनेगा ? शास्त्रकारोंने एकोद्रयसे चौद्दिन्द्री तक के जीवों को संमूर्छेन ही बताया है । पञ्चेन्द्रियों में तीनों जन्म बाले होते हैं । यह भी देखा जाता है कि दो-इन्द्रिय आदि जीव वेसन-छाछ आदि के योगसे तत्काल उत्पन्न हो जाते हैं । यदि वे जीव खी-पुरुषवेदी माने जावें तो फिर उनकी उत्पत्ति वेसन-छाछ आदि के संयोग से नहीं होनी चाहिये किन्तु गर्भ से ही होनी चाहिये । इन बातों का उत्तर प्रो० सा० क्या देंगे ?

इसके सिवा वृक्ष आदि बनस्पतियों में प्रो० सा० को खीवेद, पुरुषवेद का कोई चिन्ह प्रतीत होता है क्या ? होता हो तो वे प्रगट करें ? नहीं तो उन्हें नपुंसकवेद का अस्तित्व स्वीकार करना ही पड़ेगा । यदि वे यह कहें कि वृक्ष बनस्पति

के कोई लिंग नहीं होता तो यह बात कर्म-सिद्धान्त से सबोथा द वित है, कर्म-सिद्धान्त के अनुसार वृक्ष-वनस्पति आदि एकेश्रिय जीवों के अनन्तानुबन्धी कपाय एवं नपुंसकवेद नो-कषाय का बन्ध उदय सत्त्व बताया गया है। यदि वे उन जी रोंके भाववेद रुप उदय स्वीकार करते हैं तो उन्हें उनके द्रव्य वेद भी स्वीकार करना आवश्यक होगा। जब कि स्त्रीवेद-पुरुषवेद दो ही वेद वे स्वीकार करते हैं तो वृक्ष-वनस्पतियों में उनका बाह्य चिन्ह बतावे क्या है? शास्त्राधार से द्रव्य-नपुंसक लिंग के तो स्त्री पुरुष दोनों के बाह्य चिन्हों से रहित अनेक चिन्ह बताये गये हैं। उनमें देह रूप भी चिन्ह है वही एकेन्द्रिय के होता है। जैसा कि गोम्मटसार की वेद-मार्गणा की गाथाओं से स्पष्ट है।

हमने ऊपर आचार्य नेमिचन्द्र-सिद्धान्त चक्रवर्ती की गाथाओं का प्रमाण दिया है परन्तु प्र० सा० नपुंसकवेद का अभाव बताकर उससे सर्वथा विपरीत और प्रत्यक्ष-बाधित बात कह रहे हैं तब उक्त सिद्धांत-चक्रवर्ती आचार्य भी भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य के समान उनकी समझ में कर्म-सिद्धान्त के ज्ञानकार और व्यवस्थित-विवेचक नहीं ठहरे होंगे। हम पूछते हैं जैसा दिव्य गूढ़ तथा आगम एवं प्रत्यक्ष-विरुद्ध कर्म-सिद्धान्त का रहस्य उन्होंने कौनसे शास्त्रों से जाना है? सो तो प्रगट करें।

अब उनकी दो बातों का उत्तर भी इस प्रकार है—

पहली बात जो वे कहते हैं कि “यदि वैषम्य हो सकता है तो वेद के द्रव्य और भाववेद का तात्पर्य ही क्या रहा ?” तात्पर्य यही है कि एक द्रव्यवेद में अनेक भाववेद उदय में आ सकते हैं। इसी का नाम वैषम्य है और यह बात आगम से सिद्ध है। यह तो हम ऊपर ध्वलसिद्धान्त शास्त्र और गोमट-सारादि शास्त्रोंसे बहुत लुलासा कर चुके हैं। इसके सिवा इस द्रव्य और भाववेद के वैषम्य का परिष्कार प्रत्यक्ष अनुभव से भी सर्व आबाल-गोपाल प्रसिद्ध है। अनेक पुरुष, खियों के वेष-भूषा तथा चाल-ढाल आदि कियायें करते हुए देखे जाते हैं। अनेक खियां भी पुरुषों के समान वेश-भूषा और हाव-भाव बनाती हुई पाई जाती हैं। यह सब क्या है ?

द्रव्यवेद और भाववेद का ज्वलंत प्रत्यक्ष दृष्टान्त है। प्रो० सा० को विदित होना चाहिये कि इन भाववेदों के संस्कार-जनित वासनाओं के कारण असंख्यत भेद हो जाते हैं। महर्षियों ने संसारी जीवों की इन सब बातों को अपने दिव्य ज्ञान से अवधि एवं मनः-पर्यय ज्ञान से प्रत्यक्ष भी किया है, तभी ग्रन्थों में लिखा है और पूर्वाचार्यों के कथन का ही अनुसरण किया है। जिन आचार्यप्रवर नेमिचन्द्र सिद्धांत-चक्रवर्ती ने गोमटसार, लघ्विसार, चूपणासार आदि ग्रन्थों में कर्मों का उदय सत्त्व, बन्ध, उद्वेलन, संक्रमण, भागद्वार, त्रिभंगी, कूट-रचना आदि के द्वारा अत्यन्त सूक्ष्म एवं जटिल गम्भीर कर्म की गुत्तियों को सुलझाया है, वे कर्म-सिद्धान्त के

कितने मर्मज्ञ थे यह बात क्या हम लोगों से बर्णनीय है ?
बड़े बड़े महर्षिगण उसका महत्व बताते हैं ।

इसके आगे और भी विचित्र बात उन्होंने लिखी है ।
वे लिखते हैं कि—

“किसी भी उपांग विशेष को पुरुष या स्त्री कहा ही
क्यों जाय ?”

इस पंक्ति से उनका तात्पर्य यह है कि यदि पुरुष
और स्त्री संज्ञा, भाववेद की अपेक्षा से ही लेते हो तो फिर
खियों में चिन्ह विशेष (उपांग) द्वारा जो उनका नाम लिया
जाता है वह व्यर्थ है ?

इसके उत्तर में उन्हें समझ लेना चाहिये कि गुण-
स्थान-चर्चा में भाववेदकी अपेक्षा कथन है और द्रव्य की
अपेक्षा स्त्री-पुरुष संज्ञा उपांग की पहचान से ही रक्खी
जाती है ।

यदि चिन्ह विशेष के देखते हुए भी किसी को पुरुष
या स्त्री नहीं कहा जाय तो फिर स्त्री पुरुष का क्या तो लक्षण
होगा ? और किस नाम से उनका व्यवहार होगा ? और
स्त्री-पुरुष ये नाम और व्यवहार ही तो सृष्टि का मूलभूत हैं ।
इस सम्बन्ध में अधिक लिखना अनुपयोगी है । उत्तर पर्याप्त
है । आगे वे लिखते हैं कि—

“अपने विशेष उपांग के बिना अमुक वेद उदय में
आवेगा ही किस प्रकार ? यदि आ सकता है तो इसी

प्रकार पांचों इन्द्रिय ज्ञान भी पांचों द्रव्यइन्द्रियों के परस्पर संयोग से पचचीस प्रकार क्यों नहीं हो सकते ?”

इन पंक्तियोंका बहुत खुलासा उत्तर हम ऊपर सप्रमाण एवं सयुक्तिक दे चुके हैं, इस लिये पुनरुक्ति अथवा पिष्ट-करना व्यर्थ है।

खी-मुक्ति प्रकरण को समाप्त करते हुए प्रो० सा० ने फिर अपनी बात को दुहराया है। वे लिखते हैं कि—

“इस प्रकार विचार करने से जान पड़ता है कि या तो खीवेद से ही क्षपक श्रेणी चढ़ना नहीं मानना चाहिये और यदि माना जाय तो खी-मुक्ति के प्रसंग से चढ़ा नहीं जा सकता है। उपलब्ध शास्त्रीय गुणस्थान-विवेचन और कर्म-सिद्धान्त में खी-मुक्ति के निषेध की मान्यता नहीं बनती।”

इन पंक्तियों में कोई नई बात अथवा शास्त्रीय प्रमाण एवं युक्तिवाद नहीं है केवल अपनी बात को अन्त में दुहराया गया है। हम ऊपर इन सब बातों का सप्रमाण एवं सयुक्तिक उत्तर दे चुके हैं। और यह बात भली भांति सिद्ध कर चुके हैं कि भाववेदखी तथा द्रव्य-पुरुष ही क्षपक श्रेणी चढ़ सकता है, द्रव्यखी नहीं। इस सम्बन्धमें कर्म सिद्धान्त और गुणस्थानों का विवेचन भी हम कर चुके हैं। दिगम्बर शास्त्रों की मान्यता से खी-मुक्ति किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकती।

प्रो० सा० उपर्युक्त हमारे लेख से अपना समाधान कर लेंगे ऐसी हम आशा करते हैं। खी-मुक्ति के सम्बन्ध में

जो भी प्रमाण और युक्तियां प्र० सा० ने अपने लेखमें दी हैं उन सबों का खण्डन शास्त्राधार से हम कर चुके हैं।

अब कुछ और भी ऐसे हेतुओंको संज्ञेपमें यहां प्रगट करते हैं जिनसे द्रव्यखीका मोक्ष जाना असंभव ठहरता है, वे हेतु इस प्रकार हैं—

१-मोक्ष उसी शरीरसे हो सकती है जो पूर्ण सामर्थ्य-शाली हो, क्योंकि विना शुक्ल-ध्यान की प्राप्ति के न्यपक श्रेणी नहीं मादी जा सकती है और विना न्यपक श्रेणीके मोक्षकी प्राप्ति असंभव है। शुक्ल-ध्यानकी प्राप्तिका कारण—उत्तम संहनन है, यथा—

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमांतर्मुहूर्तात्
(श्री तत्त्वार्थसूत्र)

उत्तम संहननों में आदि के तीन संहनन लिये जाते हैं परन्तु उनमें भी मोक्ष प्राप्ति का साहात् कारण केवल बज्र-वृषभनाराच संहनन ही है। यथा—

बज्रवृषभनाराचसंहननं, बज्रनाराचसंहननं, नाराच-
संहननमेतत्त्रितयं संहननमुक्तमं, कुतो ध्यानादि-विशेष-वृत्ति-
हेतुत्वात्, तत्र मोक्षस्य कारणमाद्यमेकमेव ।

(तत्त्वार्थ राजवार्तिक पृष्ठ ३४८)

अर्थात्—आदि के तीन संहनन उत्तम हैं, क्योंकि वे ध्यान के साधन हैं। परन्तु मोक्ष का कारण केवल पहला संहनन ही है।

उपर्युक्त कथन से यह बात सिद्ध हो चुकी कि मोक्ष का कारण केवल पहला ब्रह्मवृषभनाराच संहनन ही है तो जिसके वह पहला संहनन नहीं है वह उस शरीर से मोक्ष जाने का सर्वथा अधिकारी नहीं है ।

द्रव्यस्थी के आदि के तीनों संहननों में से एक भी नहीं होता है उसके अन्तिम तीन संहनन होते हैं । यथा—

अन्तिम तिय संहणणसुदओ पुण कम्मभूमिमहिलाण ।

आदिम तिग संहणणं णत्थिति जिरोहिं णिहिटुं ॥

(गोम्मटसार कर्मकारण गाथा ३२)

अर्थ—कर्म भूमि की स्थियों के अन्त के तीन संहननों का ही उदय होता है । आदि के तीन संहनन उनके नहीं होते हैं, ऐसा श्री जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

इस गाथासे यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब स्थियों के आदि के तीन संहननों में से कोई भी नहीं होता है, तब वह ध्यान की पात्र ही नहीं है । और बिना ध्यानके क्षपक श्रेणी नहीं हो सकती है । अतः स्त्री मुक्ति प्राप्त करने की सर्वथा पात्र नहीं है ।

स्त्री के आदि के तीन संहनन नहीं होते यह बात जैसे शास्त्राधार से सिद्ध है उसी प्रकार युक्तिसे भी सिद्ध है । स्थियों के स्तन आदि होने के कारण शारीरिक रचना ही इतनी कोमल और शक्तिहीन होती है कि वह कठिन व्यायाम और कठोर आसन आदि के करने में भी सर्वथा असमर्थ है ।

बालक की उत्पत्ति का कारण गर्भाशय का होना भी उसकी हीन शक्तिक शरीर रचना का हेतु है। इसके सिवा शक्ति का मूल कारण शरीर में वीर्य होता है वह वीर्य ही प्रधान धातु माना गया है। परन्तु खो के वीर्य बनता ही नहीं है किन्तु रज मात्र बनता है। इस लिये वीर्य-शक्ति का अभाव होने से वह पुरुषों के समान पुरुषार्थ करने में सर्वथा असमर्थ है।

२—खो मोक्ष की अधिकारिणी नहीं है इसका दूसरा हेतु यह है कि वह सामर्थ्य कम होने से अथवा शरीर-संहनन हीन होने से वह सोलहवें स्वर्ग से अपर नवग्रैवेयिक अनुदिश और अनुत्तर विमानों में भी नहीं जा सकती है ऐसा नियम है। यथा—

सेवद्वेष य गम्मदि आदीदो चदुसु कप्पजुगलोत्ति ।

वत्तो दुजुगल जुगले स्वीलिय णाराय णदोत्ति ॥

(गोम्मटसार कर्मकाण्ड गाथा २६)

अर्थ—असंप्राप्त-सृपाटिक्ष (सबसे हीन संहनन अन्तिम) संहनन वाले आदि के चार युगल तक ही स्वर्गों में जा सकते हैं। कीलक संहनन वाले आगे के दो युगलों में उत्पन्न हो सकते हैं तथा अर्धनाराच संहनन वाले जीव उनसे भी आगे के दो युगलोंमें उत्पन्न हो सकते हैं। इस आर्ष भ्रमाण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि खो अधिक से अधिक अर्ध-नाराच संहनन होने के कारण सोलहवें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकती है। जब कर्म सिद्धान्त की व्यवस्था उसे सोलहवें

स्वर्ग से आगे जाने में भी बाधक है। क्योंकि उत्तम संहनन नहीं होने से वह सामर्थ्य हीन है तो फिर पूर्ण सामर्थ्य (केवल प्रथम संहनन) से प्रात होने वाली मोक्षकी अधिकारिणी वह विस प्रकार बन सकती है ? नहीं बन सकती ।

जिस प्रकार स्त्री सामर्थ्यहीन होने से सोलहवें स्वर्गसे ऊपर नहीं जा सकती है उसके प्रकार वह छठे नरक से आगे सातवें में भी नहीं जा सकती है। यहां पर नरक जाने का और मोक्ष जाने का कोई अविनाभाव नहीं है, किन्तु सामर्थ्य का विचार है। पूर्ण सामर्थ्य वाला ही सातवें नरक जा सकता है। अतः स्त्री सामर्थ्यहीन होने से मोक्ष की अधिकारिणी नहीं है।

३—स्त्री-मुक्ति में बाधक तीसरा हेतु यह भी है कि स्त्री पर्याय को इतना निन्द्य और हीन माना गया है कि फिर यदि किसी जीव के मनुष्यायु का बन्ध भी हो जाय परन्तु यीछे से उसको सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जाय तो वह जीव मरकर मनुष्यपर्यायमें जाकर पुरुष ही होगा। सम्यग्दर्शन सहित स्त्री-पर्यायमें नहीं जा सकता है। ऐसा नियम है। यथा—

“मानुषेणां त्रितयमध्यस्ति पर्याप्तकानामेव, नापर्य-
सक्तनाम्।”

(सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ११)

अर्थ—मानुषी के—द्रव्यस्त्री के तीनों ही प्रकार का सम्यग्दर्शन हो सकता है, परन्तु पर्याप्त अवस्था में ही हो

सकता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं । अर्थात्—खियों के अपर्याप्त अवस्था में कोई सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता है ।

इस कथन से यह बात भली भाँति सिद्ध हो जाती है कि खी-पर्याय इतनी निन्द्य पर्याय है जिसमें सम्यग्दृष्टि जीव मरकर जा नहीं सकता । तब वह पर्याय मोक्ष के लिये तो नितान्त अपात्र है ।

४—खी-मुक्ति में बाधक चौथा हेतु यह है कि वह सकल संयम (महाब्रत) धारण करने में उस पर्याय में सर्वथा असमर्थ है । उसके कई कारण हैं एक तो यह कारण है कि वह हीन शक्तिक होने से उत्तम संयम धारण नहीं कर सकती है । दूसरा कारण यह है कि उसकी शरीरकी अशुद्धि संयम धारण करने में पूर्ण बाधक है, क्योंकि उसके मासिक रजस्वाव समय पर अथवा असमयमें भी सदैव होता रहता है उस अवस्था में वह नितान्त अशुद्ध बन जाती है । यहां तक कि वह मुखसे प्रगट रूपमें शास्त्रीय पाठों का उच्चारण भी नहीं कर सकती है वैसी अवस्था में उसकी संयम की विशुद्धि कैसे रह सकती है ? नहीं रह सकती । इसी लिये खी को आर्यिका अर्थात् पंचम गुणस्थान तक पात्रता प्राप्त करने का ही अधिकार है । वह छठे गुणस्थान की महाब्रत की अधिकारिणी नहीं है । यथा—

देशब्रतान्वितैस्तासारोत्यते बुधैगततः ।

महाब्रतानि सज्जातिङ्गस्त्यर्थमुपचारतः ॥ सं. व. वि.

अर्थात्—खियों में देशब्रत ही हो सकते हैं। महाब्रतों का उनमें केवल उपचार किया जाता है। इसका मूल कारण यही है कि वह वस्त्रोंका परित्याग करने में सवेच्छा असमर्थ है। वह वस्त्र-त्याग करनेमें असमर्थ क्यों है? इसके कई अनिवार्य कारण हैं—एक तो यह कि स्त्री के शारीरिक अंगोपांग इस प्रकार के होते हैं कि जिन्हें देखकर दूसरों को विकार हो सकता है, उसे दूर करनेके लिये वस्त्र धारण करना आवश्यक है। दूसरे स्त्री में लज्जा स्वाभाविक धर्म है उसकी बाध्यता भी उसके वस्त्र-मोचनमें असमर्थ है।

तीसरे—स्त्रीको मासिक धर्म आदिकी प्राकृतिक शारीरिक मलिनता ऐसी रहती है जिसके लिये वस्त्र धारण करना उसके लिये आवश्यक है। इन सब कारणों से जब स्त्री इच्छापूर्वक वस्त्र धारण करती है तब सबस्त्र अवस्थामें उसके महाब्रत कैसे हो सकते हैं? अर्थात् नहीं हो सकते हैं। तथा नग्नताके बिना स्त्री के छठा गुणस्थान भी नहीं हो सकता है, फिर ज्ञपक श्रेणी एवं मोक्ष की बात तो कोसों दूर है।

स्त्रीणां संयमो न मोक्ष-हेतुः नियमेनद्विं-विशेषाहेतु-
तत्वान्यथानुपपत्तेः । यत्र हि संयमः सांसारिक-लब्धीनामप्य-
हेतुस्त्रासौ कथं निःशेषकर्म-विप्रमोक्ष-लक्षणं मोक्ष-हेतुः स्यान् ।
नियमेन च स्त्रीणामेव शृद्धिविशेषहेतुः संयमो नेष्यते । न तु
पुरुषाणाम् ॥

(प्रभेय कमल मार्ट्टण्ड पृ० ६४)

अर्थात्—खियों में इतना भी संयमभाव नहीं हो सकता है जो ऋद्धि विशेष को उनमें उत्पन्न कर सके तो फिर 'मोक्ष-साधक संयमकी प्राप्ति तो सर्वथा असम्भव है । खियोंमें उस प्रकार के संयम की प्राप्तिका सबैथा निषेध है । पुरुषोंमें निषेध नहीं है । आचार्य-धुरीण प्रभाचंद्र के कथन से भी 'खियों में संयम का अभाव और मोक्षका निषेध स्पष्ट सिद्ध है । खी को वस्त्र धारण करने से मोक्ष क्यों नहीं होती ? अथवा उसके महाब्रत क्यों नहीं हो सकते हैं ? इस बात का खण्डन हम आगे 'सबस्त्र अवस्थामें मुक्तिकी प्राप्ति सर्वथा असम्भव है' इस प्रकरण में करेंगे ।

इस लिये यहांपर इतना लिखना ही पर्याप्त है कि मोक्ष की साधन-भूत रत्नत्रय-रूप सामग्री की पात्रता नहीं होने से खी मोक्षाधिकारिणी नहीं हो सकती है ।

एक बात यह भी खी मुक्तिके निषेधमें बहुत महत्व-पूरण एवं खी-मुक्ति की जड़को ही उखाड़ देती है कि शास्त्रोंमें बताया गया है कि भावखी के ही संयम एवं मोक्ष प्राप्ति बताई गई है । द्रव्यखी के नहीं । क्योंकि मोक्ष के साधक संयम को प्राप्त करने वाला जीव खीलिंग का पहले ही छेद कर देता है । खी-पर्याय ही सर्वथा नष्ट हो जाती है । संयमीके लिये ऐसा विधान है कि जो रत्नत्रयादाधक पुरुष है वह अधिकसे अधिक ७-८ भवोंमें और जल्दी से जल्दी २-३ भवोंमें मुक्ति प्राप्त कर लेता है, परन्तु ऐसा रत्नत्रय का धारक पुरुष फिर खी

पर्याय में उत्पन्न ही नहीं होता है ।

अर्थात्—सम्यग्दर्शन सहित संयमी पुरुष मरकर खी पर्याय में कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता है । इस अवस्थामें जब मोक्षगामी पुरुष के खी पर्याय का ही सबंध अभाव हो जाता है तब खी के मोक्ष जाने की बात ही नहीं रहती है । जिसका बीज ही नहीं रहता उसका वृक्ष कहांसे होगा ? अतः द्रव्यखी के मोक्ष की प्राप्ति सर्वथा असम्भव है । यह बात हेतुवाद, युक्तिवाद एवं आगम प्रमाणों से सुनिश्चित एवं सुसिद्ध है । यह बात सभी चारित्र ग्रन्थों में एवं पुराण शास्त्रों में सुप्रसिद्ध है कि खी लिंग का पहले छेदन हो जाता है । खीलिंग का छेद हुए बिना संयम की प्राप्ति सर्वथा असम्भव है । इस सम्बन्ध में आचायवर्य प्रभाचन्द्र ने नीचे लिखे वाक्य बड़े महत्व के दिये हैं—

उदयश्च भावस्यैव न द्रव्यस्य खीत्वान्यथानुपपत्तेश्चासां
न मुक्तिः । आगमे हिं जघन्येन सप्ताष्टभिर्भवैरुत्पर्यण द्वित्रै-
र्जीवस्य रत्नत्रयाराधकस्य मुक्तिरुक्ता । यदा चास्य सम्यग्दर्शना-
राधकवं तत्प्रभृति सर्वासु खीष्टपत्तिरेव न संभवतीति कथं खी-
मुक्ति सिद्धिः ?

(प्रमेयकमल मार्त्तण्ड पृष्ठ ६५-६६)

इसका अर्थ ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है ।

इसी सम्बन्ध में भगवज्जिनसेनाचार्य आदि पुराणमें लिखते हैं :—

सहटेः स्त्रीष्वनुत्पत्तिः पृथिवीष्वपि षट्खधः ।
 त्रिषु देवनिकायेषु नीचेऽत्रन्येषु चांमित्रके ॥
 धिगिदं लैणमश्लाघ्यं नैर्गन्ध्यप्रतिबंधि यत् ।
 कारीषामिनिभं तापं निराहुसन्त्र तद्विदः ॥
 तदेतत्लैणमुत्सृज्य सम्यग्गाराघ्यं दर्शनम् ।
 प्रातासि परमस्थानं सप्तर्कं त्व—मनुकमात् ॥

(श्री आदिपुराण पर्व ६ पृष्ठ ३१६)

इन श्लोकों की हिन्दी टीका जो श्रीमान धर्मरत्न विद्वद्वर्य पं० लालाराम जी शास्त्री महोदय ने की है यह है—

“हे मातः ! सम्यम्हृष्टे जीव स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता है वथा दूसरे से सातवें तक नीचे के छह नरकों में, अवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क इन तीनों प्रकारोंके देवों में और एकेन्द्रिय, द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असैनी पञ्चन्द्रिय आदि अन्य नीच कुलों में भी कभी उत्पन्न नहीं होता है । इस निन्द्य स्त्री पर्याय को धिक्कार हो । यह स्त्री-पर्याय निर्गन्ध मुनियों का धर्म पालन करने के लिये प्रतिबन्धक है और इस पर्याय में विद्वानों ने कारीष जाति की अग्नि के (सूखे गोबर की अग्नि के) समान तीव्र काम का सन्तोष निरूपण किया है । हे मात ! अब तू सम्यम्दर्शन का आराधन कर और इस निन्द्य स्त्री पर्याय को छोड़कर अनुकम से उत्कृष्ट जाति श्रावक के ब्रत, वति के ब्रत, इन्द्रपद, चक्रचर्तीक्षेप पद, केवलाशान और निर्वाण इन सर्वो परम स्थानों को प्राप्त होगी ।”

इसी सम्बन्धमें आचार्य समन्तभद्र स्वामीने कहा है—
सम्यदर्शनशुद्धा नारकतिर्यङ् नपुं सकलोत्वानि ।
दुष्कुलपिकृताल्पायुर्दिद्रताञ्च ब्रजन्ति नायत्रिकाः ॥
(रतनकरण श्रावकाचार)

अर्थात्—अबत सम्यग्दृष्टि जीव मरकर नरक, तिर्यच नपुं सक और खीपर्याय तथा नीच कुल, विकृत शरीर, अल्पायु, दिद्रता को प्राप्त नहीं करते हैं। इससे खी पर्याय की नियता एवं संयम की अपाव्रता का परिचय स्पष्ट सिद्ध है।

संयमी और वस्त्रत्याग

प्रो० हीरालाल जी ने खी-मुक्ति के पीछे ‘संयमी और वस्त्रत्याग’ शीर्षक दंकर वह बताया है—“वस्त्र पहने हुए भी भयमी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।” इस सम्बन्ध में उन्होंने यह पर्कियां लिखी हैं—

“श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यतानुसार मनुष्य वस्त्रत्याग करके भी सब गुणस्थान प्राप्त कर सकता है और वस्त्र का सर्वथा त्याग नहीं करके भी मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। पर प्रवर्जित दिग्म्बर मान्यतानुसार वस्त्र के सम्पूर्ण त्याग से ही संयमी और मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। अतएव इस प्रिय वर शास्त्रीय चित्तन आवश्यक है।”

सब से पहले हम इस सवस्त्र संयम और सवस्त्र मोक्ष

प्राप्ति के सम्बन्ध में श्री कुन्दकुन्दाचार्यका मत प्रगट करते हैं—

निन्दचेल पाणिपत्तं उवैहुं परम जिणवरिदेहिं ।
 एकोवि मोक्षमग्नो सेसाय अमग्नया सव्वे ॥
 बालग्न कोडिमत्तं परिग्रहग्रहणं ण होइ साहूणं ।
 भुंजेइ पाणिपत्ते दिणणएणं इक्कटाणम्भि ॥
 जहजायरूबसरिसो तिलतुसमेत्तं न गिहदि हत्येसु ।
 जह लेइ अप्य बहुयं ततो पुण जाइ खिमोदं ॥
 जस्स परिमाहग्रहणं अप्यं बहुयं च हवै लिंगस्स ।
 सो गरहित जिणवयरो परिग्रहरहिओ निरायारो ॥
 पंचमहव्ययजुत्तो तिहि गुत्तिहि जो स संजदो होदि ।
 णिमांथ मोक्षमग्नो सो होदि हु बंदणिज्जोय ॥
 खवि सिजभइ वत्थधरो जिणसासणे जह विहोइ तित्थयरो ।
 णग्नो त्रिमोक्ष्म मग्नो सेसा उम्मग्नया सव्वे ॥

(भगवल्कुंदकुंदाचार्यः षट् प्राभृतादिसंग्रहे)

अर्थ—मुनि वर्ष रहित ही होते हैं और वे पाणिपात्र में ही भोजन करते हैं ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। मोक्षमार्ग एक निर्गन्ध लक्षण स्वरूप ही है। अर्थात् नन दिगम्बर स्वरूप ही मोक्षमार्ग है। बाकी के सब मत संसार के ही करख हैं।

बाल के अग्रमाण बराबर भी अज्ञादि परिग्रह का अहण दिगम्बर साधुओं के नहीं होता है। और एक स्थान में दूसरों से दिया हुआ अद्वार अपने हाथ में लेकर ही वे अहण

करते हैं। यथाजात रूप सर्वज्ञ वीतराग भगवान हैं, उन्हीं के समान दिगम्बर मुनि सर्वदा नग्न रहते हैं। बालकके समान भी नग्न कह सकते हैं। परन्तु नग्न रहने पर भी बालक वीतराग नहीं है। इस लिये वीतराग सर्वज्ञ भगवान के समान नग्न मुनियों को कहा गया है। वे अपने हाथों में तिलतुष पात्र परिग्रह भी प्रहण नहीं कर सकते हैं यदि थोड़ा भी प्रहण कर लंबें तो निगोद के पात्र बन जाते हैं।

श्वेताम्बरादि मतों का स्वरूप करते हुए भगवान कुन्दकुन्द कहते हैं कि जिसके यहां थोड़ा बहुत परिग्रह का प्रहण बताया गया है वह वेष महावीर भगवान के दिगम्बर शासन में निन्दनीय है। क्योंकि परिग्रह रहित ही अनगार मुनि होता है।

संयमी का लक्षण बताते हुए भगवान कुन्दकुन्द कहते हैं कि जो पञ्च महाब्रतों से सहित है, तीन गुमियों को धारण करता है वही संयमी कहलाता है। ऐसा निर्भन्थ नग्न वीतराग मुनि ही बन्दनीय है। क्योंकि मोक्षमार्ग निर्भन्थ ही होता है। इसी गाथा की संग्रह टीका में श्रीमत् श्रुत-सागरचार्य लिखते हैं—

“यः सप्रन्थमोक्षमार्गं मन्यते स मिथ्यादृष्टिर्जैनाभास-
आवन्दनीयो भवति ।”

अर्थात्—जो परिग्रह सहित मोक्षमार्ग को आनता है वह मिथ्यादृष्टि और जैनाभास है, वह कभी बन्दनीय नहीं

क्षे सकता है ।

इस सब कथन से बढ़कर भगवान् कुन्दकुन्द वज्र-सहित संयम अथवा मुनिपद मानने का घोर निवेद बरते हुए यहां तक कहते हैं कि और साधारण मुनि केवली आदि की तो बात ही क्या है यदि पञ्चकल्याणक प्राप्त करने वाले सीधे-कर भगवान् भी वज्रधारी हों तो वे भी संयम और मोक्ष-प्राप्ति कभी नहीं कर सकते हैं । ऐसा ही जैन शासन का सिद्धान्त है । क्योंकि मोक्षमार्ग सर्वथा नम है उसमें वज्र आभरण का सर्वथा त्याग है । बाकी जो सबल संयम और मोक्ष मानते हैं वे सब उन्मार्ग-मिथ्यामार्ग हैं ।

भगवान् कुन्दकुन्द के इस कथन से स्पष्ट सिद्ध है कि वज्र सहित अवस्था में संयम नहीं हो सकता है । फिर मोक्ष की प्राप्ति तो सर्वथा असम्भव है । इसका कारण भी यही है कि परिश्रद्ध को मूर्छा बताया गया है । अर्थात्—तिल मात्र भी परिश्रद्ध क्यों न हो वह ममत्व-बुद्धि करने वाला है और जहां ममत्वभाव है वहां वीतरागता नहीं आ सकती है । तथा विना वीतरागता के परम विशुद्धि आत्मा में नहीं हो सकती है । यदि वज्र सहित ही संयम हो जाता तो दिग्म्बर जैन धर्म में यह एकांत सर्वथा नियम नहीं होता कि विना सर्वेथा वज्र-त्याग किये जिनदीक्षा नहीं हो सकती है । जब तक वज्रों का सर्वथा त्याग नहीं किया जाता है तब तक आत्मा में संयम की प्राप्ति अथवा छठा गुणस्थान नहीं हो सकता है ।

भरत महाराज का वैराग्य घर में रहकर भी बहुत ही बढ़ा चढ़ा हो चुका था । परन्तु उन्होंने जब तक घर छोड़ कर वन में जाकर वस्त्व-त्याग नहीं किया, तब तक केवल-ज्ञान का साधक संयम भाव उनके जागृत नहीं हो पाया । वस्त्व-त्याग करते ही भटपट संयम की प्राप्ति हो गई और अन्तर्मुहूर्त में ही उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । वैराग्य की पराकाष्ठा होने पर भी भरत महाराज को घर में ही सवस्त्र अवस्था में केवलज्ञान क्यों नहीं हुआ ? इसका उत्तर यही है कि इच्छापूर्वक वस्त्र प्रहण होने से ममत्वभाव का पूर्ण त्याग तब तक नहीं हो सकता था ।

और की तो बात ही क्या ? तीर्थकर भगवान भी वैराग्य भावना भाते हैं परन्तु वे जब घर छोड़कर वनमें जा-कर वस्त्व-त्याग करते हैं तभी उनके छठा गुणस्थान—संयम प्राप्ति और मनःपर्येय ज्ञान उत्पन्न होता है । क्योंकि मनःपर्यय ज्ञान संयम के बिना नहीं होता है और छठा गुणस्थान वस्त्व-त्याग किये बिना नहीं होता है । यह कथन गुणस्थान क्रमकी अपेक्षा से है, भावों की विशुद्धि की अपेक्षा से पहले सातवां गुणस्थान होता है । इससे भली भांति सिद्ध है कि वस्त्वत्याग में ही संयम की प्राप्ति हो सकती है । अन्यथा नहीं ।

दिगम्बर जैन धर्म में जहां तक एक कौपीन (लंगोटी) मात्र भी प्रहण की जाती है वहांतक भी बीतराग मुनिपद नहीं

हो पाता है, किन्तु वहां तक वह उत्कृष्ट श्रावक ही कहलाता है।

वस्त्रों के विषय में श्री शुभचन्द्राचार्य ने एक श्लोक में ही बहुत कुछ सुलासा कर दिया है। वे लिखते हैं—

म्लाने ज्ञालयतः कुतः कृतजलाद्यारंभतः संयमः,
नष्टे व्याकुलचित्तताथ महतामप्यन्यतः प्रार्थनम् ।
कौपीनेपि हते परैश्च भट्टति क्रोधः समुत्पदते,
तन्नित्यं शुचि रागहृत शमवतां अस्ति कुब्जण्डलम् ॥

अर्थात्—यदि मुनि कपड़ा रखने लगे तो अनेक प्रकार की आकुलताएं उसके चित्त में चंचलता पैदा करती रहेंगी जैसे वस्त्र यदि मैला हो जाय तो धोना पड़ेगा, उसके लिये जल का आरम्भ करना पड़ेगा। आरम्भ करने से जीव-हिंसा होगी, संयम नष्ट हो जायगा। यदि वस्त्र नष्ट हो जाय तो चित्त में ज्ञोभ होगा, फिर दूसरे वस्त्र की चिन्ता होगी। आवकों से याचना करनी पड़ेगी। यदि कोई लंगोटी भी उठा ले जाय तो झट क्रोध उत्पन्न हो जायगा। चूहे काट द्वालें तो भी चित्त में खेद होगा। उस लंगोटीकी सम्हाल, रक्षा आदि सब बातों की चिन्ता करनी पड़ेगी। ऐसी दशा में कहां निराकुलता, कहां संयम, कहां बीतरागता; सब बातें नष्ट हो जाती हैं। इस लिये साधु का जैसा निवृत्ति मार्ग है उसके लिये दिशारूपी वस्त्र ही (दिग्म्बर नग्न रूप ही) उपर्युक्त सब आकुलताओं को एवं रागभाव को हटाने वाला है।

यह सब कथन कितना सुन्दर एवं बुक्तिपूर्ण है। अस्तु ।

अब हम यहां पर यह बता देना चाहते हैं कि जो वस्त्र-त्याग के सम्बन्ध में भगवान् कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है वही कथन सभी दिगम्बराचार्यों ने कहा है वही सब कुछ शास्त्रों में पाया जाता है। जो वस्त्र-त्याग का सिद्धान्त भगवान् कुन्दकुन्द ने कहा है वही दिगम्बर जैन धर्म का मोक्ष-प्रदायक मूल लिद्धान्त है अथवा जो दिगम्बर जैन धर्म का मूल लिद्धान्त है वही भगवान् कुन्दकुन्द ने कहा है। भगवान् कुन्दकुन्द का सिद्धान्त ही समस्त आचार्य और समस्त शास्त्रों का कथन है। किसी भी दिगम्बर जैनाचार्य के मत से सबस्त संयम एवं सबस्त मुक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है।

दिगम्बर जैनधर्म में जिस प्रकार शावक का स्वरूप बिना अष्ट मूल गुण के नहीं बन सकता उसी प्रकार मुनि का स्वरूप भी बिना अद्वाईस मूल गुणों के नहीं बन सकता है। अद्वाईस मूल गुणों में नम्रता प्रधान गुण है। और वह अवश्यम्भावी अनिवार्य गुण है। उसके बिना मुनिपद ही नहीं रह सकता है। यहां तक शास्त्रों में बताया गया है कि प्रमादादि कारणों से पुलाक जाति के मुनियों के कभी कदाचित् इन मूल गुणों में भी किसी गुण की विराधना हो सकती है परन्तु नम्रत्व गुण की विराधना नहीं हो सकती। जहां उसकी विराधना होगी वहां फिर मुनिपद ही नहीं रहेगा। इस कथन से यह बात स्पष्ट सिद्ध है कि दिगम्बर जैन सिद्धान्तानुसार साधु का स्वरूप बिना सर्वथा वस्त्र-त्याग किये नहीं बन

संकल्प है। इस लिये दिंगम्बर जैनवर्म में वस्त्र सहित अवस्था में संयम भाव, साधुपदं, बीतरामता एवं मांज प्राप्ति सर्वका असंभव है। साधुके अङ्गार्ह इस मूल गुणोंमें अचेलक (वस्त्र-सहित) का स्वरूप आचार्य बहुकेर स्वामी ने इस प्रश्नर कहा ॥—

अत्थाजिण वक्केण अहवा पत्ताद्विणा असंवरणं ।

सिद्धभूषण गिर्मन्थं अचेलकं जगदिपूङ्जं ॥

(मूलाचारं पृष्ठ १३)

आर्थ—कपाम, रेशम, रोम के बने हुए वस्त्र मृगछाला आदि चर्म, वृक्षादि की छाल, सन, टाट अथवा पत्ता, तुण आदि से शरीर को नहीं ढकना, कोई आभूषण नहीं पहनना, संयम के बिनाशक किसी भी परिश्रह को धारण नहीं करना ऐसा वस्त्रभूषण आदि सबों से रहित अचेलक त्रत (नप्रता) है। यह बीतराग नप्रता तीनों लोक के जीवों से पूज्य है। परम त्रिशुद्धता का साधक है। इस नप्रगुण से साधु पूर्ण ब्रह्मचर्य में दृढ़ रहता है, सिद्धवृत्ति से रहता है, नप्र गुण के कारण आरम्भ, परिश्रह हिंसा, प्रक्षालन दोष, याचना दोष आदि कोई भी दोष नहीं होता है।

और भी निर्गन्थ साधुओं के विषय में आचार्य बहुकेर स्वामी ने स्पष्ट लिखा है। यथा—

लिंगं वदं च सुही ।

(मूलाचारं पृष्ठ ३७)

इस गाथा की संस्कृत टीका में आचार्य वसुनंदि ने लिखा है—

“लिंगं निग्रेण्यरूपता, शरीर-सर्व-संस्काराभावोऽ
चेलकल्पलोच-प्रतिलेखन-प्रहण--दर्शनज्ञान-चारित्रतपोभावश्च
ब्रतान्यहिंसादीनि ।”

अर्थात्—वस्त्रादि रहित निर्ग्रन्थ लिंग, शरीर में सब
संस्कारों का अभाव, अचेलकल्प, नम्रता गुण, केशलोच,
मयूर पिण्डिका प्रहण, सम्यगदर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप
अहिंसादि पांच महाब्रत, ये सब दिंदो साधुओं के लक्षण हैं ।

जिस बात को भगवान कुन्दकुन्द ने कहा है उसी को
स्वामी बट्टकेर आचार्य ने कहा है । यथा—

सत्त्वारं भणियता जुत्ता जिणादेसिदम्मि धम्मम्मि ।

एय इच्छांति ममति परिग्रहे बालमित्तम्मि ॥

(मूलाचार पृष्ठ ४३)

अर्थ—दिगम्बर जैनधर्म में साधुओं का यही स्वरूप
है कि वे समस्त आरम्भ, समस्त परिग्रह से रहित होते हैं और
बालमात्र भी परिग्रह में उनका ममत्व नहीं होता है ।

वस्त्र-त्याग किये बिना मुनिपद नहीं हो सकता, इसके
लिये संयम विधायक सभी ग्रन्थ एकमत से प्रमाण हैं, उन सब
प्रमाणों को देने से यह लेख एक बड़ा शास्त्र बन जायगा, इस
लिये उन सब ग्रन्थों वा प्रमाण देना आवश्यक नहीं है । ऊपर
जो प्रमाण दिये गये हैं वे ही पर्याप्त हैं परन्तु भगवान कुन्दकुन्द

के वस्त्र-त्याग के विद्वान्त कथन से दूसरे दिगम्बर जैनाचार्यों के कथन भिन्न हैं, वे सबसे संयम भी बताते हैं। ऐसा जो प्रो० सा० कहते हैं, वहां पर हम उन्हीं के कथन पर विचार करते हैं।

प्रो० सा० सबसे-संयम मिथु करने के लिये नीचे लिखे दिगम्बर शास्त्रों के प्रमाण देते हैं। वे लिखते हैं कि—

“दिगम्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ ‘भगवती आराधनामें’ मुनि के उत्सर्ग और अपवाद मार्ग का विधान है जिसके अनुसार मुनि वस्त्र धारण कर सकता है। देखो गाथा (७६-८३) ।”

इन पंक्तियों से भगवती आराधना के आधार पर प्रो० सा० “साधु वस्त्र धारण कर सकता है” कहते हैं। परन्तु वे यदि भगवती आराधना की ७६-८३ गाथाओं का अर्थ अच्छी तरह समझ लेते तो मुनि को वस्त्र धारण करने की आव नहीं रहते। देखिये—

आवस्थे वा अपाउमो जो वा मद्भूत्या हिरिम ।

मिच्छजणे सजणे वा तस्स होजज अववादियं लिंगं ॥

(भगवती आराधना गाथा ७६)

इस गाथा का अर्थ यह है कि जो पुरुष अपने ऐसे निवास स्थान में रहता है जो अनेक जनों से भरा हुआ है। अर्थात् एकतं स्थान नहीं है। और जो स्वयं श्रीमान् है अर्थात् उड़ी हुई सम्पत्ति का स्वामी है वथा जो लज्जावान् भी है।

तथा जिसके बन्धु-बांधव व कुटुम्बीजन मिथ्यादृष्टि हैं ऐसे गृहस्थ के अपवाद लिंग ही होता है। अर्थात् वैसा गृहस्थ सबल ही रहता है। उसके लिये उत्सर्गलिंग के धारण करने की शास्त्राङ्का नहीं है।

इसका खुलासा अर्थ यह है कि लिंग दो प्रकार के होते हैं एक उत्सर्ग, दूसरा अपवाद लिंग। जिस लिंग में सर्वथा वस्त्रों का त्याग है, नप्रावस्था है वह उत्सर्गलिंग कहा जाता है। तथा जो उसके विरुद्ध सबर्कलिंग है उसे अपवादलिंग कहते हैं। मुनिगण तो सदा उत्सर्ग में ही रहते हैं, वे यदि अपवादलिंग धारण कर लेवे तो मुनिपद का ही अपवाद हो जाता है। अर्थात् सबसावस्था में मुनिपद ही नहीं ठहरता है। परन्तु गृहस्थ, विशेष अवस्था में उत्सर्गलिंग भी धारण कर सकता है और ऊपर कही हुई अवस्था में वह सबसा ही रह सकता है।

यहां पर भक्त प्रत्यास्त्वान समाधिमरण का प्रकरण है। मुनिगण तो सदैव उत्सर्गलिंग (वस्त्र-रहित नगरूप) में रहते ही हैं, इस लिये वे तो उत्सर्गलिंग वाले ही हैं। परन्तु जो गृहस्थ भक्त-प्रत्यास्त्वान-समाधिमरण धारण करता है तो उसके लिये यहां पर विचार है। उसी को ५६ वीं गाथा में भगवती आराधनाकार कहते हैं कि जो गृहस्थ अनेक मनुष्यों से भरे हुए अपने घर में ही रहता है और स्वयं वैभवशाली श्रीमान, लज्जावान भी है और जिसके बन्धु-बांधव मिथ्यादृष्टि

है तो ऐसा गृहस्थ उत्सर्गलिंग, अर्थात् वस्त्र-रहित अवस्था, नम्रता को धारण कहीं कर सकता । उसके लिये सबस्त्र रहनेकी ही शास्त्राक्षा है ।

यहां पर इस गाथा में गृहस्थ का ही विधान है यह बात गाथा के पदों से ही खुलासा हो जाती है । वैभवशाली मुनि नहीं होते, अनेक मनुष्यों से भरे हुए अपने निवास-स्थान पर मुनि नहीं रहते हैं । सदा नम्र रहने वाले मुनि लज्जावान भी नहीं होते हैं । तथा जब मुनि सब कुदुम्ब को छोड़कर जगल में रहते हैं तब उनके कुदुम्बी मिथ्यादृष्टि हों और उनके बीच में वह समाधिमरण धारण करें यह बात भी सबथा विपरीत है । इस लिये यह सब कथन भक्त-प्रत्याख्यान धारण करने वाले गृहस्थ के लिये है ।

दूसरी बात यह भी समझ लेनी चाहिये कि जब यहां पर भक्त-प्रत्याख्यान समाधिमरण का प्रकरण है तब समाधि-मरण के समय जब गृहस्थ को भी वस्त्रादि का त्याग कराया जाता है, कुदुम्बादि से ममत्व छुड़ाया जाता है, जो एकांत स्थान में रहने वाला हो, धन कुदुम्ब से ममत्व नहीं रखता हो, लज्जावान नहीं हो, वैसे गृहस्थ के लिये भी भक्त-प्रत्याख्यान समाधिमरण के समय वस्त्र-त्याग का, नम्र रहने का, अर्थात् उस अवस्था विशेष में उत्सर्गलिंग (मुनिवत) धारण करने की शास्त्राक्षा है और वैसा ही उपर्युक्त उसे निकटस्थ धार्मिक विद्वान देते हैं । जब गृहस्थ से भी वस्त्रों का त्याग कराया

जाता है तब भक्त-प्रत्याख्यान समाधि के समय सदा उत्सर्ग-लिंग, नम रूप में रहने वाले मुनिराजों को वस्त्र धारण करने की आशा हो सकती है क्या ? गृहस्थ तो वस्त्र छोड़े, जो सदा पहने रहता है और मुनिराज जो सदा नम रहते हैं वे समाधिमरण के त्यागमय समय में और ममत्वभाव सर्वथा छोड़ने के समय में उलटे वस्त्र धारण करें ?

इतना स्पष्ट अर्थ होने पर भी प्रो० सा० ने जो मुनि का वस्त्र धारण करना भी इस गाथा से प्रगट किया है सो इस गाथा के अर्थ से सर्वथा विपरीत है जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है ।

७६ वीं गाथा में सन्यास समय में गृहस्थ का ही अपवाद लिंग अर्थात् सबस्त्र वेष धारण करने की आशा है । मुनियों के लिये सर्वथा नहीं है, यद्य बात उसी गाथा के पदोंसे स्पष्ट हो जाती है । और वही बात ७७ वीं गाथा से भी स्पष्ट हो जाती है । पाठकों की जानकारी के लिये हम यहाँ पर ७७ वीं गाथा भी रख देते हैं—

उस्समियलिंगकट्टस्स लिंगमुस्समियं तयं चेव ।

अवचादियलिंगस्सचि पसत्थ मुवसमियं लिंग ॥

(भगवती आराधना गा० ७७)

अर्थात्—समस्त वस्त्रादि परिश्रद्ध के त्याग को (नम रूप को) उत्सर्गलिंग कहते हैं । मुनिगण उत्सर्गलिंगधारी ही होते हैं, जिस समय वे मुनिगण भक्त-प्रत्याख्यान सन्यास

धारण करते हैं तब भी उत्सर्गलिंग ही रहता है। इस गाथा की संस्कृत टीका में इसी भाव को यों स्पष्ट किया गया है।

सथा—

उत्सर्गः सक्लपरिग्रहत्यागः तत्र भवमौत्सर्गिकं तत्र
तक्षिणं च तत्र कृतः स्थितः तस्यथेभर्कं त्वक्तुभिञ्छोस्तदेव
प्रान्ग्रहीतमेव भवेत् ॥

अर्थात्—सक्ल परिग्रह त्याग रूप जो उत्सर्गलिंग मुनि के होता है। भक्त-प्रत्याख्यान सन्यास के समय में भी मुनि के बही उत्सर्ग लिंग रहता है।

परन्तु परिग्रह सहित लिंग को अपवादलिंग कहते हैं, अपवादलिंग श्रावक-श्राविकाओं के होता है। भक्त-प्रत्याख्यान सन्यास को यदि श्रावक-श्राविकाएं धारण करें तो दोष रहित अवस्था में वे भी उत्सर्गलिंग धारण कर सकती हैं। अर्थात् सन्यास के समय वे भी नम्न होकर उत्सर्ग लिंग धारण कर सकते हैं। यदि गृहस्थ नम्रता के लिये अयोग्य हो तो वह उत्सर्गलिंग धारण नहीं कर सकता है। किंतु अपवादलिंग सवस्त्रलिंग ही धारण करेगा।

प्रो० सा० जिस ५६ वीं गाथा का प्रमाण देकर मुनि की सवस्त्र सिद्ध करना चाहते हैं वह सवस्त्रता मुनि के लिये नहीं किंतु गृहस्थ के लिये ही है। यह बात उसी गाथा से स्पष्ट हो चुकी है और भी स्पष्टता के लिये हम नीचे लिखी गीथा देते हैं—

इत्थीवियं जं लिंगं दिङ्गं उस्समियं व इदरं वा ।
तं तह होदि हु जिंगं परित्त मुवर्विं करेतीए ॥

(भगवती आराधना गाथा ८१)

इसका अर्थ यही है जो प्रो० सा० की प्रमाण में दी दुई ७६ वीं गाथा का है । अर्थात् जो आविकाएँ हैं वे तो एकांत स्थान में सन्यास मरण के समय मुनिवत् नम्र रहकर उत्सर्गलिंग धारण कर सकती हैं । आविका भी सन्यास मरण के समय एकांत स्थान आदि अनुकूल सामग्री मिलने से उत्सर्गलिंग अर्थात् नम्रता धारण कर सकती है । परन्तु जो आविका सम्पत्तिशाली हो, लज्जा वाली हो तथा जिसके बांधव मिथ्यादृष्टि हों तो वह आविका अपवादलिंग ही रखेगी । अर्थात् सबस्त्र ही रहेगी । सम्पत्तिशाली, लज्जा वाली, अनेक मनुष्यों के समुदाय में घर में रहने वाली तथा मिथ्यादृष्टि बंधु-बांधव वाली आविका तथा ७६ वीं गाथा के अनुसार वैसा आवक गृहस्थ दोनों ही सन्यासमरण समय में भी उत्सर्गलिंग अर्थात् नम्र दिगम्बर मुनि लिंग नहीं धारण कर सकते हैं किन्तु सन्यासमरण भी वे सबस्त्र रहकर ही करें पेसी शाखाका है । इन ऊपर की गाथाओं से यह बात बहुत स्पष्ट हो चुकी कि जो मुनि की सबस्त्रता सिद्ध करने के लिये प्रो० सा० ने भगवती आराधना के ७६ वीं गाथा को भी मुनि की सबस्त्रता सिद्ध करने के लिये दिया है, वह भी उस गाथाके

अर्थ से सर्वथा विपरीत है । यथा—

गंथुच्चाश्रो लाघवमप्पद्गिलहणं च गदभयत्तं च ।

सं सज्जणपरिहारो परिकम्म विवज्जणा चेत् ॥

(भगवती आराधना द३ गाथा)

इस गाथा का अर्थ यह है कि परिग्रह का त्याग करने से मुनीश्वरों में लघुता आती है, अर्थात् जैसे परिग्रह वाले मनुष्य की छाती पर एक पबेत के समान बोझ सर बैठा रहता है वैसा वस्त्रादि रहित नम्न साधु के कोई बोझ नहीं रहता है । जिस प्रकार सबसे बाले को बख्तों का सोधना उन्हें स्वच्छ रखना आदि चिन्ता है, करनी पड़ती वैसी चिन्ता दिगम्बर मुनियों को नहीं करनी पड़ती, करण उनके मयूरपिण्डिका मात्र रहती है । जिस प्रकार वस्त्रधारी को सदैव भय रहता है, उन की सम्भाल रक्षा करनी पड़ती है, वैसा भय नम्न साधु के नहीं होता है । सबसा को जूएं लोक आदि जीवों का परिहार और वस्त्रों को धोना आदि आरम्भ करना पड़ता है, परन्तु निर्गन्ध दिगम्बर मुनि को ये सब आरम्भ नहीं करने पड़ते हैं । तथा वस्त्र धारण करने वालों को, उनके फट जाने पर या खो जाने पर दूसरे वस्त्रों की याचना करनी पड़ती है । उन्हें सीना, सुखाना, धोना आदि कियाओं में समय लगाना पड़ता है, साथ ही आरम्भादि-जनित प्रमाद व हिंसा का पात्र बनना पड़ता है, सामायिक आदि के धर्मसाधन में विघ्न, बधा एवं आकुलता हो जाती है, उस प्रकार की कोई वाधा दिगम्बर नम्न

मुनि के नहीं हो सकती ।

इस गाथा की टीकामें श्वेताम्बर साधुओं का खण्डन किया गया है अर्थात् श्वेताम्बर सातु वस्त्र धारण करते हैं इस लिये उनको वस्त्र धारण करने से आने वाले सभी दोष लगते हैं, परन्तु दिगम्बर नम सातुओं के एक भी दोष नहीं लगता है । क्योंकि उनके पास कोई परिग्रह नहीं रहता है ।

जिस प्रकार स्वामी कुन्दकुंदाचार्य की गाथा की टीका में आचार्ये श्रृत सागर ने श्वेताम्बर मत का खण्डन किया है, उसी प्रकार यहां पर भी श्वेताम्बर-मान्यता का अथवा सबूत-संयम की मान्यता का सहेतुक खण्डन किया गया है । परन्तु स्वेद है कि प्रो० सा० ने उसी ८३ वीं गाथा का प्रमाण सबूत-संयम सिद्ध करने के लिये देकर ग्रन्थ का सर्वथा विपरीत अर्थ किया है ।

भगवती आराधनामें सर्वत्र यही बात स्पष्ट की गई है कि वस्त्र त्याग ही मुक्ति प्राप्ति का उपाय है, उसके बिना संयम की प्राप्ति असम्भव है । मुक्ति के लिये तीर्थकरों ने वस्त्रत्याग किया था, वही उपाय मोक्ष के चाहने वाले सभी साधुओं को करना आवश्यक है । इनाचार, दृ०नाचार धारण करना जैसे परमावश्यक है । वैसे वस्त्रत्याग भी मुक्ति के लिये परमावश्यक है इत्यादि कथन आगे की ८५ से लेकर अनेक गाथाओं में तिया है । पाठकगण भगवती आराधना के उस प्रकरण को देख लेवें । यहां पर अब इससे अधिक लिखना अनाव-

श्यक है। लेख बढ़ने का भय भी है।

दूसरा प्रमाण सबसे संयम और मवब मुक्ति प्राप्ति के सिद्ध करने के लिये प्रो० सा० ने तत्वार्थसूत्र, सर्वार्थसिद्धि व राजवार्तिक ग्रन्थों के दिये हैं। वे लिखते हैं कि—

“तत्वार्थसूत्र में पांच प्रकार के निर्णयों का निर्देश किया गया है जिनका विशेष स्वरूप सर्वार्थसिद्धि व राज-वार्तिक टीका में समझाया गया है। (देखो अध्याय ८ सूत्र ४६-४७) इसके अनुसार कहीं भी वस्त्याग अनिवार्य नहीं पाया जाता, बल्कि बकुश निर्धन्य तो शरीर-संस्कार के विशेष अनुवर्ती कहे गये हैं।”

प्रो० सा० की ऊपर की पंक्तियों को पाठक ध्यान से पढ़ लेवें। उन्होंने तत्वार्थ के उक्त सूत्रों का प्रमाण देकर यह बताया है कि इन सूत्रोंमें मुनिके वस्त्याग अनिवार्य (जरूरी) नहीं पाया जाता है। वे सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक टीका वा भी प्रमाण इसी रूप में प्रगट करते हैं।

परन्तु उनका यह सब लिखना सर्वथा विपरीत है। मूल सूत्र—तत्वार्थसूत्र और उसकी टीका, सर्वार्थसिद्धि, राज-वार्तिक तथा श्लोकवार्तिक तोनों टीकाओंसे यह बात स्पष्ट सिद्ध है कि मुनि के लिये वस्त्रों का त्याग परमावश्यक है; बिवा वस्त्याग के उसे मुनिपद में प्रदण नहीं किया जा सकता है। इसी बात को हम नीचे तीनों ग्रन्थों से स्पष्ट करते हैं—

पहले तो मूल सूत्र को ही ले लीजिये—

पुलाकवकुशकुशीलनिर्गन्धस्नातका निर्गन्धाः ।

(तत्वार्थसूत्र ४६)

इसका यह अर्थ स्पष्ट है कि मुनि पांच प्रकार के होते हैं । उनके ये पांच भेद हैं—पुलाक, वकुश, कुशील, निर्गन्ध, स्नातक । ये पांच प्रकार के मुनि निर्गन्ध ही होते हैं अर्थात् उन पांचों के अन्य गुणों में तथा कथाय के तरतम भेदों में सो भेद रहता है, परन्तु नग्रत्व की दृष्टि से कोई भेद उनमें नहीं है । पांचों ही प्रकार के मुनि निर्गन्धलिंग-धारी नग्र दिगम्बर होते हैं ।

यह इस सूत्र का अर्थ है । अब सर्वार्थसिद्धि को देखिये—

“त एते पञ्चापि निर्गन्धाः । चारित्र-परिणामस्य प्रकर्षप्रकर्षभेदे सत्यपि नैगमसंप्रदादिनयापेक्षा सर्वेषि ते निर्गन्धाः इत्युच्यन्ते ।”

(सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ ३११)

इन पंक्तियों का यह अर्थ है कि पुलाक, वकुश, कुशील, निर्गन्ध स्नातक ये पांचों प्रकार के मुनि सभी निर्गन्ध अर्थात् वस्त्र-रहित नग्र दिगम्बर होते हैं । यद्यपि पांचों प्रकार के मुनिराजों में चारित्र की अपेक्षा विशुद्धि में तरतम भेद है । अर्थात् उन मुनियों की विशुद्धि में परस्पर हीनाधिकता पाई जाती है फिर भी नैगम संप्रदादिनयापेक्षा की अपेक्षा से वे पांचों ही निर्गन्ध (नग्र) हैं ।

सर्वार्थसिद्धि की इस ४६^८ सूत्र की टीका की ऊपर की पंक्तियों से यह बात सुलासा हो जाती है कि सभी मुनि नम ही होते हैं। गुणों में मुनियों में भेद है परन्तु नम सभी हैं। ‘कोई सबख हो, कोई बख रहित हो’ ऐसी बात किसी भी ग्रन्थ में नहीं है।

प्र० सा० का यह लिखना कि ‘बख-त्याग अनिवार्य नहीं पाया जाता’—मिथ्या है। सर्वार्थसिद्धि की इन पंक्तियों से बख-त्याग मुनिमात्र के लिये अनिवार्य एवं परमावश्यक है। बिना बख-त्याग किये पुलाक आदि पांचों मुनियों के भेदों में किसी का प्रहण नहीं हो सकता है और पांच भेदों के सिवा और छठा कोई मुनियों में भेद है, नहीं। इन्हीं में सब मुनियों का प्रहण हो जाता है।

अब राजवार्तिक को देखिये—

प्रकृष्टप्रकृष्टमध्यानां निर्पन्थाभावश्चारित्रभेदात् गृहस्थ-
वत् ६—यथा गृहस्थश्चारित्रभेदान्निर्पन्थव्यपदेशभाग् न भवति
तथा पुलकादीनामपि प्रकृष्टमध्यमचारित्रभेदान्निर्पन्थत्वं नोप-
पद्यते ? । न वा हृष्टवात् आहणशब्दवत् ५—न वैष दोषः कुतो
आहण-शब्दवत् यथा जात्या चारित्रध्ययनादिभेदेन भिन्नेषु
आहणशब्दो वर्तते तथा निर्पन्थशब्दोपि, किंच । हृष्टरूप-
समान्यात् ६—सम्यदशोनं निर्पन्थ-रूपश्च भूषादेशायुधविरहितं
सत्सामान्ययोगात् सर्वेषु हि पुलकादिषु निर्पन्थशब्दो युक्तः ।”

(तत्वार्थे राजवार्तिक सूत्र ४६ पृष्ठ ३५८)

इन पंक्तियों में पुलाकादि पांचों मुनियों के विषय में शंका उठा कर समाधान किया गया है वह इस प्रकार है—

जिस प्रकार गृहस्थों में भिन्न भिन्न प्रकार का चारित्र भेद होने से वे निर्गन्ध नहीं कहे जाते हैं, उसी प्रकार पुलाकादि पांचों प्रकार के मुनियों में भी उत्तम, मध्यम चारित्रभेद है, इस लिये वे भी सब निर्गन्ध नहीं होने चाहिये ?

इस शंका के उत्तर में आचार्य कहते हैं कि यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि जिस प्रकार चारित्र, अध्ययन (पठन-पाठन) आदि वातों से समस्त ब्राह्मणों में परस्पर भेद भी है फिर भी वे सभी ब्राह्मण ही कहे जाते हैं। उसी प्रकार पांचों मुनियों में परस्पर चारित्रभेद रहने पर भी सभी मुनि निर्गन्ध (नग्न) ही होते हैं।

इसी बात को आचार्य स्पष्ट करते हुए और भी कहते हैं कि सम्यग्दर्शन सबों में पाया जाता है और वस्त्र, आभरण, आयुध आदि परिग्रह रहित निर्गन्ध लिग नम्ररूप समस्त मुनियों में समान रूप से पाया जाता है। अर्थात् पांचों ही पुलाकादि मुनि सम्यग्दृष्टि हैं और सभी नम्ररूपधारी हैं।

तत्वार्थ राजवार्तिक की इन पंक्तियों में यह बाव सुलासा कर दी गई है कि दिग्म्बर जैन सिद्धान्तानुमार मुनि मात्र के लिये वस्त्र-त्याग अनिवार्य एवं प्रमुख मूल गुण हैं। उसके बिना मुनि ही नहीं कहा जा सकता। प्रो० साँ० का यह कहना कि 'वस्त्र-त्याग मुनियोंके लिये अनिवार्य नहीं है' सर्वथा

४६ वें सूत्र और राजवार्तिक, सर्वार्थसिद्धि आदि टीकाओं से विपरीत है ।

अब तीसरा प्रमाण तत्वार्थ—सूत्र के ४६ वें सूत्र का अर्थ श्लोकवार्तिक द्वारा भी हम स्पष्ट करते हैं—

पुलाकादा मता पञ्च निर्गन्धा व्यवहारतः ।
 निश्चयाच्चापि नैग्रेन्ध्य-सामान्यस्याविरोधतः ॥
 वस्त्रादिग्रन्थसम्पन्ना स्ततोन्ये नेति गम्यते ।
 बाह्यग्रन्थस्य सद्गावे ह्यन्तर्ग्रन्थो न नश्यति ॥
 ये वस्त्रादि-ग्रहेत्याहु निर्गन्धत्वं यथोदितम् ।
 मूर्च्छानुदभूतिस्तेषां स्थायादानेपि किं न तत् ॥
 विषयग्रहणं कार्यं मूर्च्छा स्यात्स्य कारणम् ।
 न च कारणविध्वंसे जातु कायेस्य संभवः ॥

(श्लोकवार्तिक सूत्र ४६ पृष्ठ ५०७)

श्रीमत् परब्राह्मभयंकर आचार्य विद्यानन्दि स्वामी ने मुनि के वस्त्र-त्याग का विधान अत्यावश्यक एवं अनिवार्य बताते हुए ऊपर की कारिकाएं लिखी हैं । इन कारिकाओं का अर्थ यह है—

व्यवहारनय से पांचों प्रकार के पुलाक आदि मुनि निर्गन्ध—नम्र माने गये हैं । निश्चयनय से भी सामान्य रूप से पांचों में निर्गन्ध पना है इसमें कोई सन्देह नहीं है । जो वस्त्र आदि परिग्रहयुक्त हैं वे किसी प्रकार के मुनि नहीं हो सकते हैं । अर्थात् मुनिपद विना-नम्रता के नहीं हो सकता

है। बाह्य परिप्रह के रहते हुए अन्तरंग परिप्रह कभी नष्ट नहीं हो सकता है। अर्थात् पहले बाह्य परिप्रह दूरकर निर्ग्रन्थ-अवस्था धारण की जायगी तभी अन्तरंग परिप्रह क्षयभाव नष्ट हो सकते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि बख्तादिके धारण करने पर भी मूळ्डा के नहीं उत्पन्न होने से निर्ग्रन्थभाव ही माना जाता चाहिये। अर्थात् कोई लोग यदि यह कहें कि मुनि बख्त भी धारणकर लें तो भी उनके ममत्वभाव नहीं होता है इस लिये उन बख्तधारी मुनि को भी निर्ग्रन्थ ही कहना चाहिये ? ऐसी कोई शंका करे तो उसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि यदि बख्त धारण करने पर भी ममत्वभाव (मूळ्डा) नहीं माना जाता तो फिर खी आदि के प्रहण करने पर भी ममत्वभाव नहीं मानो। अर्थात् यदि खी आदि के प्रहण में प्रमाद एवं मूळ्डा है तो इच्छा पूर्वक बख्त पहनने पर भी प्रमाद और मूळ्डा क्यों नहीं मानी जायगी ? क्योंकि खी और बख्त दोनों ही परिप्रह हैं। और यह नियम है कि बख्त आदि किसी भी परिप्रह का प्रहण बिना मूळ्डाधाव (ममत्वभाव) के कभी नहीं हो सकता है। जिसके ममत्व लगा हुआ है, शरीर से और बछों से ममत्व है वही बख्त धारण करेगा और जिसने शरीर और उसकी रक्षा के साधन बछों से थोड़ी भी ममत्वभाव नहीं रखा है वह उन बछों को क्यों प्रहण करेगा ? अर्थात् निर्मोही मुनि बछों को सर्दूँ छोड़ देते हैं। क्षयण का नाश होने पर कार्यका भी नाश हो जाता

है। ममत्वभाव ही वस्त्र आदि परिप्रह का कारण है जिसके ममत्वभाव नहीं रहता वह वस्त्रादि सभी परिप्रह का लाग कर देता है। इस लिये वस्त्र सहित अवस्था में निर्मन्थ रहा। मुनिपद कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। अतः पांचों शक्ति के मुनि वस्त्रादि परिप्रह के पूर्ण लागी होते हैं।

श्लोकवार्तिककार स्वामी विद्यानन्द ने बछलयाग के लिये ऊपर कितना जोरदार कथन किया है यह बात ऊपर के कथन से पाठकगण अच्छी तरह समझ लेंगे।

पात्रकेसरी स्तोत्र में लिखा है—

दिगम्बर धर्ममें वस्त्र-ल्याग अथवा नग्नता का ही विधान है। इस बात को आचार्य विद्यानन्द ने कितना सख्त कहा है—

जिनेश्वर न ते मतं पटकवस्त्रात्रप्रहो,

विमृश्य सुखकारणं स्वयमशक्तकैः कल्पितः ।

अथायमपि सत्यथस्तत्र भवेद्वृथा नग्नता,

न हस्तसुखमें फले सति तदः समाहस्ते ॥

(पात्रकेसरी स्तोत्र ४१)

अर्थात्—वस्त्रों का धारण करना और विष्णु के लिये अत्र का ग्रहण करना आदि बातें; हे जिनेन्द्र भगवन्! आप के मत में मान्य नहीं हैं। ये बातें तो दूसरे अशक्त मत वालों ने सुख का कारण समझ कर मान ली हैं। यदि वस्त्र धारण करना आदि आपके मत (दिगम्बर मत) में ब्रह्म मार्ग,

मोक्षमार्ग माना जाय तो फिर नग्रताका जो मोक्षमार्ग विधायक सिद्धान्त है वह व्यर्थ ठहरेगा ? वयोंकि जब हाथ से ही फल तोड़ लिया जाय तो फिर वृक्षपर चढ़ने की किसको आवश्यकता होगी ? इसी प्रकार जब वस्त्र धारण किये हुए भी मोक्ष मिल जाय तो फिर त्याग करने की क्या आवश्यकता रहेगी ? इस कथन से स्पष्ट है कि बिना दस्त-त्याग किये अथवा नग्रता धारण किये बिना मोक्ष-प्राप्ति असम्भव है, यही दिगम्बर मत का सिद्धान्त है ।

इसके आगे प्रो० सां० ने लिखा है—

“वकुश निर्ग्रन्थ तो शरीर संस्कार के विशेष अनुवर्ती कहे गये हैं, यद्यपि प्रतिसेवना कुशील के मूल गुणों की विराधना न होने का उल्लेख किया गया है । तथापि द्रव्यलिंग से पांचों ही निग्रन्थों में विकल्प स्वीकार किया गया है ।”

प्रो० सां० की इन पांक्तियों से मुनि सवस्त्र भी रह सकते हैं—यह बात कौन से शब्द या पद से सिद्ध होती है सो पाठकगण ही समझ लेवें । फिर पांचों ही निग्रन्थों में विवल्प कहां से सिद्ध होता है ? अर्थात् कहीं से भी नहीं होता । जबकि हम इन्हीं सूत्रों और सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक आदि प्रन्थों से पांचों प्रकार के मुनियों के वस्त्र-त्याग अनिवार्य और परमावश्यक सिद्ध कर चुके हैं तब ‘सवस्त्र भी मुनि रह सकते हैं’ इस विकल्प को कहीं भी स्थाननहीं है ।

रही वकुश मुनि के शरीर-संस्कार की बास; सो यह

आत्मीय भावों के रागांश का परिणाम है। कर्मसिद्धान्त के अनुसार और तदनुकूल गुणस्थान रूप रचना के अनुसार छठे गुणस्थान में संज्वलन कषाय का तीव्रोदय रहता है। उसके कारण मुनिराजों के रागभाव क्य होना सहज है। इसी लिये छठे गुणस्थान को 'प्रमत्त' कहा गया है। यहां पर कषायोदय से प्रमाद रहता है। अत एव बकुशा जाति के मुनि शरीर को स्वच्छ रखना चाहते हैं, यदि शरीर में धूल मिट्टी लग जाय तो वे उसे दूर कर देते हैं। उनकी ऐसी भी इच्छा रहती है कि कमरड़लु और पीछो भी उनकी नई हो, इस प्रकार का अनुराग उनके अभी कर्मोदय-वश बना हुआ है। परन्तु इस अनुराग के कारण 'वे वस्त्र भी धारण कर लेते हैं।' यह बात प्रो० सा० ने नहीं मालूम कैसे कह डाली। बकुशा मुनियों का लक्षण सर्वार्थ-सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक-वार्तिक तीनों ग्रन्थों में लिखा हुआ है, कम से कम उन्हें एक बार इन ग्रन्थों में उन बकुशा मुनियों के लक्षण को तो पहले देख लेना आवश्क था, तभी उन मुनियों के वे वस्त्रविधानकी बात लिखते।

पाठकों की जानकारी के लिये यहां पर हम उन बकुशा मुनियों का लक्षण प्रगट कर देते हैं—

नैग्रन्थ्यं प्रतिस्थिताः अखण्डितवताः शरीरोपकरण-
विभूशानुर्वर्तिनोऽविविक्तपरिच्छेदाः मोहशब्दयुक्ताः बकुशाः ।
(सर्वार्थसिद्धि सुन्न ४६ पृष्ठ ३११)

अर्थात्—जो दूर्ण निर्भय (नम) हों, जिनके ब्रत रुद्धित नहीं हों, अर्थात् जिनके अद्वाईस मूल गुणों में से किसी ब्रत की विरावना नहीं हो, लिन्तु शरीर और उपकरणों के सुन्दर रखने के अभिलाषी हों तथा परिवार से भी जिनका ममन्व पूर्ण रूप में दूर नहीं हुआ हो, इस प्रकार की लहरों से जो युक्त हों वे वकुश मुनि कहलाते हैं। यहां पर सबसे पहले “नैर्गन्ध्यं प्रतिमित्ताः” यह पद दिया गया है, इसका अर्थ यही है कि वे वकुश मुनि नम ही रहते हैं। जब उनके लक्षण में नमता का ही विधान है तब शरीर-संस्कार के अनुवर्ती कहने से उन्हें प्रो० सा० का ‘वस्त्र सृष्टि’ समझना सूत्राशय से सधेथा विपरीत है।

जो लक्षण ऊपर सर्वार्थसिद्धि में वकुश मुनियों का कहा गया है वही लक्षण राजवार्तिक में कहा गया है। इस लिये उसे भी यहां लिखा जाय तो लेख बढ़ेगा। अतः पाठक यहां स्वयं देख सकते हैं।

आगे प्रो० सा० लिखते हैं—

“भावलिगं प्रतीत्य पंच निर्गन्ध-लिगिनो भवन्ति द्रव्य-
लिगं प्रतीत्य भाज्याः ।

(तत्त्वार्थसूत्र अ० ८ सूत्र ४३ सर्वार्थसिद्धि)

इसका टीकाकारों ने यही अर्थ किया है कि कभी २ मुनि वस्त्र भी धारण कर सकते हैं,,।

ऊपर सर्वार्थ सिद्धि के दो वाक्य रखकर प्रो० सा० का

यह कहना कि “टीकाकारों ने इनका अर्थ भही किया है कि मुनि कभी कभी वस्त्र भी धारण कर सकते हैं” सर्वथा मिथ्या है। सर्वार्थे सिद्धि, राजवार्तिक और श्लोकवार्तिक प्रन्थ वही दीका पाठक देख ले दें।

उक्त दोनों वाक्यों का क्या अर्थ है इस बात को हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं—

पुलाक आदि पांचों प्रकार के मुनि भावलिंग की अपेक्षा तो पांचों निग्रन्थ-मुनि हैं। अर्थात् सम्बगदर्शन और केवल सञ्ज्ञलन कषाय के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोरशम-जनित संयम की दृष्टि से पांचों मुनि भावलिंगी हैं। क्योंकि पांचों के सम्बगदर्शन और संयम रहता है। परन्तु द्रव्यलिंग की अपेक्षा भेद हो जाता है, वह दो प्रकार से होता है। एक शरीर रचना की दृष्टि से, दूसरा कर्मोदय की दृष्टि से। शरीर रचना की दृष्टि से तो मुनिपद केवल द्रव्य पुरुषवेद से ही होता है। दूसरे खो आदि द्रव्यलिंग से मुनिपद की पात्रता नहीं आती है।

कर्मोदय की दृष्टि से यह भेद हो जाता है कि कोई पुरुष मुनिपद तो धारण कर लेवे और बाह्य क्रियायें भी सब मुनिपद के समान करता रहे किंतु मिथ्याल्प कर्म के उदय में वह भावों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि हो तो वह द्रव्यलिंगी मुनि बहा जायगा, भावलिंगी नहीं कहा जायगा। क्योंकि उसके सम्बगदर्शन व संयम नहीं है। ऐसा द्रव्यलिंगी मुनि पुलाक

आदि पांचों भेदों में गर्भित नहीं हो सकता । क्योंकि पुलारु आदि पांचों प्रकार के मुनि तो सम्यग्दर्शन सहित और संयमी होने वाले भावलिंगी मुनि हैं ।

दूसरा द्रव्यलिंगी मुनि वह भी होता है जो मुनिपदमें रहता है, उसके सम्यग्दर्शन भी होता है परन्तु प्रत्याख्याना-बरण कषाय का उदय रहने से उसके संयम भाव नहीं होता है, ऐसा भी मुनि कहा जाता है । क्योंकि भावलिंगी मुनि के तो केवल संज्वलन कषाय का ही उदय रहता है, अतएव वह संयमी होता है । बस यही “द्रव्यलिंगं प्रतीत्य भाज्याः” का खुलासा अर्थ है । यहां पर यह बात भी खुलासा हो जाती है कि द्रव्यलिंगी मुनि भी भले ही मिथ्यात्व कर्म के उदय से अंतरंग में मिथ्यादृष्टि हो, परन्तु वह भी नम दिगम्बर ही होता है । द्रव्यलिंगी मुनि भी कभी वस्त्र धारण नहीं कर सकता है । यदि वस्त्र धारण कर लेवे तो उसे द्रव्यलिंगी भी मुनि नहीं कह सकते हैं । क्योंकि वस्त्र-त्याग किये बिना तो मुनिलिंग ही नहीं कहा जाता है । इस लिये दिगम्बर जैन सिद्धान्तानुसार मुनि पद में वस्त्र-त्याग अनिवार्य है ।

आगे प्रोफेसर साठे ने लिखा है कि—

“मुक्ति भी सप्रन्थ और निर्प्रन्थ दोनों लिगों से कही गई है—

निर्प्रन्थलिंगेन संग्रन्थलिंगेन वा सिद्धिभूतपूर्वनया-
पेच्छया । (तत्वार्थसूत्र अ० १० सर्वार्थसिद्धि)

यहां भूतपूर्व का अभिप्राय सिद्ध होने से अनन्तर-पूर्व का है ।”

प्र० सा० ऊपर की पंक्ति लिखकर संग्रन्थलिंग (वस्त्र सहित होने) से भी मुक्ति का होना बताते हैं और सर्वार्थसिद्धि के १० वें अध्याय की पंक्ति को प्रमाण में प्रगट करते हैं । परन्तु उनका सवाललिंग से मोक्ष की सिद्धि मानना भी सर्वथा मिथ्या है । मालूम होता है कि तत्त्वार्थसूत्र एवं सर्वार्थसिद्धि की पंक्तियों पर आपने यथेष्टु ध्यान नहीं दिया है । अस्तु

जिन पंक्तियों से वे वस्त्र सहित अवस्था में मोक्ष बताते हैं उनका खुलासा अर्थ हम नीचे लिखते हैं—

१० वें अध्याय के ६ वें सूत्र में आचार्ये उमास्वामी ने यह बतलाया है कि सिद्ध पद अथवा मोक्ष प्राप्ति में साक्षात् तो कोई भेद नहीं है, सभी सिद्ध अनन्त गुणधारी, अमूर्त एवं पूर्ण विशुद्ध हैं, सभी सनान हैं, सभींके अष्ट कर्म और शरीर नष्ट हो चुका है । इस लिये ज्ञायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, यथार्थ्यात् चारित्र, ज्ञायिकदर्शन, अगुरुलघु, अव्यावाध, सृद्ध अवगाहन आदि अनन्त विशुद्ध गुण सबों में बराबर हैं, उन में कोई भेद बतेमान नय की अपेक्षा से नहीं है ।

परन्तु भूतपूर्वे नयकी अपेक्षा से उनमें परस्पर भेद है जैसे कोई सिद्ध जन्म्य द्वीप से मोक्ष गये हैं, कोई धातकी स्वरूप से गये हैं । ज्ञान की अपेक्षा कोई दो ज्ञानों से मोक्ष गये हैं, कोई तीन वा चार ज्ञानों से मोक्ष गये हैं, अर्थात् किसी को

मति श्रुत दो ज्ञानों के बाद ही केवलज्ञान होकर सिद्ध पद हो जाता है किसी को अवधि अथवा अवधि मनपर्यय होकर फिर केवलज्ञान से सिद्धपद होता है । साक्षात् तो केवलज्ञान से ही सिद्ध पद होता है । परन्तु भूतपूर्व नय से मतिज्ञानवदि से भी परम्परा सिद्धपद होता है । इसी प्रकार साक्षात् तो निग्रन्थ-लिंग (भावलिंग और नम दिगम्बर लिंग) से ही मोक्ष होती है । परन्तु भूतपूर्व नय की दृष्टि से सबखलिंग से भी मोक्ष होती है । इसका अर्थ यही है कि निग्रन्थलिंग धारण करनेके पहले गृहस्थ सबखल रहता है । परन्तु वर्तमान मोक्षप्राप्ति निग्रन्थ लिंग से ही होती है । यदि वर्तमान में—साक्षात् भी सबखल-लिंग से मोक्ष मानी जाय तो चिना केवलज्ञान प्राप्त किये मतिज्ञान, श्रुतज्ञान से भी मोक्ष माननी पड़ेगी ?

इसी विषय को राजवार्तिककार श्रीमद्दाक्षिण्यने स्पष्ट किया है । यथा—

वर्तमानविषयविवर्जयां अवेदत्वेन सिद्धिर्भवति अतीत-
गोचरनयामेवया अविशेषेण द्विभ्यो वेदेभ्यः सिद्धिर्भवति,
भावं प्रति, न तु द्रव्यं प्राप्त । द्रव्यापेक्षया तु पुण्डिगेनैव सिद्धिः ।
अपरः प्रकारः— लिंगं द्विविधं निग्रन्थलिंगं सप्रनग्नलिंगं चेति
तत्र प्रयुत्पद्मः नयाशयेण निग्रन्थलिंगेन सिद्ध्यति, भूतविषय-
लयादेशेन तु भजनीयम् ।”

(राजवार्तिक पृष्ठ ३३६)

रात्माज्ञ नय की अपेक्षा से तो अवेद से सिद्ध पद

होता है और भूत नय की अपेक्षा से सामान्य रूप से तीनों वेदों का ग्रहण भाववेद का है, द्रव्यवेद से तीनों वेद मोक्ष के हेतु नहीं है। द्रव्यवेद तो मुक्ति के लिये केवल पुंचेद है।

लिंग दो प्रकार है—निर्मन्थलिंग और सप्रन्थलिंग। वर्तमान नय की दृष्टि से तो निर्मन्थलिंग से ही मोक्ष होती है भूतपूर्व नय की दृष्टि से भजनीय है। यहां पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि यदि सबस्त्र अवस्था से भी मोक्ष प्राप्ति होती तो वर्तमान नय की अपेक्षा (साक्षात्) से भी सप्रन्थलिंग से भी मोक्ष का विधान किया जाता परन्तु सबंत्र साक्षात् मोक्ष प्राप्ति तो निर्मन्थलिंग से ही बताई गई है। और भूतपूर्व नय की अपेक्षा से तो चारों गतियों से मोक्ष-प्राप्ति बताई गई है। यथा—

“तत्रानन्तर-गतौ मनुष्यगतौ सिध्यति, एकान्तरगतौ चतुर्सूषु गतिषु जातः सिध्यति ।”

(२० वा० ३६६)

अर्थात्—अनन्तर गति की अपेक्षा से तो मनुष्य गति से मोक्ष होती है और एकान्तर गति की अपेक्षा से चारों गतियों में उत्पन्न जीव मोक्ष जा सकता है। जैसे सबस्त्र मोक्ष प्राप्ति प्रो० सा० बताते हैं वैसे उन्हें तिर्यक्ष, नरक और देवगति से भी साक्षात् मोक्ष प्राप्ति बतानी पड़ेगी। परन्तु यह सब कथन भूतपूर्व नय की अपेक्षा से हैं उसे नहीं समझकर ही प्रो० सा० ने सप्रन्थ लिंग से मोक्ष प्राप्ति बता दी है। परन्तु

उनका यह कहना और समझना सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक आदि सभी ग्रन्थों के सर्वथा विपरीत है।

आगे प्र० सा० ने सबख मोक्ष-सिद्धि के लिये धबल सिद्धान्त ग्रन्थ का प्रमाण दिया है। वे लिखते हैं—

“धबलाकार ने प्रमत्त संयतों वा स्वरूप बतलाते हुए जो संयम की परिभाषा दी है उसमें केवल पांच ब्रतों के पालन का ही उल्लेख है—“संयमो नाम हिसाइनृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रह-ध्यो निरतिः ।”

पाठकगण ऊपर की पंक्तियों को पढ़ लेवें, प्र० सा० ने धबल सिद्धान्त ग्रन्थ का कितना जबर्दस्त प्रमाण सबख मोक्ष प्राप्ति के लिये दिया है? साधारण जनता तो समझेगी कि धबल सिद्धान्तकार भी सबख मोक्ष बताते होंगे परन्तु वास्तव में वात इसके सर्वथा विपरीत है। ऊपर जो धबल की पंक्ति है उससे इतना ही सिद्ध होता है कि हिंसादि पांच पापों का त्याग करना संयम कहलाता है। इससे वस्त्र सहित भी मोक्ष होती है यह वात उन्होंने कौन से पद या बीजान्नर से जान ली? यदि वे यह समझते हों कि पांचों पापों का त्याग करने से ही मुनि के संयम हो जाता है, उसमें वस्त्र-त्याग का अर्थवा नग रहने का कोई विधान नहीं है तो इस प्रकार की समझ के उत्तर में हम यह पूछते हैं कि जब पांच पापों को छोड़ना मात्र ही संयम है तब वह संयम मुनि का होगा या गृहस्थ का। क्योंकि पांच पापों का त्याग एक देश ग्रहण भी

करता है और सर्वदेश मुनि करता है। इस पंक्ति में सर्व-
देश, एकदेश की कोई बात नहीं है। दूसरे मुनि केशलोच
करता है, भूमि-शयन करता है, एक बार खड़े होकर अन्तराय
टाज कर नवधार्मकि पूर्वक आहार लेता है, चौमासे में जगह
जगह विहार नहीं करता है इत्यादि बातें भी मुनि के संयम में
गर्भित हैं या नहीं ? यदि हैं तो वे किस आधार से या किस
प्रमाण से मानी जायगी ? जब कि संयम का स्वरूप केवल
पांच पापों का त्याग मात्र है, इसका समाधान प्रो० साठ क्या
करेंगे ? फिर मुनि का अट्टाईस मूल गुण धारण करना
परमावश्यक एवं अनिवार्य लक्षण है सो कैसे चलेगा ? अट्टाईस
मूल गुणों में अचेलक्त्व (नग्रत्व) गुण प्रधान माना गया है
उसके लिये एक नहीं सभी शास्त्र जो मुनि स्वरूप-निरूपक हैं।
इन सब बातों पर ध्यान नहीं देकर केवल धवला की एक पंक्ति
पकड़कर अपने मन्तव्य की सिद्धि की जाती है और धवल-
मिद्धान्त प्रन्थ का प्रमाण बताया जाता है यह बहुत बड़ा
आश्चर्य है ।

प्रो० साठ को जानना चाहिये कि धवला के जिस
१७६ पृष्ठ पर संयम का उल्लेख है उसी के आगे १७७ वें पृष्ठ
में यह पंक्ति है—

“द्रृढः-संयमस्य नात्रोपादानमिति कुतोऽवगम्यते इति
चेत्सम्याङ्गात्मा श्रद्धाय यतः संयम इति व्युत्पत्तिस्तदवगतेः ।”

(धवलमिद्धान्त पृष्ठ १७७)

इन पंक्तियों का अर्थ भी जो उसी धबला में छपा हुआ है वह ही अर्थ यहां रख देते हैं—

“यहां पर द्रव्य संयम का प्रहण नहीं किया गया है। यह कैसे जाना जाय ?

समाधान—क्योंकि भले प्रकार जानकर और श्रद्धान-
कर जो यम सहित है उसे संयत कहते हैं, संयत शब्द की इस
प्रकार व्युत्पत्ति करने से यह जाना जाता है कि यहां पर द्रव्य
संयम का प्रहण नहीं किया गया है।”

इन पंक्तियों से जो कि धबला में ही छपी हुई हैं स्पष्ट
सिद्ध है कि जो पांचों पापों का त्याग रूप संयम है, वह भाव-
है, द्रव्यभंयम दूसरा ही है। प्रो० सा० को इस कथन से वह
समझ लेना चाहिये कि मुनि का वस्त्र-त्याग, नग्न रहना,
पिच्छका रखनी; कमण्डलु रखना यह सब द्रव्यसंयम का
स्वरूप है। भावसंयम का उल्लेख करके यह कहना कि इसमें
वस्त्र-त्याग कहां है एक अद्भुत बात है।

इसके सिवा जो भावसंयम धबलसिद्धांत से प्रो०
सा० पांच पापों का छोड़ना मात्र बताते हैं सो भी नहीं है।
देखिये—

“अथवा ब्रतसमितिकषायदेद्वियाणां धारणानु-
पालननिप्रहत्यागजयाः संयमः ।”

(धबलसिद्धांत पृष्ठ १४४)

अथवा ब्रतों का धारण करना, समितियों का पालन

[१०६]

करना, कथायों का निग्रह करना, मन-वज्रन-क्रय इन दीन दण्डों का त्याग करना तथा पांचों इन्द्रियों पर विजय करना, यह भी संयम है ।

प्रो० सा० केवल ब्रतों का नाम ही संयम बताते थे किन्तु उसी धबल में दूसरे भी संयम के भेद हैं किर इतना ही नहीं है, उत्तम ज्ञाना आदि दश धर्म भी संयम हैं । परीष्ठ जय भी संयम है । सायायिक छेदोपस्थापना आदि चारित्र भी संयम हैं । ये सभी संयम के स्वरूप हैं । परन्तु प्रो० सा० ने धबलसिद्धान्त का नाम देकर केवल ब्रतों को संयम बता कर यह सिद्ध करना चाहा है कि वस्त्र-त्याग संयम में नहीं है सो उनका वैसा कथन विपरीत है । द्रव्यसंयम और भाव-संयम के अन्तर को उन्हें समझना चाहिये, साथ ही पांच ब्रत मात्र ही भावसंयम नहीं है किन्तु भावसंयम के अनेक भेद हैं । अठारह हजार शील के भेद, लाखों उत्तर गुण ये सब भावसंयम के भेदों में गम्भित हैं ।

बस जिन प्रन्थों के प्रमाणों से प्रो० सा० ने सबसे संयम और सबसे मोत-सिद्ध विधान बताया है उन सब प्रन्थों के बे ही प्रमाण उनके कथन के सर्वथा विपरीत—वस्त्र-त्याग के अनिवार्य विधायक हैं उन सब प्रन्थों से यह कात मिछ हो जाती है कि विना वस्त्र-त्याग किये संयम का होना एवं मुक्ति का पाना सबैथा असम्भव है ।

आगे इस प्रकरण के अन्त में प्रो० सा० लिखते हैं कि—

“इस प्रकार दिगम्बर शास्त्रानुसार भी मुनि के लिये एकान्ततः वस्त्र-त्याग का विधान नहीं पाया जाता, हाँ कुन्दकुन्दाचार्य ने ऐसा विधान किया है पर उसका उक्त प्रमाण ग्रन्थों से मेल नहीं बैठता ।”

प्रोफेसर साहब ने अपने कथन की सिद्धि में जो प्रमाण दिये थे उनका वे अर्थ नहीं समझे हैं हमने ऊपर यह स्पष्ट दत्ता दिया है । उन्होंने एक भी दिगम्बर ग्रन्थका कोई प्रमाण ऐसा नहीं दिया है जिससे सबस्त्र-संयम और सबस्त्र मोक्ष की सिद्धि होती हो । फिर एकान्ततः वस्त्र-त्याग का विधान नहीं पाया जाना ऐसा उनका लिखना व्यर्थ और निःसार है । भगवान कुन्दकुन्द स्वामी ने जो वस्त्र-त्याग का अनिवार्य विधान किया है वही विधान समस्त दिगम्बर जैन शास्त्रों का और उनके पहिले तथा पीछे के समस्त आचार्यों का भी वही विधान है । इस लिये “कुन्दकुन्दाचार्यके विधान का अन्य आचार्यों के प्रमाण ग्रन्थों से मेल नहीं बैठता” यह प्रो० साठ का कहना भी सर्वथा मिथ्या है, यह बात हमारे ऊपर के प्रमाणों से भली भांति सिद्ध है । पाठक ध्यान से पढ़ लेवें ।

ध्वलसिद्धान्त में वस्त्र-त्याग, संयम एवं मोक्ष प्राप्ति के लिये अनिवार्य परमावश्यक कारण है यह बात स्पष्ट की गई है । श्री-मुक्ति निराकरण में हम स्पष्ट कर चुके हैं । देखिये—

“दावित्थवेदा संज्ञम ए पद्विवज्जंति-सचेलत्तादो”

(ध्वलसिद्धान्त सत्प्ररूपणा पृ० ५१३)

अर्थात्—द्रव्य-खी के संयम नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सचेल अर्थात् वस्तु धारण किये हुए रहती है। और भी देखिये—

“द्रव्यखीणां निर्वृत्तिः सिद्धये दितिचेन्न-सवासस्त्वाद-प्रत्याख्यान-गुणस्थितानां संयमानुपपत्तेः भावसंयमस्तासां सवाससामध्यविरुद्ध इति चेत्, न तासां भावसंयमोस्ति भावा-संयमाविनाभावि-वस्त्राद्युपादानान्यथानुपपत्तेः।”

(धबलसिद्धान्त सत्प्ररूपणा पृष्ठ ३३३)

अर्थ—द्रव्य-खियों के मोक्ष जाना भी सिद्ध होगा ? शंकाके उत्तर में धबलसिद्धान्तकार कहते हैं कि नहीं; अर्थात् द्रव्य-खी मोक्ष इस लिये नहीं जा सकती कि वह वस्तु नहीं छोड़ सकती है। आगे फिर भी शंका उठाते हैं कि वे यदि वस्त्र भी धारण किये रहें तो भाव संयम उनके (द्रव्य-खियों के) हो जायगा, इसमें क्या बाधा है ? आचार्य कहते हैं कि वस्त्रों का धारण करना असंयमभाव का अविनाभावी है। वस्त्र धारण करनेसे संयमभाव नहीं हो सकता है किंतु असंयम-भाव (एक देश संयम) ही रहता है।

इस धबलसिद्धान्त के कथनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संयम प्राप्ति के लिये एवं मोक्ष प्राप्ति के लिये वस्त्र-स्त्याग अनिवार्य आवश्यक कारण है।

मुनियों के क्षुधा-पिपासा आदि वावीस परीषहों का सहन करना बताया गया है उनमें एक नाम्य (नग्न रहना)

परीषह भी है इसका स्वरूप इस प्रकार है—

जातरूपवशिष्ठलंकजातरूपधारणमशक्यप्रार्थनीयं
याचनरक्षणहिसादिदोषविनिमुक्तं निष्परिग्रहत्वान्निर्वाणप्राप्ति-
प्रत्येक साधनमनन्यबाधनं नाम्न्यं विभ्रतः मनोविक्रिया-
विलुप्तिविरहात् खीरुपाण्यन्त्यताशुच्च-कुणपूरुपेण भावयतः
रात्रि दिवं ब्रह्मचर्यमखण्डमातिष्ठमानस्याऽचेल ब्रत-धारण मन-
बद्धमवगन्तव्यम् ।

(सर्वार्थ-सिद्धि पृ० २८५)

इन पंक्तियों का आशय यही है कि—निर्विकार बालक के समान नग्नरूप धारण करना, जिस नग्नरूप में किसी से बस्त्रादि की याचना नहीं की जाती है ।

इसी प्रकार वर्णों की रक्षा, प्रक्षालन आदि से उत्पन्न उत्पन्न हिसादि दोष भी नग्नता में नहीं आते हैं । नग्नता निष्परिग्रहता, परिग्रह-त्याग का स्वरूप है और वह मोक्ष-प्राप्ति के लिये एक मुख्य साधन है । किसी जीव को इससे बाधा भी नहीं आती है । इस नग्नता से मनमें कोई विकार भाव भी जागृत नहीं होता । नग्न मुनि स्त्रियों को अत्यन्त अप-वित्र एवं निष्ठ समझता है । और रात दिन अखण्ड निर्दोष ब्रह्मचर्य धारण करता है । ऐसा ही नग्न रहने वाला मुनि अचेल ब्रतधारी सर्वथा निर्दोष और निष्परिग्रही कहलाता है ।

ऐसा ही कथन राजवार्तिक आदि ग्रन्थों में है । इन सब शास्त्रीय प्रमाणों से यह निर्विवाद सिद्ध है कि बस्त्र-त्याग

संयम और मोक्ष प्राप्ति के लिये सुख धारण है। दिग्म्बर सब्द का यही अर्थ है कि जिसके दिशाएँ ही अम्बर-बख हों। अर्थात् जो वज्रादि सब परिप्रह का त्यागी नम्न हो— केवल आशाशप्रदेश पंक्ति (दिशारूपी) बख ही धारण करता हो, वही दिग्म्बर कहलाता है। इस लिये दिग्म्बर जैनधर्म में सबख-संयम प्राप्ति एवं सबस्त्र मोक्ष प्राप्ति के लिये किञ्चन्मात्र भी स्थान नहीं है। इसके लिये दिग्म्बर सिद्धान्त के सैकड़ों ग्रन्थ अथवा मुनिधर्म स्वरूप निरूपक सभी ग्रन्थ प्रमाण भूत हैं। हम यदि कतिपय और ग्रन्थों का प्रमाण देते हैं तो यह लेख बढ़ता है। फिर जो प्रमाण दिए गये हैं वे पर्याप्त हैं। हमारे लिये वो एक भगवान कुन्दकुन्द स्वामी का प्रमाण ही पर्याप्त है। जो उनकी मान्यता है वही समस्त दिग्म्बर जैनाचार्यों की मान्यता है।

केवलीके भूख-प्यासादिकी वेदनाका होना असंभव है

प्रो० हीरालाल जी ने तीसरी बात यह लिखी है कि केवली भगवान को भूख प्यास की वेदना रहती है। अर्थात्— उन्हें भूख प्यास लगती है। इस विषय में उनकी पंक्तियां इस प्रकार हैं—

“कुन्दाकुन्दाचार्य^१ ने केवली के भूख पिपासादि की वेदना का निषेध किया है पर तत्त्वार्थ-सूत्रकार ने सबलता से कर्म-सिद्धान्तानुसार यह सिद्ध किया है कि वेदनीयोदय-जन्य क्षुधा पिपासादि ग्यारह परीषह केवली के भी होते हैं (देखो अध्याय ६ सूत्र द-१७) सर्वार्थ सिद्धिकार एवं राजवार्तिककार ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मोहनीय कर्मोदय के अभाव में वेदनीय का प्रभाव जर्जरित हो जाता है इससे वेदनाएँ केवली के नहीं होती। पर कर्मसिद्धान्त से यह बात सिद्ध नहीं होती।”

पाठक महोदय प्रो० सा० की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ लेवें। वे तत्त्वार्थ सूत्र से तो केवली भगवान के क्षुधा पिपासादि की वेदना सिद्ध करना चाहते हैं परन्तु साथ ही सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक आदि ग्रन्थों में जो आचार्य पूज्य-पाद और आचार्य अकलंक देव, आचार्य विद्यानंदि आदि ने उस तत्त्वार्थ सूत्र का खुलासा अर्थ किया है उस पर वे उन आचार्यों के लिये लिखते हैं कि ‘उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि केवली के क्षुधा पिपासादि की वेदना नहीं होती है परन्तु कर्मसिद्धान्त से यह बात सिद्ध नहीं होती है।’

हमें इन पंक्तियों को पढ़ कर प्रो० सा० के अनुभव और उनके ऐसे लिखने पर बहुत खेद होता है। पहले वे छोटी मुक्ति और सबसे छोटी मुक्ति के प्रकरण में भगवान कुन्दकुन्द स्वामी के लिये लिख चुके हैं कि उन्होंने जो छोटी मुक्ति और

सबका मुक्ति का निषेध किया है वह कर्मसिद्धांत से वैसा सिद्ध नहीं होता और दूसरे आचार्यों के मत से भी मेल नहीं खाता। परन्तु इन सब बातों का खण्डन हम अनेक प्रमाणों से कर चुके हैं और यह बात खुलासा कर चुके हैं कि कर्मसिद्धांत के आधार पर तथा गुणस्थान-क्रम-रचना के आधार पर ज्ञान-मुक्ति और सबख-संयम किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता है। साथ ही यह भी बता चुके हैं कि भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य का शासन दि० जैनधर्म में प्रधान है। उनकी मान्यता सबोंह प्रणीत आगम के आधार पर है और किसी भी ग्रंथ प्रणेता आचार्य का उनके सिद्धांत से मतभेद नहीं है।

“केवली को भूख प्यास लगती है अब इस बात को सिद्धि में वे भगवान् अकलंकदेव विद्यानन्द और पूज्यपाद इन महान् आचार्योंके लिये भी यह लिख रहे हैं कि ‘इनका लिखना सिद्धांत के अनुसार नहीं है।’

अब तो यह कहना चाहिये कि कर्मसिद्धांत के रहस्य को प्रो० सा० के सिवा कोई भी नहीं समझता होगा सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचन्द्र आचार्य ने भी केवली के क्षुधा प्यास लगने का पूर्ण खण्डन किया है। प्रो० सा० उन्हें भी कर्म-सिद्धांत के ज्ञाता नहीं समझते होंगे। दि० जैनधर्म में जितने भी आचार्य हुए हैं, उन सबों से प्रो० सा० का मत विरुद्ध है। इस लिये उनके खयाल से वे शायद सभी कर्मसिद्धांत के

आचकार नहीं होंगे ।

समस्त घातिया कर्मों को नष्ट कर अनन्त सुख का अनुभव करने वाले, परम विशुद्ध, इन्द्र, चक्रवर्ती, एवं गणधर्यादि महर्षियों द्वारा परमवन्दनीय परमात्माके क्षुधा प्यास की वेदना बताने का साहस करना और प्रकारान्तर से दिगम्बराचार्यों को कर्मसिद्धान्तके अज्ञानकार बताना यह आगम विरुद्ध एवं असाधारण है ? जहां भूख प्यासकी वेदना है । वहां क्या देवपनारह सकता है ? इस बात को तो हम आगे, अच्छी तरह सिद्ध करेंगे । परन्तु प्रो० सा० से यह पूछना चाहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक और श्लोकवार्तिककार ने जो तत्वार्थसूत्र का अर्थ किया है, वह तो ठीक नहीं । क्योंकि उन्होंने तो केवली के क्षुधादि बाधाओं का सर्वथा अभाव बताया है । वे सब तो प्रो० सा० की खयालसे कर्मसिद्धान्त के वेत्ता नहीं थे परन्तु तत्वार्थसूत्र से केवली भगवान के क्षुधा प्यास की बाधा सिद्ध करने वाले प्रो० सा० ने उस तत्वार्थसूत्र का वही अर्थ है जो वे कहते हैं यह बात किस दिव्यज्ञान से जानली ? या और कौन सी गुप्तीका उन्हें मिली है जिसमें उनकी समझ के अनुकूल अर्थ मिल गया है । यदि हो तो वे प्रगट करें, यदि उसी टीका कोई नहीं है तो तत्वार्थसूत्र की टीका करने वाले और उसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करने वाले आचार्य पूज्यपाद, आचार्य विद्यानन्द, आचार्य अकलंकदेव इत्यादि सभी आचार्यों को तो कर्मसिद्धान्त का रहस्य तथा तत्वार्थसूत्र का ठीक २ अर्थ

समझ में नहीं आया और प्रो० साठ की समझ में आगया यह बात वे किस आधार से कहते हैं सो प्रगट करें ? जिससे कि उनके बतलाये गये अभिग्राह्यको निर्धार्णत माना जा सके ।

अब आगे हम उनके दिये गये प्रमाण और हेतुओं पर विचार कर उन्हें यह बात सप्रमाण एवं सहेतुक बता देना चाहते हैं कि उनका लिखना सर्वथा निराधार और मिथ्या है ।

तत्त्वार्थसूत्र के ६वें अध्याय का ११वां सूत्र—
“एकादश जिने” है ।

इस सूत्र का अर्थ सर्वार्थसिद्धिकार — आचार्य पूज्यपाद ने इस प्रकार किया है—

“निरस्त-घातिकर्म-चतुष्टये जिने वेदनीय-सङ्घावात् तदा-
श्रया एकादश परीषहाः सन्ति । ननु मोहनीयोदयसङ्घावाभावात्
क्षुधादिवेदनाभावे परीषहव्यपदेशो न चुक्तः ? सत्येवमेतत्
वेदनाभावेषि द्रव्यकर्मसङ्घावापेक्षया परीषहोपचारः किञ्चते”

(सर्वार्थसिद्धि २८६-२८७)

इसका अर्थ यह है कि चारों धातिया कर्मों को नष्ट करने वाले जिनेन्द्र भगवान के मोहनीय कर्म नहीं हो चुक्ते हैं इस लिये मोहनीय कर्म के उदय की सहायता नहीं, सिलने से क्षुधादि वेदना उनके नहीं हो सकती किर उनके प्रसिद्ध कर्मों बताई गई हैं ? उत्तर में कहा जाता है कि यह बात ठीक है, यद्यपि जिनेन्द्र भगवान के वेदनीय कर्म का सङ्घाव होने से क्षुधा आदि परीषहों का उपचार सात्र किया जाता है ।

इस कथन की पुष्टि में सर्वार्थसिद्धिकार ने यह अद्यान्त विद्या है कि जिस प्रकार सर्वज्ञ भगवानके चिंता-निरोध लक्षण ध्यान नहीं है फिर भी कर्मों की निर्जरा होने के कारण वहां पर भी ध्यान का उपचार माना गया है। उसी प्रकार वेदनीय कर्मोदय वश केवल उपचार से भगवान् के परीषहें मानी गई हैं।

इस सर्वार्थसिद्धि टीका से यह अर्थ स्पष्ट होजाता है कि अद्यान्त भगवान् के क्षुधादि वेदना सर्वथा नहीं है केवल वेदनीय कर्मों का सद्ग्राव होनेसे उपचार मात्रसे वहां परीषह मानी गई हैं।

इसके आगे और भी स्पष्ट करते हुए सर्वार्थसिद्धिकार यहां तक लिखते हैं कि “अथवा एकादश जिने न सन्ति इति बाक्य शेषः कल्पनीयः” अथवा भगवान् केवली के ग्यारह परीषह नहीं होती हैं ऐसा भी अर्थ लगा लेना चाहिये। क्योंकि मोहनीय कर्मों के उदय की सहायता वहां नहीं है। इसी बात की मिद्दि राजवार्तिककार अकलंकदेव ने भी की है। वे लिखते हैं—

वेदनीयोदयाभावात् क्षुधादि-प्रसंग इति चेन्न—
घातिकर्मोदयसहायाभावात् तत्सामर्थ्यविरहात् ॥

(राजवार्तिक ३३८)

शंका उठाई गई है कि वेदनीय कर्म का उदय होने से केवली भगवान् के क्षुधादि का प्रसंग आवेगा? उत्तर में

आचार्य कहते हैं कि धातिया कर्मों के नष्ट हो जाने से उनकी सहायता नहीं मिलने से वेदनीय कर्म की सामर्थ्य नष्ट हो जाती है।

इसके आगे राजवार्तिककार ने उदाहरण यह दिया है कि जिस प्रकार विष द्रव्य में मनुष्य को मारने की सामर्थ्य है परन्तु यदि मन्त्र और शौषधि का प्रयोग किया जाय तो उस विष में फिर मारने की सामर्थ्य नहीं रहती है। ठीक इसी प्रकार ध्यानानि द्वारा धाति कर्मों का नाश होने से वेदनीय कर्म की सामर्थ्य ज्याए हो जाती है। वह (जली हुई रससी के समान) रह जाता है उसमें अपना फल देने की सामर्थ्य नहीं रहती है। केवल द्रव्यकर्म का सङ्खाव होने से परीषह का दपचार किया गया है इस राजवार्तिक के कथन से भी वही दात सिद्ध होती है जो सर्वार्थसिद्धिकार ने कही है।

अब श्लोक-वार्तिककार क्या कहते हैं सो ज्ञान से पढ़ लीजिये—

लेश्यैकदेशयोगस्य सङ्खावादुपचर्यते ।

यथा लेश्या जिने तद्वेदनीयस्य तत्पतःः ॥

धाति इत्युपचर्यन्ते सत्ता-मात्रात्परीषहाः ।

द्विद्वयवीतरागस्य यथोति परिनिश्चितम् ॥

न क्षुद्रादेरभिव्यक्तिस्तत्र तद्वेतुभावतः ।

योग-शून्ये जिने यद्वद्वयथातिप्रसंगतः ॥

नेकं हेतुः क्षुद्रादीनां व्यक्तौ चेदं प्रतीयते ।

तस्य मोहोदयाद्व थकेरसद्वेष्टोदयेपि च ॥
 क्षामोदरत्व-संपत्तौ मोहापाये न सेव्यते ।
 सत्याहाराभिलाषेपि नासद्वेष्टोदयाद्वते ॥
 न भोजनोपयोगस्यासत्वेनाध्यनुदीरणण ।
 असाता वेदनीयस्य न चाहारे क्षणाद्विना ॥
 क्षुदित्यशेषसामग्री-जन्याभिव्यंजते कथं ।
 तद्वैक्षल्पे सयोगस्य पिपासादेरयोगतः ॥
 क्षुदादि वेदनोदभूतौ नार्हतोऽनन्तशमंता ।
 निराहारस्य चाशक्तौ स्थातुं नानन्तशक्तिता ॥
 नित्योपयुक्तवोधस्य न च संज्ञास्ति भोजने ।
 पाने चेति क्षुदादीनां नाभिव्यक्तिर्जिनाधिपे ॥

(इलोकवार्तिक पू० ४६२)

इन कारिकओं में हेतुधाद पूर्वक केवली भगवान के क्षुधादि वेदना का अभाव बताया गया है। आचार्य विद्यानन्दि कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान अर्हन्त के कषायों का अभाव हो चुका है योगमात्र रहता है इस लिये बहां लेश्या उपचार से मानी जाती है, उसी प्रकार धातिया कर्मों का नाश होने पर भी वेदनीय कर्म का सद्वाव रहने से उन अर्हन्त के परीषह भी उपचार से मानी जाती हैं। जिस प्रकार अयोग केवली भगवान के क्षुधादि बाधा नहीं होती है उसी प्रकार अर्हन्त भगवान के भी नहीं होती है। क्षुधा पिपासा की बाधा नीचे लिखे व्यरणों से हो सकती है—

- १- मोहनीय कर्म का उदय होना चाहिये तभी क्षुधादि की बाधा हो सकती है ।
- २- असाता वेदनीय का भी उदय होना चाहिये ।
- ३- साथ में पेट खाली रहना चाहिये ।
- ४- आहार करने की अभिलाषा-चाहना भी होना चाहिये ।

परन्तु ये सब बातें बिना मोहनीय कर्म के साथ २ असाता वेदनीय कर्म के उदय से नहीं हो सकती हैं । तथा भोजन करने के लिये उपयोग नहीं होने पर तथा आहार सामग्री के नहीं देखने पर असाता कर्म की उदीरणा भी नहीं हो सकती है । जब क्षुधा आदि बाधा को पैदा करने वाली सामग्री ही नहीं है तब अर्हन्त भगवान के क्षुधादि की बाधा भी नहीं हो सकती है ।

यदि भगवान अर्हन्त के क्षुधादि की बाधा मानी जायगी तो उनके अनन्त सुख सिद्ध नहीं होता है । और यदि वे निराहार नहीं रह सकते हैं तो भगवान के अनन्त शक्ति मानी गई है वह कैसे सिद्ध होगी ? तथा भगवान सदैव अनन्त ज्ञान में उपयुक्त रहते हैं तब उनके भोजन और पान करने की संझा (आहार संझा) कैसे स्वतंत्र हो सकती है ? नहीं हो सकती । इस जिये जिनेन्द्र भगवान के भोजन पान की बाधा बताना मिथ्या है ।

अब पाठक स्वयं विचार करें कि तत्वार्थसूत्र के “एका-दश जिने” इस सूत्र का अर्थ सर्वार्थ-सिद्धि, राजवार्तिक तथा

रत्नोक-बार्तिककार ने जो किया है उससे भगवान् अर्हन्त के क्षुधादि की बाधा सिद्ध नहीं होती है । प्रो० सा० इस सूत्र से भगवान् के क्षुधादि बाधा का होना किस आधार पर सिद्ध करते हैं ? सभी टीकाओं से और इतर सभी प्रन्थोंसे क्षुधादि बाधा का होना भगवान् के असम्भव है ।

लाभान्तरायस्य-शेषस्य निरासात् परित्यक्त-कवलाहार-
क्रियाणां केवलिनां यतः शरीर-बलाधानहेतवोऽन्य-मनुजा-
साधारणाः परमशुभाः सूक्ष्माः अनन्ताः प्रतिसमयं पुद्गलाः
सम्बन्धमुपयान्ति स ज्ञायिको लाभः (सर्वार्थसिद्धिः पृ० ६१)

अर्थात्—लाभान्तराय कर्म के क्षय होने से केवली भगवान् के कवलाहार बर्जित होने से उनके शरीर के बलाधान के कारण-भूत जो अन्य मनुष्यों में नहीं पाये [जा सके] ऐसे परम शुभ, सूक्ष्म, अनन्त पुद्गल परमाणु प्रति समय सम्बन्ध करते रहते हैं यही उनके ज्ञायिक लाभ है ।

इसके सिवा जो केवली भगवान् के ३४ अतिशय बताये गये हैं उनमें १० अतिशय केवलज्ञान के हैं उनमें एक अतिशय कवलाहार का नहीं होना भी है ।

अतः हम तो यहां तक कहते हैं कि केवल तत्त्वार्थसूत्र ही क्यों किसी भी दिगम्बर जैन शास्त्र एवं किसी भी दिगम्बर जैन आचार्य के मत से प्रो० सा० केवली भगवान् के क्षुधादि बाधा सिद्ध नहीं कर सकते हैं ।

इसके आगे वे लिखते हैं—

“मोहनीय के अभाव में रागद्वेष परिणति का अभाव अवश्य होगा पर वेदनीय-जन्य वेदना का अभाव नहीं हो सकेगा। यदि वैसा होता तो फिर मोहनीय कर्म के अभाव के पश्चात् वेदनीय का उदय माना ही क्यों जाता? वेदनीय का उदय सयोगी और अयोगी गुणस्थान में भी आयु के अन्तिम समय तक बराबर बना रहता है। इसके मानते हुए तत्संबंधी वेदनाओं का अभाव मानना शाख सम्मत नहीं ठहरता”

प्र० सा० का कहना ऊपर की पंक्तियों से पाठक समझ लेवें। प्र० सा० की मूल बात इतनी ही है कि वे मोहनीय के अभाव में रागद्वेष का अभाव भगवान के बताते हैं परन्तु वेदनीय कर्म का उदय रहने से उनके क्षुधादि की वेदना बाधा का सद्ग्राव बताते हैं।

परन्तु प्र० सा० को यह समझ लेना चाहिये कि वेदनीय कर्म अचाती प्रकृति है वह स्वयं आत्मीय गुणों का भाव करने में सर्वथा असमर्थ है, उसकी सहायक मोहनीय प्रकृति का जब तक उदय नहीं होता तब तक केवल वेदनीय प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। अनुभव भी यही बतावा है कि सुख दुःख का अनुभव करना साता असाता वेदनीय का कार्य है परन्तु सुख दुःख का अनुभव भी आत्मा में वभी हो सकता है जब कि किसी वस्तु में इष्ट अनिष्ट बुद्धि हो, जिसमें इष्ट बुद्धि या अनुराग होगा उसकी प्राप्ति से सुख का अनुभव होगा, जिस वस्तु में अनिष्ट बुद्धि होगी उसकी प्राप्ति में दुःख का अनुभव

होगा। इसी लिये जहां पर मोहनीय कर्म का मर्दोदय हो जाता है एवं तज्जन्य रागद्वेष की मात्रा कम होजाती है वहां वस्तुओं में अथवा इन्द्रिय विषयी भूत पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं रहती है वैसी अवस्था में उन वस्तुओं की प्राप्ति अप्राप्ति में आत्मा सुख दुःख भी नहीं मानता है किन्तु समताभाव रहने से माध्यस्थ भाव रहता है।

दूसरी बात यह भी है कि वेदनीय कर्म साता असाता रूप परिणमन करता है। और उसका फल सुख दुःख का अनुभव है। यह सुख दुःख कर्म का ही फल है इस लिये जैसे दुःख सांसारिक है वैसे साता-जन्य सुख भी सांसारिक सुख है यही मानना पड़ेगा। तो यदि भगवान अर्हन्त के वेदनीय के उदय से साता के उदय से सुख का सङ्काच माना जाय तो वह सुख सांसारिक होगा, फिर जो अनन्त सुख अर्हन्त भगवान के माना गया है वह नहीं बनेगा। क्योंकि उस अनन्त सुख को सांसारिक सुख से सर्वथा भिन्न आत्मीय सुख माना गया है।

भगवान अर्हन्त के जो अनन्त सुख माना गया है वह क्षायिक सुख है, जैसा कि—

अन्यत्र केवलज्ञानं क्षायिकं दर्शनं सुखम् ।

बीर्यच्चेति सुविख्यातं स्यादनंतचतुष्टयम् ॥

(पञ्चाध्यायी १५७ पृ०)

अर्थात्—भगवान अर्हन्त के क्षायिक ज्ञान, क्षायिक

दर्शन, ज्ञायिक सुख और ज्ञायिक वीर्य गुण यह अनन्त चतुष्कृत प्रणट हो जाता है। यदि उनके साता-जन्य सुख माना जायगा तो वह सुख साता कर्म के उदय से होगा इस लिये वह औद्यिक कहा जायगा। औद्यिक होनेसे 'आत्मीय' सुख नहीं होगा परन्तु भगवान के अनन्त सुख ज्ञायिक भाव माना गया है। यह शाक्तीय विरोध भी भगवान के क्षुधादि बाधा का बाधक है। जब उनके अनन्त सुख ज्ञायिक हो चुका है तो वह सदैव रहेगा और वैसी अवस्था में क्षुधादि बाधा-जन्य दुःख का उनके लेश भी कभी नहीं हो सकता है।

तीसरी बात यह है कि क्षुधादि बाधा का होना दुःख रूप कार्य है वह असाता का फल हो सकता है, साता का नहीं हो सकता। परन्तु भगवान के असाता का उदय साता रूप में ही परिणत हो जाता है। यथा—

समयाद्विगो बंधो सादसुदयपिगो जदो तस्स।

तेण असादसुदशो सादसर्वेण परिणमदि ॥

(गोमटसार कर्मकाण्ड गाथा २७४)

अर्थात्—केवली भगवान के एक सातावेदनीयका ही बन्ध होता है सो भी एक समय मात्र स्थिति वाला होता है। इस कारण असाता का उदय भी साता रूप से ही परिणत हो जाता है। इसके लिये यह दृष्टान्त दिया गया है कि जैसे अहों मिष्ठ जल का अथाह समुद्र भरा हुआ है, खारे जल की एक बूँद का कोई असर नहीं हो सकता है। इसके आगे

वह बताया गया है कि भगवान के निरन्तर साता वेदनीय का ही उदय रहता है। इस लिये असाताके उदयसे होने वाली क्षुधादि परीषहें भगवान के नहीं हो सकती हैं। प्रमाण—

एदेण करयेण दु साद्सेव हु यिरंतरो उदयो ।

तेणासादणिमित्ता परीसहा जिणवरे णतिथ ॥

(गोमटसार कर्म० २७५ गाथा)

अर्थं ऊपर किया जा चुका है।

कर्मसिद्धान्त के प्रधान प्रतिपादक आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती जब यह कहते हैं कि क्षुधादि बाधा असातोदय में होती है। भगवान के असातोदय नहीं है, इस लिये उनके क्षुधादि परीषह नहीं हैं। तब प्रो० सा० भगवानके क्षुधादि बाधा किस कर्म के उदय से बताते हैं और किस आधार से बताते हैं सो स्पष्ट करें ? तब आगे विचार किया जा सकता है।

फिर भगवान के साताकर्म का उदय भी आत्मा में सुख पैदा करता हो यह भी नहीं है। वहां तो साता असाता-बन्य सुख दुःख का लेश भी नहीं है। यथा—

णद्वय रायहोसा इंदियणाणं च केवलिम्म जदो ।

तेण दु सादासादज सुख दुःखं णतिथ इंदियजं ॥

(गो० क० २७३)

अर्थात्—केवली भगवान के रागदेष और इन्द्रिय ज्ञान नष्ट हो चुका है। इस लिये उनके साता असाता से

होने वाला सुख दुःख दोनों ही नहीं है। क्योंकि साता-असाता जन्य सुख दुःख इन्द्रिय-जन्य है परन्तु भगवान् के अतींद्रिय सुख और अतींद्रिय ज्ञान है ॥

इस कथन से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् के अतींद्रिय, आत्मोत्थ, अनन्त, सुख ज्ञायिक है अतः उनके क्षुधादि वेदना का सद्ग्राव कभी नहीं हो सकता है ।

फिर एक बात हम और भी बताते हैं वह यह है कि क्षुधा पिपासा की वेदना का अनुभव किसी भी जीव को तभी हो सकता है, जब कि उसके इच्छा का सद्ग्राव हो । मुझे भूख लगी है अथवा प्यास लगी है, यह लगनारूप कार्य बिना इच्छा के कभी नहीं हो सकता है भले ही कोई व्यक्ति उस क्षुधा प्यास की निवृत्ति नहीं करे, उसे सहन कर लेवे, परन्तु भूख का लगना या प्यास का लगना बिना इच्छा के अनुभव में कैसे आ सकता है ? नहीं आ सकता ।

हमें यह मालूम नहीं है कि प्रो० सा० भगवान् के वक्ती के क्षुधादि बाधा का होना ही बताते हैं वा वे उनके कबलाहार भोजन करना भी मानते हैं । जो भी हो यह बात उन्होंने अपने लेख में प्रगट नहीं की है, परन्तु जहां क्षुधादि बाधा है वहां सातोव्रय से उसकी निवृत्ति भी भोजनादि से माननी पड़ेगी । किर तो शरीर की स्थिति और शारीरिक प्राकृतिक आधार पर भगवान् के और भी अनेक बातें स्वीकार करनी पड़ेंगी । अस्तु, इन बातों पर हम कुछ भी विचार नहीं करना

आहते हैं, जिवना प्रकृत विषय है उसी पर विचार करते हैं।

जब क्षुधादि बाधा इच्छापूर्वक होती है तब इच्छा का सद्गम भी भगवान के मानना पड़ेगा और “इच्छा च लोभ-पर्यायः” इच्छा लोभ की पर्याय है अतः भगवान लोभ कषाय भी मानना पड़ेगा।

इस लिये शास्त्रधार से यह सिद्ध है कि भगवान के जो वेदनीय कर्म का उदय है वह मोहनीय की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। फिर भी कर्मोदय की अपेक्षा केवल उपचार से भगवान के ग्यारह परीषह कही गई हैं।

यह कथन उसी प्रकार का उपचार कथन है कि जिस प्रकार आठवें नौवें गुणस्थानों में पुंवेद, स्त्रीवेद और नपुंसक वेदों का उदय होने से भावपुरुष, भावस्त्री, भावनपुंसक माने जाते हैं। यदि वेदों का उदय होने मात्र से उन द्वं ई वें गुणस्थानों में भी उनका काय माना जाय तो वहां भी उन अप्रमत्त, उपशम श्रेणी और ज्ञपक श्रेणी चढ़ने वाले वीतरागी शुक्ल ध्यारारूढ़ मुनिराजों के भी काम-वासना का सद्गम मानना पड़ेगा? क्योंकि वेदों का उदय वहां पर है ही। तो क्या प्रोफेसर साहब शुक्लध्यानी ज्ञपक श्रेणी वालों के भी काम-वासना स्वीकार करते हैं? बतावें। नहीं करते तो क्यों नहीं करते? जब कि कर्मोदय है। यदि वे भगवान के क्षुधादि बाधा के समान वहां भी काम-वासना मानते हैं तो फिर ज्ञपक श्रेणी चढ़ने एवं बादर-कृष्ण, सूतम-कृष्ण भालों की

श्रुंखला द्वारा जो कर्म ज्ञय किया जाता है वैसी आत्मा विशुद्ध रह सकती है क्या । नहीं रह सकती । और वहां फिर शुक्लध्यान नहीं रहकर ब्रह्मचर्यका धातक रौद्रध्यान ही ठहरेगा यदि वे कहें कि वहां केवल संज्वलन कषाय है सो भी अत्यन्त मन्द है, इस लिये वहां पर वेद कर्म का उदय कुछ कर नहीं सकता है तो फिर केवली भगदान के राग-द्वेष के अभाव में वेदनीय का उदय क्षुधादि बाधा क्यों पैदा कर सकता है ?

अब अधिक लिखना व्यथे है, यहां पर हम शास्त्रीय प्रमाण देकर यह बता देना चाहते हैं कि वेदनीय कर्म बिना मोहनीय की सहायता के कुछ भी नहीं कर सकता । यथा—

जणो कसाय विग्रह चउक्काणवलेण साद पदुदीणं ।

सुहपयडीणुदयभवं इंदियतोसंहवे सोक्खं ॥

(लघ्विसार गाथा ६११)

अर्थ—नोकषाय और चार अन्तराय के उदय के बल से साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों के उदय से जो इन्द्रिय सन्तोष होता है उसका नाम इन्द्रिय-जनित सुख है । वह केवली के सम्भव नहीं है । क्योंकि उनके इन्द्रिय-जन्य सुख नहीं है ।

इससे यह सिद्ध होता है कि केवल साता का उदय कुछ नहीं कर सकता, उसे नोकषाय, और चारों अन्तराय कर्मों का उदय सहायक होता है तभी वह सातोदय कार्य कर सकता है ।

विना मोहनीय की सहायता के वेदनीय कर्म कुछ
नहीं कर सकता इसके लिये प्रमाण—

घादिंव वेयणीयं मोहस्स वलेण घाददे जीवं ।

इदि घादीणं मज्जे मोहस्सादिम्मि पठिदं तु ॥

(गोमटसार कर्म० १६ गाथा)

वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म के बल से ही घातियों के समान जीवों का घात करता है। अर्थात् वस्तु में रागद्वेष रूप भावों से इष्टानिष्ट बुद्धि होने से ही सुख-दुःख का अनुभव होता है। इस लिये मोहनीय की सहायता के बिना वेदनीय कर्म उदय मात्र रहता है। जैसे क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले शुक्लध्यानी मुनियों के पुंवेद, ऋवेद का उदय नाममात्र है। कार्यकारी नहीं है वैसे वेदनीय भी नाममात्र है। वह क्षुधादि बाधा नहीं कर सकता है।

यदि प्रो० सा० के मन्तव्यानुसार सयोग केवली भगवान के आहार संज्ञा है तो वह चौदहवें गुणस्थान में भी रहेगी, क्योंकि वेदनीय का उदय तो वहां भी है। फिर तो भोजन करते २ ही मोक्ष हो जायगी। चौदहवें गुणस्थानमें क्षुधादि बाधा वे मानते हैं या नहीं, सो भी प्रगट करें।

फिर क्षुधादि बाधा का नाम ही आहार संज्ञा है। आहार संज्ञा छठे गुणस्थान में ही नष्ट हो जाती है फिर उससे ऊपर क्षुधादि बाधा किस प्रकार हो सकती है? नहीं हो सकती। यथा—

एटुपमाए पढ़मा सरणा एहि तत्थ कारणभावा ।

(गो० जी० गाथा १३८)

अर्थात्—प्रमत्त गुणस्थान से ऊपर पहली संज्ञा (आहार संज्ञा) नहीं है, क्योंकि वहां उसका कारण नहीं है ।

भगवान् अर्हन्त के लुधादि बाधा और कबलाहार मानने में हेतुवाद भी पूर्ण बाधक है । यथा—

१—भोजन करने से उनके वीतरागता भी नहीं रह सकती । कारण भोजन की अभिलाषा होगी और जहां अभिलाषा है वहां वीतरागता नहीं रह सकती ।

२—केवली भगवान् सर्वज्ञ हैं, अतः जहां २ जो बधक मछली को मार रहा है उसे तथा जो कोई मांसादि लिये बैठा है वह सब भी उन्हें प्रत्यक्ष दीखता है वैसी अवस्था में उनके भिज्ञा-शुद्धि कैसे रह सकती है । और अन्तराय कैसे टाला जा सकेगा ।

३—भोजन करने से भगवान् के रसनेन्द्रिय का सद्वाव भी मानना पड़ेगा । फिर तो इन्द्रिय विषय-अभिलाषी वे ठहरेंगे ।

४—यदि कहा जाय कि बिना भोजन किये भगवान् का शरीर कैसे ठहरेगा तो यह भी बात नहीं बनती है क्योंकि आहार केवल कबलाहार ही नहीं है, कर्म आहार, नोकर्म आहार, कबलाहार, लेप्याहार, ओज-आहार, मनसाहार ऐसे आहार के छह भेद हैं । यथा—

[१३२]

णोकम्म कम्महारो कवलाहारो य लेपमाहारो ।

उज्ज्म मणोवि य कमसो आहारो छविवहो लोओ ।

(सं० ब० वि०)

अर्थ उपर किया जा चुका है । इन छह प्रकार के आहारों में किसके कौन होता है—

णोकम्म तित्थयरे कम्मं णारेय माणसो अमरे ।

कवलाहारो णरबसु उज्ज्मो पक्खीये इग्गिलेऊ ।

(सं० ब० वि०)

अर्थात्—तीर्थकरों के तो नोकर्म वर्गणाओं का आहार होता है, कर्म वर्गणाओं का आहार नारकियों के होता है । मानसिक आहार समस्त देवों के होता है । कवलाहार मनुष्य और पशुओं के होता रहता है । ओजाहार (उषणता रूप आहार) पक्षियों के होता है और लेपाहार एकेन्द्रियों के होता है, पक्षियों के अण्डों में जीव रहता है, परन्तु उसकी रक्षा और वृद्धि ओज आहार से अर्थात् माताके पंखों की गर्मी से होती है । वृद्धि भी होती है । इसी प्रकार केवली के नोकर्म परमाणुओं का ही आहार है । साथ ही उनका परमौदारिक शरीर है, अतः वहां कवलाहार की आवश्यकता भी नहीं है । जैसे देवों के केवल मानसिक आहार माना गया है, उसीसे उनके शरीर की स्थिति आयुकर्म की प्रधानता से बनी रहती है, उसी प्रकार भगवान के नोकर्म का आहार समझना चाहिये, यदि वेदनीय के उदय से भोजन की

आकंक्षा भगवान के मानी जायगी तो फिर वेदोदय से ध्यातारुढ़ मुनिके स्त्री आदि की आकंक्षा माननी पड़ेगी ।

५—यदि वेदनीय कर्म के उदय से भगवान के क्षुधान्नाधा मानी जायगी तो फिर उसी कर्म के उदय से उनके रोग बध आदि भी मानने पड़ेंगे । फिर तो भगवान के पेचिश आदि रोग का सद्ग्राव भी मानना पड़ेगा । क्योंकि वह भी वेदनीयोदय में होता है । रोग मानने पर फिर तो बैद्य तथा औषधि आदि सब साधनों की आवश्यकता होगी अत एव फिर तो भगवान में और संसारी मनुष्यों में कोई भेद न रहेगा । दूसरे भगवान का शरीर सप्तधातु-वर्जित तेजोमय होता है । इस लिये वहां पर कवलातार की आवश्यकता ही नहीं है । यथा—

शुद्धस्पटिकसंकाशं तेजो मूर्तिमयं वपुः ।

जायते क्षीणदोषस्य सप्तधातुविवर्जितम् ।

(सं० व० वि० पृ० ३२)

अर्थात्—भगवान का शरीर शुद्ध स्पटिक के समान तेजरूप सप्तधातु रहित होता है । क्योंकि उनके शरीर में कोई दोष नहीं रहता है । आचार्य प्रभाचन्द्र ने 'एकादश-जिने' इस सूत्र का अर्थ करते हुए भगवान के परीष्ठों का निषेध इस प्रकार किया है । यथा—

यन्त्रोपचारतोपि अस्यैकादश परीष्टा न संभव्यते
तत्र तन्निषेधपरत्त्वात् सुत्रस्य—एकेन अधिका न दश परिष्टा
जिने !!

[१३४]

क्षुधादि वेदना अथवा कवलाहार का निषेध करते हुए
भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य भी कहते हैं—

जरवादि दुःखरहियं आहारणिहारविजयं विमलं ।

सिंहाण स्वेतसेऽमो णत्थि दुग्धाय दोसो य ॥

(षट् प्राभृतादि संग्रह पृ० १०३)

अर्थात्—बुद्धापा, व्याधि दुःखों से रहित, तथा आहार और मल-मूत्र की बाधा से रहित, निमंल, नासिका का मल, कफ आदि से रहित, पसीना से रहित तथा अन्य सब प्रकार के ग्लानिमय दुःखों से रहित भगवान् अर्हन्त होते हैं ।

इसी बात को भगवान् समन्तभद्राचार्य ने कहा है—
मानुषी प्रकृतिमध्यतीतवान्, देवतास्त्वपि च देवता यतः ।
तेन नाथ परमासि देवता, श्रेयसे जिनवृष्ट प्रसीद नः ॥

(वृहत्स्वयंभू स्तोत्र)

अर्यात्—क्षुधादि बाधा और कवलाहादि करना आदि जो मनुष्यों की प्रकृति है उससे भगवान् सर्वथा दूर हैं ।

इसी बात को और भी स्पष्ट भगवान् समन्तभद्र स्वामी ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में कहा—

क्षुतिपासाजरातङ्कजन्मातंकभयस्मयाः ।

न रागद्वेषमोहश्च यस्यासः स प्रकीर्त्यते ॥

(रत्नकरण्ड श्रावकाचार)

अर्थात्—जिसके भूख, प्यास, बुद्धापा, रोग, जन्म-मरण, भय, मद, रागद्वेष, मोह आदि कोई दोष नहीं है वही

अर्हन्त परमेष्ठी देव कहलाता है ।

इतना स्पष्ट सहेतुक और सप्रमाण निषेध दिग्म्बर जैनाचार्यों का मिलने पर भी प्र० सा० अर्हन्त भगवान् के किस प्रकार क्षुधादि की बाधा बताते हैं । सो आश्चर्य की बात है ।

उन्होंने यह जो लिखा है कि यदि वैसा होता तो फिर मोहनीय कर्म के अभाव के पश्चात् वेदनीय का उदय माना ही क्यों जाता ?

यह तर्क उनकी वस्तुस्थिति, इत्यादि और प्रमाणावाद से सर्वथा शून्य है । इस विषय में पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी जैसा वस्तु का स्वरूप है वह उसी रूप में रहता है, ऐसा क्यों है यह तर्क व्यर्थ है । ‘स्वभावोऽतर्क, गोचरः वस्तु स्वभाव तर्क से खण्डित नहीं होता है । नहीं तो कोई यह भी कह सकता है कि अविन उद्गम क्यों है ? तो यही कहा जायगा कि वैसा उसका स्वभाव है । इसी प्रकार जब अधाती कर्म सयोगी अयोगी गुणस्थानों में रहते हैं और धाती कर्म उससे पहले ही नष्ट हो जाते हैं यह वस्तु स्थिति सबोङ्ग प्रत्यक्ष है तब मोहनीय के अभाव में वेदनीय का उदय क्यों माना ? यह तर्क व्यर्थ है ।

यदि तर्क बल ही ठीक माना जाय तो यह भी तर्क हो सकता है कि जब चौदहवें गुणस्थान में कर्म नोकर्म रूप कोई वर्गणा का आश्रय ही नहीं होता है तब नाम कर्म और गोचर

कर्म का उदय वहां क्या करता है ? आयुकर्म के साथ चारों गतियों का बंध क्यों होता है जबकि आयु की अविनाभाविनी गति का ही जीव के उदय होता है, जिसने नरकायु का बंध किया है उस जीव के देवगति, मनुष्य गति, तिर्यग्मासिश्चों का भी बंध क्यों होता है ? जबकि वह जीव केवल नरकगतिमें ही जाने वाला है । सिद्धों के भव्यत्व गुण क्या करता है जबकि अब उनकी सिद्धि हो चुकी है ? केवलज्ञान के साथ केवल दर्शनगुण क्या कार्य करता है जबकि केवली भगवान् साक्षात् ज्ञान द्वारा विशेष ज्ञान करते हैं तब सामान्य दर्शन का बहां क्या काम बाकी रह जाता है और क्या उपयोग है ? प्रो० साँ० इन तर्कों का क्या समाधान करते हैं ?

हम तो कहते हैं वस्तुस्थिति को कहां ले जाओगे जबकि सभी सातों कर्म हर समय जीव के बंधते रहते हैं तब आयु कर्म अकेला त्रिभाग में ही क्यों बंधता है ? अथवा आठ अपकर्षकाल का समय आयु के त्रिभाग में ही क्यों पड़ता है ? इन बातों का वे उत्तर देंगे ?

हम तो इन सभी बातों को वस्तुस्थिति तो बताते ही हैं साथ ही सभी बातें आगम सिद्ध हैं, केवली के प्रत्यक्ष ज्ञान-गम्य हैं । कर्म नो कर्म वर्गणश्चों और जीव के उन भावों के प्रत्यक्ष-दृष्टा चारज्ञानधारी गणधरदेव हैं तथा मनःस्येय, अवधि-ज्ञानधारी आचार्य प्रत्याचार्यों द्वारा वे भाव वर्णित हैं । और हेतुगम्य युक्तिपूर्ण हैं ।

संचेप में थोड़ा सा दिग्दर्शन हेतुवाद का भी कर देना ठीक होगा, देखिये—

वेदनीय का उदय मोहनीय के अभाव के पीछे भी क्यों माना गया है इसका उत्तर कार्यकारण भाव से समझ लेना चाहिये। ज्ञपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव के मोहनीय कर्म की स्थिति कितनी पड़ती है और वेदनीय की कितनी पड़ती है, जहाँ दशवें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है, वहाँ उसकी सत्ता कितने समय की रह जाती है—केवल अन्त-मुहूर्तमात्र की, वह भी उसी दशवें के अन्तमें नष्ट हो जाती है, फिर मोहनीय कर्म आत्मा में लेशमात्र भी नहीं रहता है। परन्तु वेदनीय कर्म तो सत्ता में बैठा हुआ है और उदय में भी आता रहता है। इस लिये वह स्थिति और सत्ता रूप कारण के सद्वाव से मोहनीय कर्म के अभाव होने पर भी बना रहता है।

दूसरी बात यह भी समझ लेना चाहिये कि अधातिया कर्म सभी ऐसे हैं जो धातिया कर्मों के सदैव सहयोगी होकर कार्यकारी रहे हैं और जहाँ तक धातिया कर्मों का सहयोग बना हुआ रहता है, वहाँ तक उनका कार्य भी उदयानुसार होता रहता है, धातियों के अभाव से अधातिया कर्म उदय में ही रहते हैं, वहाँ उनका मुख्य कार्य नहीं रहता है। कदाचित् आयुकर्म के विषय में शंका उठाई जा सकती है, सो भी सूक्ष्म विचार करने पर दूर हो जाती है, कारण आयुकर्म की स्थिति

जितनी भी मोहनीय कर्म की सहायता से पड़ी थी उसी का सद्गम मोहनीय के अभाव में रहता है। यदि आयुकर्म स्व-तन्त्र अथवा बिना मोहनीय की सहायता के अपना कार्य करता होता तो मोहनीय के अभाव होने पर आयुकर्म में थोड़ी सी भी स्थिति बढ़ जाती तब तो समझा जाता कि वह मोहनीयकी सहायता की अपेक्षा नहीं रखता है। यथा—

“ठिदि अनुभाग कसायदो होन्ति”

अर्थात्—स्थिति और अनुभाग प्रत्येक कर्म में कषाय से ही पड़ते हैं। इस लिये घातियों के अभाव में अघातिया कर्म असमर्थ हो जाते हैं, फिर भी अपनी स्थिति को पूरा करने के लिये वे ठहरे रहते हैं। यदि आयुकर्म की स्थिति थोड़ी हो तो समुद्रघात होने पर शेष कर्मोंकी स्थिति भी घट जाती है। इस कार्यकारण की परिस्थिति से कर्मसिद्धान्त की व्यवस्था के अनुसार मोहनीय कर्म के अभाव में भी वेदनीय का उदय मानना हेतुवादपूर्ण है।

भगवान अर्हन्त के क्षुधादि बाधाएँ सर्वथा नहीं हो सकती हैं, इस विषय में चार ज्ञान_२ के धारी गौतम गणधर लिखते हैं—

“दुःसहपरीषहाख्यद् ततररंगत्तरंगभंगुरनिकरम्”

(क्रियाकलाप पृ० २८६)

अर्थात्—अर्हत भगवान के क्षुधा पिपासादि परीषहें सर्वथा नष्ट हो चुकी हैं।

[१३६]

क्रिया-कलाप के टीकाकार आचार्य प्रभाचन्द्र चैत्य-
भक्ति आदि को श्री० गौतम गणधर कुत बताते हैं। इस लिये
यह प्रमाण अतीव महत्वपूर्ण है।

इसी चैत्य-भक्ति में आगे यह भी लिखा है—

‘निरामिषसुत्सिमद्विविधवेदनानां क्षयात्’

(क्रियाकलाप पृ० २८८)

यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि क्षुधादि विविध
वेदनाओं का भगवान के क्षय हो चुका है। इस लिये निरा-
मिष भोजन से होने वाली दृष्टि से विजयण दृष्टि-कबलाहार
रहित दृष्टि भगवान के रहती है।

आचार्यवर्य यशोनन्दि ने पञ्च परमेष्ठी पाठ में
अर्हन्त भगवान की नैवेद्य से पूजा बताते हुए लिखा है—

नानार्धचन्द्रशतरं ग्रसुहासफेणी ।

श्रेणीरसोद्धकलमौदनमोदकाद्यैः ॥

संपूजयामि चरणांञ्चरुभिर्जिनेशां ।

ध्वस्तक्षुधां भवद्वभ्रमतापशान्त्यै ॥

(पञ्चपरमेष्ठि पूजा पृ० १७)

अर्थात्—फेणी लाहू भात आदि से उन भगवान के
चरणों की पूजा करता हूँ जिनकी क्षुधा सर्वथा नष्ट हो
चुकी है।

आचार्य शुभचंद्र ने आदि मंगल में ही भगवान
अर्हन्त के निराहार विशेषण दिया है—

“निराहारं निरौपम्यं जिनं देवेन्द्रवंदितम्”

(सं० ब० वि० पृ० १)

अर्थात्—जिनेन्द्र भगवान आहार रहित होते हैं।

इस सम्बन्ध में अधिक प्रमाण देना व्यथे है। दि० सिद्धान्तानुसार किसी भी दि० जैन शास्त्र से भगवान अहंत के पिपासा क्षुधादि की बाधा सिद्ध नहीं हो सकती है। सभी शास्त्र उसके निषेधक हैं।

आगे प्रो० सा० ने आप-मीमांसा का श्लोक देकर यह सिद्ध करना चाहा है कि भगवान वीतराग होते हैं तो भी उनके सुख और दुःख का सद्ग्राव होता है। उनकी यह पंक्ति है—

“ स समन्तभद्र स्वामी ने आप-मीमांसा में वीत-राग के भी सुख और दुःख का सद्ग्राव स्वीकार किया है।
यथा—

पुरुणं धुबं स्वतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि ।

वीतरागो मुनिर्विद्वान् ताभ्यां युज्ञान्निमित्ततः ॥

इस आप-मीमांसा के प्रमाण को रखकर प्रो० सा० उससे भगवान के सुख और दुःख सिद्ध करने का जो प्रयत्न करते हैं उसे देखकर उनकी विचार-धारा, अन्वेषण-शक्ति, और खयाल पर बहुत भारी आश्चर्य होता है। जो कारिका आप मीमांसा की उन्होंने प्रमाण में दी है उसका अर्थ ही दूसरा है, जो बात वे कहते हैं उसका उससे कोई सम्बन्ध ही

नहीं है आपमीमांसा की कारिका का अर्थ हम यहां पाठकों की जानकारी के लिये प्रगट किये देते हैं। वह इस प्रकार है—

आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने दूसरे दर्शनों की उस मान्यता का खण्डन इस कारिका में किया है जो यह मानते हैं कि अपने आप को दुःख देने से तो निश्चय से पुण्यबन्ध आत्मा में होता है। और अपने आपको सुखी बनाने से आत्मा में पापबन्ध होता है। इस विचित्र दर्शन एवं मान्यता के खण्डन में आचार्य समन्तभद्र कहते हैं कि ऐसा मानना ठीक नहीं है। कारण यदि अपने आपको दुःख पहुंचाने से पुण्यबन्ध होता तो जो मुनिराज परम वीतरागी होते हैं वे भी काय क्लेशादि अनेक प्रकार के धोर तपश्चरण द्वारा दुःख साधनों को उत्पन्न करते हैं, तीव्र गर्भी के सन्तान पहाड़ पर तप करते हैं, तीव्र शीत में नदी के किनारे पर ध्यान लगाते हैं, यदि इस तपश्चरण रूप दुःखोत्पादन से पुण्यबन्ध ही होता हो तो कोई भी वीतरागी मुनि पुण्यबन्ध ही करता रहेगा, वैसी अवस्था में वह पुण्य-पाप रूप समस्त कर्मों का नाश कर मोक्ष को कभी नहीं जा सकेगा। परन्तु ऐसा नहीं है वीतरागी मुनि परीष्हड़ों को सहन करते हैं, उपसर्ग भी सहन करते हैं, समस्त कष्टों को सहन करते हैं, फिर भी वे पुण्य बन्ध नहीं करते हैं, किन्तु कर्मों की निर्जरा करते हैं। इस लिये अपने को दुःख पहुंचाने से पुण्यबन्ध होता है, यह मानना विरुद्ध है।

इसी प्रकार यदि अपने को सुख पहुंचाने से पापबन्ध

होता हो तो फिर विद्वान् लोग अपने तत्त्वज्ञान से और शास्त्रों के रहस्य ज्ञान से पूर्ण सन्तोष लाभ करते हुए प्रसन्न और सुखी होते हैं सो उस तत्त्वज्ञानजन्य सुखसे उन तत्त्वज्ञानी विद्वानों को पापबन्ध होना चाहिये परन्तु यह भी विरुद्ध बात है। क्यों-कि जो विद्वान् तत्त्व विचार में निमग्न है। किसी प्रकार का वैर-विरोध, विकार, पर-पीड़ा आदि नहीं कर रहा है, बिना किसी दुर्भाव के वस्तु चिंतन एवं शास्त्राध्ययन में लगा हुआ है और तत्त्वज्ञानजन्य सन्तोष रूप सुख का अनुभव कर रहा है तो वैसी अवस्था में उसको पापबन्ध क्यों होगा ? अर्थात् नहीं होगा ।

बस यही इस कारिका का स्पष्ट अर्थ है जो मूल कारि-का के पदों से स्पष्ट है। इस कारिका का उक्त यही अर्थ विद्यानन्द ने अष्टसहस्री में किया है ।

परन्तु प्रो० सा० ने वीतराग भगवान के संसारी दुख सुख सिद्ध करने के लिये इस कारिका को प्रमाण में लिखा है। इस कारिका से तो वीतराग के सांसारिक सुख-दुख नहीं होते हैं, किन्तु पुण्य-पाप दोनों कर्मों का नाश होता है यह बात सिद्ध होती है। इस कारिका के अर्थ को वे समझ लेते तो फिर यह प्रमाण देकर अपने कथन की स्वयं विरुद्धता उन्हें स्वीकार नहीं करनी पड़ती। उनके इस प्रमाण से विदित होता है कि वे कम से कम आप मीमांसा को तो प्रमाण मानते हैं। तभी तो यह प्रमाण उन्होंने दिया है परन्तु उनके दिए

हुए प्रमाण से ही बीतराग अर्हत् भगवान के सुख दुःख का अभाव सिद्ध होता है ।

पुराण शास्त्रोंमें भी प्रो० साठ के मन्तव्योंका खण्डन ही पाया जाता है ।

खीमुक्ति, सबखमुक्ति और केवली कवलाद्वार, इन तीनों वातों का खण्डन कर्मसिद्धांत एवं गुणस्थान चर्चा के आधार पर तो हम बहुत विस्तार के साथ कर चुके हैं । इसके सिवा प्रथमानुयोग शास्त्रों में मोक्ष जाने वाले केवलियों का सर्वत्र वरणेन किया गया है ।

पाण्डवों को ताते२ भूषण पहना कर उपसर्ग किया गया, देशभूषण कुलभूषण को व्यंतरों ने उपसर्ग किया, गजकमार मुनि के सिर पर जलती हुई सिंगड़ी रक्खी गई, सुकौशल को सिंहनी ने भक्षण किया उन उपसर्गों को जीत कर उन्हें केवलज्ञान हुआ । इसके सिवा कोई अमुकस्थानमें पटके गये । संजयत मुनि को नदी में पटका गया और उसी समय उन्हें केवलज्ञान हुआ । कोई खड़गासन से मोक्ष गये । कोई एक वर्ष तक घोर तपश्चरण करते रहे । आदिनाथ भगवान ने छहमास आहार का त्यागकर दिया पुनः छहमास अंतराय रहा बाहुबलि एक वर्ष तक ध्यान में लीन रहे । भरत भगवान को कपड़े ढतारते २ केवलज्ञान अन्तर्मुहूर्त में होगया । अमुक केवली भगवान ने अमुक २ स्थानों पर विहार किया । अमुक अमुक ने गिरन्नारि, चम्पापुर, पावापुर कैलास आदि से मोक्ष

प्राप्त किया । समोसरण की रचना, भगवान का सिंहासन से चार अंगुल ऊंचे विराजमान रहना, चौंतीस अतिशयों का प्रगट होना, दिव्य ध्वनि का खिरना, अमुक २ तीर्थकरों के इतने गणधर थे । समोसरण में इतने मुनि, इतनी अर्जिकाएँ श्रावक श्राविकाएँ थी इत्यादि बातों का बहुत विशद वर्णन प्रथमानुयोग-पुराण शास्त्रों में सर्वत्र पाया जाता है । परन्तु अमुक स्त्री पर्याय से मोक्ष गई । अमुक कपड़े पहने २ केवल-ज्ञान को प्राप्त हुआ । अमुक केवली ने कवलाहार किया, या अमुक केवली को भूख व्यास की बाधा हुई और वे अमुक के घर आहार को गये या उन्होंने समोसरण में ही आहार मगाया इत्यादि—

ऐसा वर्णन किसी भी दिं पुराण शास्त्र में नहीं पाया जाता है । यदि प्रो० सा० के मन्तव्यानुसार दिगम्बर शास्त्रोंके अनुसार भी स्त्री मुक्ति, सर्वस्त्र मुक्ति और केवली कवलाहार मान्य होते तो उनका वर्णन किसी भी तीर्थकर के शासनकाल में किसी भी पुराण शास्त्र में अवश्य पाया जाता । परन्तु दिगम्बर शास्त्रों में तो भरत महाराज को घरमें भी परमोक्तुष्ट वैराग्य बताते हुए भी यही बताया है कि जब जंगल में गये और कपड़े उन्होंने उतार ढाले वे नम्न दिगम्बर बन गये तभी उन्हें केवलज्ञान हुआ ।

स्त्री पर्याय को सभी शास्त्रों में नियंत्र बताया है और स्त्री-लिंग का सर्वथा छेद कर देव पर्याय पाने के पीछे पुरुषलिंग

से ही अमुक २ ने मोक्ष प्राप्त की, ऐसा ही सभी पुराणों में कथन पाया जाता है। आदिनाथ भगवान ने अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुन्दरी से कहा था कि तुम इस छी-पर्यायसे मोक्ष नहीं पा सकती हो ।

केवली भगवान के परम शुद्धि और दिव्य औदारिक शरीर, अनन्त अचिन्त्य गुणों का प्रगट होना, अनेक अतिशय प्राप्त होना आदि बातों का वर्णन है ।

इस लिये यदि प्रोफेसर साहब के तीनों मन्तव्य दिगम्बर शास्त्रोंसे भी सिद्ध होते तो उनका वर्णन पुराण शास्त्रों में भी कहीं तो पाया जाता, परन्तु वैसा वर्णन किसी भी प्रथमानुयोग शास्त्र में नहीं पाया जाता । प्रत्युत उन प्रथमानुयोग शास्त्रों में भी उक्त तीनों मन्तव्यों का सर्वत्र स्पष्ट खण्डन मिलता है । इस लिये दि० सिद्धान्तानुसार कम सिद्धांत और गुणस्थानों के आधार पर उक्त तीनों मन्तव्य किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं । और दिगम्बर शास्त्रों में सर्वत्र उन का खण्डन किया गया है ।

अधिक लिखना अनावश्यक समझकर प्रो० सा० से हम यह आशा करते हैं कि वे अपने मिथ्या मन्तव्यों को आगम, युक्ति एवं अनुभव विरुद्ध समझकर छोड़ देंगे । इतना ही नहीं किन्तु निष्पक्ष एवं सरल भावों से अपने भ्रमपूर्ण अभिप्रायों का परित्याग कर समाज के समक्ष वैसी शोषणा कर देंगे ।

विकल्पमनेकान्तं वस्तुतत्प्रकाशकम् ।

अनाद्यनन्तसंसिद्धं जीयाहैगम्बरं मतम् ॥

मक्खनलाल शास्त्री,
सम्पादक-जैनबोधक, मेम्बर-ओक्साफ कमेटी
ब्वालियर राज्य

हमारी सम्मति

काल दोष से विगत २५ वर्षों में सर्वज्ञ-प्रणीत दि० जैन आगम पर उसी के अनुयायी महानुभावों द्वारा ऐसे ऐसे भीषण आत्मेप किये गये हैं जिनसे कि दि० जैनधर्म की मूल मान्यताओं को गहरी छेस पहुंची है। यह समय बुद्धिवाद का है, श्रद्धा की उत्तरोत्तर हानि होती जा रही है, अतः कुमतिज्ञान के प्रभाव से लोग बुद्धि-विभ्रम में फँसकर किसी भी नये मार्ग को सहज अपना लेते हैं। यही कारण है कि आज दि० जैन धर्मानुयायी भी सत्यपन्थ को छोड़कर विभिन्न २ मान्यताओं के अनुयायी बन गये हैं और बनाये जा रहे हैं। नाना प्रकार की नई नई मान्यतायें और नई नई प्रकट होने लगी हैं। बा० श्रुज्ञलालजी सेठी और पं० दरबारी लाल जी सत्यभक्त के आगम-विरोधी विचारों को तो अभी तक समाज भूला नहीं था कि धर्वलाके संपादन से प्रसिद्धि प्राप्त ग्रो० हीरालाल जी ने दि० जैनधर्म के अस्तित्व का ही विलोप करना प्रारम्भ कर दिया है। उनकी समझ से श्वेताम्बरधर्म ही पुरातन और सर्वज्ञप्रणीत है।

यद्यपि इस प्रकार के स्वतन्त्र विचार प्रमाण सिद्ध दि० जैन आगम को खो कुछ भी धर्म का नहीं पहुंचा सकते परन्तु धर्वला टीका के सम्पादन से जिनके विचारमें प्रोफेसर साहब का सम्मान जम गया है और जो उनके सैद्धान्तिक ज्ञान से प्रभावित हो गये हैं उनके श्रद्धानामें अवश्य अन्तर आ सकता

है। अतः ऐसे लोगों के स्थितिकरण के हिये कम्बर्ट पंचायत का यह प्रयत्न अवश्य शलाघनीय है जो उसने सभी विद्वानोंको ट्रैक्ट लिखने को आमंत्रित किया है।

अनेक ट्रैक्ट लिखने के बजाय जैनधर्म के सर्वाङ्ग एवं प्रकारण विद्वानों द्वारा युक्ति और प्रमाण पूर्ण थोड़े से लेख ही पर्याप्त हैं। इसी सदाशय से हम लोग अलग २ न लिखकर श्रीमान सम्माननीय विद्यावारिधि, बादीभ केसरी, न्यायालं-कार, धर्मधीर पं० मक्खनलाल जी शास्त्री महोदय के इस ट्रैक्ट पर अपनी सम्मति प्रकट किये देते हैं कि हम इस ट्रैक्ट के विषय से पूर्ण सहमत हैं।

माननीय शास्त्री जी ने उक्त ट्रैक्ट बहुत शास्त्रीय खोज श्रम और विद्वत्तापूर्ण लिखा है। इसमें प्र० सा० की छी-मुक्ति, सवन्न-संयम और केवली-कवलाहार इन तीनों मान्य-ताओं का सप्रमाण और सयुक्तिक खण्डन किया गया है।

हम समझते हैं कि यदि प्र० सा० को वास्तव में तत्व-जिज्ञासा है तो वे इसे पढ़कर अपने विचार को अवश्य छोड़ देंगे और अपने विचार परिवर्तन को व्यक्त करेंगे।

- १- कुञ्जीलाल शास्त्री न्याय काव्यतीर्थ,
- २- नाथूलाल शास्त्री, काव्यरत्न,
- ३- कविराज अजितवीर्य शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य,
ज्योतिषतीर्थ, यंत्र-तंत्र-मंत्र विद्याविशासद
श्री गोपाल दि० जैन सि० विद्यालय मोरेना (ग्वालियर)

प्रोफेसर सा० के मन्तव्यों पर हमारा अभिमत

वर्तमान समय में हमारी समाज के कतिपय विद्वान् आचार्यों के वचनों को अप्रामाणिक सिद्ध करने में प्रवृत्ति करते हुए देखे जारहे हैं। इस लिये हमारे दि० जैन धर्म का माहात्म्य दिनों दिन घटता जा रहा है।

हमें दुःख है कि अभी हाल ही में प्रो० हीरालाल जी सा० ने दिगम्बर आम्नाय के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध श्रीमुक्ति, सवख्मिमुक्ति, केवली कवलाहार, इन बातों को दि० शास्त्रों से ही सिद्ध करने का विफल प्रयास किया है। यद्यपि प्रोफेसर सा० दिगम्बर धर्म के ही अनुयायी हैं साथ ही में उन्होंने दि० सिद्धान्तों के प्रधान ग्रन्थ “धवल सिद्धान्त” का सम्पादन भी किया है। ऐसे योग्य विद्वान् होते हुए भी दि० सिद्धान्त के विपरीत बातों को सिद्ध करने का प्रयास कैसे कर डाला यह एक आश्चर्य और खेद की बात है।

इसके उत्तर में समाज में अपनी अनुभवपूर्ण लेखनी के लिये प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित धुरन्धर विद्वान् विद्यावारिधि वादीभ के सरी न्यायालंकार धर्मधीर पूज्य पं० मक्खनलाल जी शास्त्रीने सभमाण सयुक्तिक ट्रेक्ट रूप में उपर्युक्त तीनों बातों का अच्छी तरह से खण्डन कर मूलभूत दि० सिद्धान्तों को निःशक्ति कर दिया है।

यह ट्रेक्ट दि० जैन समाज के लिये अत्युपयोगी है क्योंकि पं० जी ने पूर्ण विद्वता द्वारा दि० जैन शास्त्रों के प्रमाणों से एवं सुयुक्तियों से सरल रूप में उक्त सिद्धान्त को सर्व साधारण के लिये सुलभ कर दिया है। हमें विश्वास है कि समाज इस ट्रेक्ट को पढ़ कर प्रो० सा० के मन्तव्यों को सर्वथा विपरीत समझ कर दि० जैन सिद्धान्तों में निःशांकित और अटल प्रबृत्ति रखेगी।

अन्त में प्रो० सा० से हमारा निवेदन है कि वे इस ट्रेक्ट को पढ़ कर अपने मन्तव्यों को बदल कर यथार्थ सिद्धान्त सर्वसाधारण जनता में प्रगट करने की कृपा करें।

बालमुकुन्द शास्त्री,
मल्लिनाथ जैन शास्त्री न्यायतीर्थ,
सुमतिचन्द्र शास्त्री, मोरेना

यह पुस्तक केवल एक अंश है—इसका अधिक भाग
तैयार हो रहा है।

श्रीमान मान्यवर प्रो० डॉक्टर हीरालाल जी एम० ए० के जो मन्तव्य पुस्तक के प्रारम्भ में छपे हुए हैं, उनके उत्तर में अनेक पूज्य त्यागियों के (जिनमें आचार्य, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी जी भी हैं) तथा अनेक ख्यातनामा विद्वानों के युक्ति आगमपूणे सुन्दर उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और छप रहे हैं । पाठक महानुभाव उन सब उत्तरों को एक ही ग्रन्थ में अवलोकन करने की प्रतीक्षा करें । ग्रन्थ शीघ्र आपके समक्ष आ जावेगा । यह पुस्तक तो उस ग्रन्थ का आद्य एक अंश है ।

—प्रकाशक

